महानगर नई दिल्ली बुधवार 2 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

एससी-एसटी (उत्पीड़न से संरक्षण) कानून

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश वापस लिए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति (उत्पीड़न से संरक्षण) कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने संबंधी अपने 20 मार्च, 2018 के फैसले में दिए गए निर्देश मंगलवार को वापस ले लिए।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि समाज में समानता के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों का संघर्ष देश में अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि इन वर्गों के लोग आज भी अस्पृश्यता का सामना कर रहे हैं बाकी पेज 8 पर

अदालत ने 20 मार्च, 2018 के फैसले में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने संबंधी अपने निर्देश वापस ले लिए।

इस कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग और झूठे मामले दायर करने के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि यह जाति व्यवस्था की वजह से नहीं, बल्कि मानवीय विफलता का नतीजा है।

अनुच्छेद 370

सभी याचिकाओं पर सुनवाई 14 नवंबर से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते से अधिक समय नहीं दिया जाए।

पीठ ने कहा कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इन याचिकाओं पर अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए समुचित समय देना होगा क्योंकि यह जरूरी है कि सुनवाई शुरू होने से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। पीठ ने कहा कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ताओं को बाकी पेज 8 पर

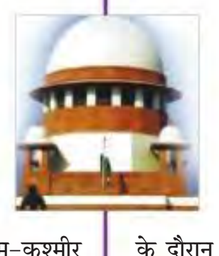

'निजी स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन बनाना होगा'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के बाद कश्मीर घाटी में लगी पाबंदियों का मुद्दा उठने पर मंगलवार को कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा कि घाटी में फोन की शत-प्रतिशत लाइनें काम कर रही हैं और दिन के दौरान लोगों के आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।

कश्मीर में पाबंदियों का मामला

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि घाटी में यदि मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं बहाल की गईं तो सीमा पार से फर्जी वाट्सऐप संदेश आने शुरू हो जाएंगे और यह यहां हिंसा भड़का सकते हैं। 'कश्मीर टाइम्स' की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन, कार्यकर्ता बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर में बीडीसी चुनाव 24 को

श्रीनगर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

निर्वाचन अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के 310 ब्लाकों में ब्लॉक विकास परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 24 अक्तूबर को चुनाव होंगे।

अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख नौ अक्तूबर है जबकि नामांकन पत्रों की जांच 10 अक्तूबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 11 अक्तूबर है। कुमार ने बताया कि 24 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक मतदान बाकी पेज 8 पर

जम्मू कश्मीर में गुरुवार से स्कूल खोलने के निर्देश
पेज 12

फडणवीस को करना होगा मुकदमे का सामना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले का फडणवीस के जन प्रतिनिधि के रूप में बने रहने या अगला चुनाव लड़ने पर असर नहीं पड़ेगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मंगलवार को उस समय झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के कारण उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के बाकी पेज 8 पर

'सभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता'

कोलकाता, 1 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र नागरिकों के राष्ट्रीय पंजी का विस्तार पश्चिम बंगाल तक करेगा लेकिन इससे पहले सभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया जाएगा। विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर एक संगोष्ठी में शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एनआरसी के बारे में लोगों को गुमराह कर रही है।

उन्होंने कहा कि एनआरसी के बारे में बंगाल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें देश छोड़ना नहीं पड़ेगा, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी और उन्हें एक भारतीय नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे।' शाह ने कहा कि सभी घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश से 'किसी शरणार्थी को जाने नहीं देंगे और घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे।' शाह ने कहा कि बाकी पेज 8 पर

एनआरसी के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार पर गुमराह करने का आरोप।

कहा, किसी शरणार्थी को जाने नहीं देंगे और घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा

भारत भूमि की भक्ति करने वाला ही हिंदू

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

आरएसएस द्वारा किसी 'वाद' पर चलने की बात से साफ इनकार करते हुए इसके प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को दावा किया कि संगठन में एक ही विचारधारा सतत रूप से चलती चली आई है कि जो 'भारत भूमि की भक्ति' करता है, वही 'हिंदू' है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघ चालक ने यह बात एबीवीपी से जुड़े वरिष्ठ प्रचारक सुनील आंबेकर की पुस्तक 'द आरएसएस : रोडमैप फार 21 सेंचुरी' के लोकार्पण समारोह में कही।

मोहन भागवत

उन्होंने कहा, 'संघ का विचार, संघ के विचारक, संघ परिवार – ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं,लेकिन ऐसा कुछ हैं नहीं । कोई 'वाद (लॉजी)' नहीं है।' संघ द्वारा मात्र हिंदुओं की बात करने के दावों की ओर परोक्ष संकेत करते हुए उन्होंने कहा, 'हमने हिंदू नहीं बनाए। ये हजारों वर्षो से चले आ रहे हैं। देश, काल, परिस्थिति के साथ चले आ रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला और उससे प्रेम करने वाला एक भी व्यक्ति अगर जीवित है, तब तक हिंदू जीवित है।

संघ प्रमु मोहन भागवत ने कहा कि भाषा, पंथ, प्रांत पहले से ही हैं। अगर बाहर से भी कोई आए हैं, तब भी कोई बात नहीं है। हमने बाहर से आए लोगों को भी अपनाया है। हम बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान ने मलीहा लोधी को हटाया

इस्लामाबाद, 1 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने बड़ा राजनयिक फेरबदल करते हुए मुनीर अकरम को संयुक्त राष्ट्र में देश का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने मलीहा लोधी का स्थान लिया है जिन्हें इस पद से हटा दिया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका से वापस आने के बाद यह कदम उठाया गया है। खान संयुक्त राष्ट्र बाकी पेज 8 पर

पीड़िता के पिता ने जताई परिवार को फंसाए जाने की आशंका

शाहजहांपुर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के मामले में कथित पीड़ित लड़की के पिता ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई में बाधा पैदा करने के लिए चिन्मयानंद पक्ष उनके पूरे परिवार को झूठे मामले में फंसा सकता है।

चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी बेटी खुद पीड़िता है, मगर खुद उसे ही जेल में डाल दिया गया है। उसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने बाकी पेज 8 पर

'विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाए पुलिस'

लखनऊ, 1 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों सहित अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए प्रदेश के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे पत्र में कहा है कि गत वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बांग्लादेशी मूल के नागरिकों के अवैध रूप से रहने और कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के भूमिगत होने की बात बाकी पेज 8 पर

1980 तक गांधीवादी विचारों से प्रेरित होते थे नायक | सिनेमा | 'लगे रहो मुन्नाभाई'से'गांधीगीरी' को नया आयाम

गांधी ही नहीं उनके फोटो से भी ली खूब प्रेरणा

मुंबई, 1 अक्तूबर (भाषा)।

श्वेत-श्याम फिल्मों से लेकर रंगीन चलचित्रों तक भारतीय सिनेमा पर महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन की अमिट छाप रही है। दीवार पर टंगी गांधी की तस्वीर ने फिल्मों में कभी नायक को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रेरित किया, तो कभी शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए उनके विचारों का सहारा लिया गया।

गांधी की जीवनी एवं उनके विचार कई दशकों से फिल्मकारों को प्रेरित करते आ रहे हैं। कुछ फिल्में उनके जीवन पर, तो कुछ अन्य उनके मूल्यों पर आधारित हैं। वर्ष 1954 की फिल्म 'जागृति' से लेकर 2006 की फिल्म 'लगे रहो मुन्नाभाई' तक, यह सूची काफी लंबी है। कवि प्रदीप ने 'जागृति' फिल्म के लिए 'दे दी आजादी हमें बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल'...जैसे शब्दों के साथ देश के प्रति गांधी के योगदान को सुरो में पिरो दिया।

इस युग की अन्य फिल्में भी गांधी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1957 में आई दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म 'नया दौर' में मनुष्य बनाम मशीन के बीच बहस है। वी शांताराम की 'दो आंखें बारह हाथ' (1957) में छह अपराधियों का एक जेल वार्डन द्वारा पुनर्वास करने की कहानी को केंद्र में रखा गया है। हाल-फिलहाल की फिल्मों में 'लगे रहो मुन्नाभाई' ने 'गांधीगिरी' को नया आयाम दिया।

पत्रकार एवं 'ए गांधीयन अफेयर : इंडियाज क्यूरिस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा' के लेखक संजय सूरी के मुताबिक वर्ष 1980 के दशक तक भारतीय सिनेमा के नायक गांधीवादी विचारों से प्रेरित होते थे। वे बाकी पेज 8 पर

मेरा मानना है कि भारतीयों पर गांधी का जबरदस्त प्रभाव रहा है। जरूरी नहीं है कि यह सामने दिखे, लेकिन कहीं न कहीं यह करूणा, मानवता की भावना के रूप में प्रकट होता रहता है।
-श्याम बेनेगल, फिल्म निर्देशक

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Shiv Shankar Rathi,R/o-211B-1,Munirka Village,Near-Community Centre, Munirka, South West Delhi,J.N.U.,Delhi-110067,inform that my service records my wife name wrongly,written as Jyoti Rathi instead of Jyoti Rani Singh. 0040514676-7

I,Shakila Bano W/O Mohd.Aqil R/O-B-7/55 B,Dda-Flats, Inderlok,Delhi-110035. Changed My Name To Shakeela Bano. 0040514735-2

I,Bankay Bihari S/O-Badri Prasad R/O-House.No-2,R-Block,Mohan-Garden, Uttam-Nagar Delhi-110059.Have Changed My Name To Banke Bihari Goswami. 0040514735-1

I,Abhay Pratap Singh,R/o-Village-Badan Pur,Po.-Kanka Pur,Teshil-Amrit Pur,Distt.-Farrukhavad,U.P.-209625, inform that my son's name Shri Arab Pratap Singh and Arab Pratap Singh both are same person. 0040514676-8

I, Yasin Khan S/o Idoo Khan R/o-3B/615A/2A/3A, Nagla-Kachhiyan, Agra, U.P.-282001. Have changed my name to Yaseen Khan. 0040514689-2

I, Vinod Kumar Sharma S/o Late Sh.Jagdish Sharma R/o-A-200, Ashoka-Enclave, Peera Garhi, Delhi-87,have Changed my Name to Vinod Sharma for all future purposes 0040514616-2

I, Vinesh D/O Vipin Kumar, H.No-66, Block-9, Geeta-Colony, Delhi-110031, changed My Name To Vinesh Kumar. 0040514735-9

I, Tripti D/o Pawan Kumar R/o 4/64, Third-Floor, Ramesh Nagar,New.Delhi-110015,have changed my name to Tripti Sharma for all future purposes. 0040514676-2

I, Sushil Kumar S/O Shri.Braham Singh R/O-C-241, Millinium-Apartments Sector-18, Rohini,Delhi-110089,have changed my minor son name from Shivam to Shivam Tiwari. 0040514739-5

I, Suman Goyal W/o-Satbhushan Goyal R/o-D-7/52 Pocket-7 D-Block Sector-15, Rohini Delhi.inform that the passport of my husband name has been mentioned as Sumit Goyal instead of Suman Goyal. 0040514744-11

I, Srijan S/O Aditya Nath Das.R/O-Plot No-219, E-Extension, Street.No-19, Shyam-Vihar Phase-1, Najafgarh, N.Delhi-110043., Changed My Name To Srijan Das. 0040514734-10

I, Shashi Devi W/o Saurabh Mutreja R/o A-1/51, G/F, Janakpuri, N.Delhi-110058 have changed my name to Shashi Mutreja after marriage. 0040514734-2

I, Satish Kumar Garg, S/o Sh.Sant Lal R/o RZ-321M, Rajnagar-II, Palam-Colony New Delhi-110077, have changed my name from Satish Kumar to Satish Kumar Garg.,for all purposes. 0040514714-6

I, Sasthamangalam Raman Pillay Radhakrishnan S/o Mecherimadom Sasthamangalam Raman Pillai R/o 14-D, Pkt-6, MIG Flats, Mayur Vihar-III, Delhi-110096 have changed my name to Sasthamangalam Raman Pillai Radhakrishnan for all future purposes. 0040514617-1

I, Rinzin Dorjee,S/o Tashi Tsering R/o-State Cooperative-office, TR-Camp, PO/PS Miao, Distt.changlang, A.P.informs that my name has been wrongly written as Rigzin Dorjee in my I.C.No. 049207, instead of Rinzin Dorjee, Rinzin Dorjee is my correct-name. My date-of-birth has been also wrongly-written as-04.06.1956. My corrrect Date-of-Birth is-17.11.1956. 0040514734-11

I, Reha W/o-Anil Kumar Soni R/o-D-609-A New Sanjay Amar Colony, Vishwas Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Rekha Devi for all purposes 0040514675-3

I, Ravi Kumar S/o Shri Satpal Singh R/o C-471, 3rd Floor, Raghubir Nagar, New Delhi-110027, have changed my name to Ravi Kumar Chauhan for all purposes. 0040514648-1

I, Rajiya W/o Mohammad Afzal R/o-H.No.F-28 Gali No.2, Subhash Mohalla Maujpur Delhi-110053, inform that name of mine hasbeen wrongly written as Nusrat in School Record of my minor daughter Insha(14-Years). The actual name of mine is Rajiya respectively which may be amended accordingly. 0040514675-1

I Hardep Singh, S/O Nirmal Singh, R/O-Flat No-A-305, Mahendra-Appartment, Vikaspuri, N.Delhi-110018, Change My Name Hardeep Singh To Hardeep Singh Khurana. 0040514744-1

I Jandeno D/O Renthungo Tungoe R/O-H.No-7, Village-Lichuyan, Yamhon-(Old). Wokha, Nagaland-797100. Have Changed my Name to Jandeno Tungoe. 0040514714-7

I, Raj Kumar Choudhary S/O Surender Singh R/O C-14, Punjabi Basti, Nangloi, Delhi-110041. Have Changed My Name To Raj Kumar. 0040514739-6

I, RAJESH KUMAR S/o Dori Lal R/o H.No. M-4C, Mausam Bhawan, NDMC, Lodhi Road, Central Delhi, New Delhi-110003, inform that my name wrongly written in my daughter's (MUSKAN) school record as RAJESH. But my correct name is RAJESH KUMAR. 0040514625-1

I, Preeti W/o-Narendra Pal Singh R/o-Flat No.11A, Divine-Heritage Society, Indrapuram, Ghaziabad inform that Preeti and Alka Chaudhary both name belongs to me.I shall use Alka Chaudhary as my name, for all future purposes. 0040514714-5

I, Nilima Wagh W/o Satish Dhairyashil Wagh R/o-G-402,Chintels Paradiso, Sector-109, Gurgaon, Haryana-122017. changed my name to Nilima Satish Wagh. 0040514734-7

I, Rajendra Prasad Gupta S/o Ram Darsh Prasad Gupta R/o A-186, Block-A, Sector-22, Noida UP have changed my name to Rajendra Gupta. 0040514662-1

I, Nidhi Vashisht W/o Vikas Vashisht R/o B-104, Anasals Tanushree, Near Mehroli, NH-24 Ghaziabad-201002, have changed my name to Nidhi Sharma for all purposes. 0040514716-1

I, Nida D/O, Ranbir Singh Doon R/o House No. 1821, Sector 17A, Gurgaon, have changed my name to Nida Doon for all purposes so that my paternal surname may also be reflected in my passport. 0040514721-1

I, Neelu W/o Sh. Dalip Kumar R/o. 2258, Raja Park, Shakur Basti, Delhi-110034 have changed my name to Neelu Arora for all purposes in future. 0040514733-1

I, Navinder Singh Negi S/O-Late Shri.Khyat Singh.R/O-Rz-5a, Nanda-Block, Mahavir-Enclave, N.Delhi110045. changed My Name To Navinder Singh. 0040514735-4

I, Nasrin Bano W/o Yaseen Khan R/o-63B/615A/2A/3A, Nagla Kachhiyan, Agra, U.P.-282001 have changed my name to Nasreen Bano. 0040514689-4

I, Naresh Kumar S/o Late Bansi Lal Sharma R/o B-126, UGF, Shivaji Vihar, New Delhi-110027, have changed my name to Naresh Kumar Sharma For All Purposes. 0040514645-1

I, Mukesh Kumar Verma S/o Sh.S.P.Verma R/o-C-104, B.K. Dutt Colony, Lodi Road, Delhi-110003, have Changed My Name to Mukesh Verma 0040514630-1

I, Monika Nagpal alias Aastha Arora W/o Rajan Arora R/o 16/83, Ground Floor, Subhash Nagar, New Delhi-110027, have changed my name to Monika Arora for all purposes. 0040514652-1

I, Mohinder Singh S/o Late Sh.Kirpal Singh Sasan R/o WZ-11D, Street No.18/22, Sant Garh, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Mohinder Singh Sasan for all purposes. 0040514622-2

I, Mohammad Sajid S/o Mohammad Shahid R/o-86 Ground-Floor, (DDA-Flats) Safdarjung-Enclave, Delhi-110029., Have Changed My Name To Mohammad Sajid Shaikh. 0040514734-9

I, Meera Devi W/o Naresh Kumar Sharma R/o B-126, UGF, Shivaji Vihar, New Delhi-110027, have changed my name to Meenakshi Sharma For All Purposes. 0040514643-1

I, Meenakshi W/O Rinku Kumar, R/O 1/3116, Mandoli-Road, Ramnagar, Shahdara,Delhi-110032.,HAVE Changed My Name To Minakshi. 0040514735-6

I, Md.Masoom,S/O Md.Moin, R/O-16/632-E, Bapanagar, Tank-Road, Parshad-Nagar, Karolbagh, N.Delhi-110005.,changed My Name To Mohammad Asad Ahmed. 0040514735-3

I, Matur Malakajappa Virappa,S/O Shri.Virappa Matur R/O-1083, Venezia-Tower, Mahagun-Moderne, Sector-78, Noida 201301-U.P, have changed my name.,from Matur Mallikarjun Virappa to Malakajappa Virappa, for all future purpose. 0040514739-4

I, Madhavi D/O Ajay Kumar R/O 53-T Hunts, Chitra-Vihar, Delhi-110092. HAVE Changed My Name To Madhvi. 0040514735-5

I, Kusum Lata D/o Prem Prakash Bhutani R/o-A-31, Nirmalpuri, Old-Double-Storey, Lajpat-Nagar-4, N.Delhi-110024, have changed my name to Kusum Lata Bhutani, permanently. 0040514714-10

I Ameya Kodanya S/o Sh.Munish Sharma R/o House No.765, Kaveri Apartments, Block-6, Sector-D, Vasant Kunj, New Delhi-110070 have changed my name to Amey Kodanya for all purposes. 0040514622-3

I Anand Bharadwaj S/o Shivnath Bhardwaj R/o-149, Kishan Pura, Ganaur, Distt-Sonipat have changed the name of my minor daughter from Khushi to Anshi permanently. 0040514744-2

I, Kuldip Kaur W/o Sh.Mohinder Singh Sasan D/o Late Sh.Raghubir Singh R/o WZ-11D, Street No.18/22, Sant Garh, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Kuldeep Kaur Sasan for all purposes. 0040514622-1

I, Meena Kattar W/o Ram Kumar Katar R/o-DG3/382, Vikas Puri, Delhi have changed my name to Meena Katar. 0040514739-3

I, Khushboo Anghotra D/o Naresh Kumar R/o-979 Prem Gali No. 2-A Multani Mohalla,Gandhi Nagar Delhi-110031, have changed my name to Khushboo for all purposes. 0040514675-2

I, Jagjit Singh R/O-6/111, II-Floor, Front-Side, Subhash-Nagar, Delhi-110027. Changed my Child Name Akhand Singh To Harshveer Singh Gauri. 0040514734-4

I, Jagarnath Prasad, S/o-Ram Dahil Ram R/o-B-333, Gali No.7, Inder-Enclave, Phase-1, Kirari-Suleman-Nagar, Delhi-110086.inform that my name has wrongly-written in my son, Sudesh Kumar Passport No(K3334262)as Jagnath Ram instead of Jagarnath Prasad. 0040514739-1

I, Heemal Bhat W/o-Anil Bhat R/o.106, Emerald-Appts. Ramprastha-Greens, Sector-7, Vaishali, Pkt-1, Ghaziabad, have changed my name to Heemal H Bhat. 0040514735-10

I, Gita W/O Ram Kawar, H.NO.1003, Tower-2, Supreme-Towers, Sector-99, Noida, Gautambudh-Nagar, U.P-201301. Changed My Name To Geeta Deshraj. 0040514735-7

I, Girish Kumar Arora S/o Rajendra Prasad R/o-C4B/82, Pocket-13, MIG-Flat, Janakpuri, Delhi have changed my name to Girish Arora. 0040514739-2

I, Geeta Manral W/o Virender Rawat R/o-1013, Gali No.32, DDA-Flats, Madangir, N. Delhi-110062 have changed my name to Geeta Rawat. 0040514714-1

I, Gaurav S/o Darshan Kumar R/o-2J-76, 2Number-Faridabad Haryana-121001 changed my name to Gaurav Taneja, permanently. 0040514734-8

I, Devika d/o Satpal Singh residing at G-718 phase-6 G block Aya Nagar, New Delhi 110047. Have change my name from Davika to Devika for all purpose. 0040514709-1

I, Daljeet Kaur W/o Jaspinder Singh Talwar R/o-H-95, G.S.Apartment, Metro-Walk Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Daljeet Kaur Talwar.,for all purposes. 0040514714-8

I, DIVYA TONGYA D/O BHUPENDRA KUMAR MODI, R/O 36, AMRITA SHERGILL MARG, NEW DELHI-110003, have changed my name from DIVYA TONGYA to DIVYA MODI for all purposes 0040514657-1

I, Christina Rakhangmei W/O Hitesh Thakur R/O M8/A7, Jhulelal Aparment, Pitam pura, Delhi Changed Name To Christina Rakhangmi Permanently. 0040514714-9

I, Ashish Poddar S/o Inder Mohan Poddar R/o H.No.3, Arjun Marg, DLF-Phase-I, Gurgaon, Haryana-122002, have changed my name to Aashish Podaar permanently. 0040514734-3

I, Asharaf S/O Karimulla Khan R/O-WZ-221/127,T/F,S-Block, Vishnu-Garden, Delhi-110018 Have Changed My Name To Asraf Khan. 0040514714-3

I, Arvind Kumar Sriwastav S/o Ram Jee Lal R/o-H.No.289, Block-20, Aliganj, Lodhi-Road, Delhi-110003, have changed my name to Arvind Kumar Shrivastava. 0040514689-6

I, Anvita D/O Vinesh Kumar, H.No-66, Block-9, Geeta-Colony, Delhi-110031.,changed My Name To Anvita Chauhan. 0040514735-8

I, Anuj Goyal S/o Hari Mohan Goel R/o 1781, Third Floor, Pratap Street, Chuna Mandi, Pahar Ganj,Delhi-110055 have changed my name to Anuj Goel for all purpose 0070676815-1

I, Anita W/o Ganesh R/o CN-312 J.J Colony Goyla Dairy Goela Khurd Delhi-110071 changed my name to Anita Devi. 0040514734-6

I, Amrit Pal Singh S/o-Rajinder Singh R/o-WZ-91,First-Floor,Street.No.19A,Dashmesh Hospital,Shiv Nagar,Jail Road,Janakpuri,B-1,Delhi-58,have changed to my name Amrit Pal Singh Arora for,all Purposes. 0040514676-1

I, Aditya Gupta S/O Subhash Rai Gupta R/O-173/3,Vaishali Enclave,Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Aditya Rai Gupta. 0040514734-5

I Geetu Sachdeva W/o Shailender Bajaj R/o-5A-7 NIT Faridabad Haryana 121001 have changed my name to Riya Bajaj. 0040514739-7

I Anand Kumar S/o Shivnath Bhardwaj R/o-149, Kishan Pura, Ganaur, Distt-Sonipat have changed my name to Anand Bharadwaj permanently. 0040514739-10

I Anand Bharadwaj S/o Shivnath Bhardwaj R/o-149, Kishan Pura,Ganaur, Distt-Sonipat have changed the name of my minor son from Shashikant to Tushant Bhardwaj permanently. 0040514744-3

व्यक्तिगत

मैं सिग्नलमैन राठोड विट्ठल पंडित पुत्र पंडित धर्मा राठोड, निवासी-ग्राम-गंधोरा, पोस्ट-गंधोरा, जिला-उस्मानाबाद, महाराष्ट्र, पिन-413601 ने कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ में दिनांक-30.09.2019 को शपथ-पत्र देकर अपने बेटे का नाम कार्तिक से कार्तिक विट्ठल राठोड करवा लिया हूं।

मैं सुनीता पत्नी सिग्नलमैन राठोड विट्ठल पंडित, निवासिनी-ग्राम-गंधोरा, पोस्ट-गंधोरा, जिला-उस्मानाबाद, महाराष्ट्र, पिन-413601 ने कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ में दिनांक-30.09.2019 को शपथ-पत्र देकर अपना नाम सुनीता से सुनीता विट्ठल राठोड करवा ली हूं।

I, Abhinay Acharya S/o Rameshwer Acharya Shastri R/o 41- Deepali Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Abhinav Acharya for all purposes. 0040514658-1

I, Aarti Sharma R/o-7708, 2ndFloor, Near-Liberty Cinema, Circle, New Market, Devnagar, Karol-Bagh, N.Delhi-110005,have changed my minor son's name Shaurya Solanki to Shaurya. 0040514734-1

I Vikas Kumar S/o Chander Prakash R/o- C-50 Sector-11 Faridabad Haryana have Changed my Name to Vikas Solanki 0040514616-1

I Sarjit Kaur W/o Hargun Singh R/o-D-32A, Janta-Flats, Raghubir-Nagar, N.D.-27 have changed my name to Savita Kaur. 0040514739-8

I Pramod Kumar Sharma, S/o Sh.Ved Pal Sharma R/o-1/4649/29-A, Gali No.1, New Modern-Shahadra, Mandoli-Road Delhi-110032.,my Name wrongly written Pramod kumar in my minor son Yash Kumar School-Record but actualy my Correct Name is Pramod Kumar Sharma. 0040514714-4

I Kiran Kalra w/o Sh.Shammi Kalra R/o 3329, gali-Hari-Mandir wali Paharganj New Delhi-110055. have changed my name to Simran Kalra. 0040514714-2

I Himnesh chhawary s/o Deepak R/O-C-114 old-Dlf sector-14 gurgaon, Haryana have changed my name to Himnesh chhawri. 0040514739-9

I, Sweta Akshay Aggarwal/ Sweta D/o Shiv Tayal R/o-D-11/89,Sector-8 Rohini Delhi-110085,changed my name to Shweta Tayal. 0040514546-4

रिक्त स्थान

Courier @ Shadipur want Exp.Delivery Boys with Bike for Delhi & NCR. Call 7498999950/52/54 0050156126-1

MAJOR BIHARI LAL MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION
N.H.8, BILASPUR CHOWK, (GURUGRAM)
M.: 9813215146
REQUIRES FACULTY
For B.Ed. Course:
Assistant Professor -4 (Edu)
Assistant Professor in Pedagogy Subject-2 (each)
Social Science, Science, Language, Maths
Assistant Professor -1 (Each)
Health and Physical Education, Fine Arts, Performing Arts.
For M.Ed. Course:
Professor-2
Associate Professor- 2
Assistant Professor-6
Others
Librarian -1
Lab Assistant-1
Office-Com-Account Assistant-1
Computer Operator-1
Store Keeper-1
Technical Assistant-1
Lab Attendants/Helpers/Support Staff-2
Qualification and salary as per MDU Rohtak/NCTE/State Govt. Norms.
Apply within 21 Days. Copy of Application Must be send to The Dean, College Development Council MDU Rohtak.
Last date of receiving Application 22nd Oct, 2019

NOTICE

I, Satish Chandra Dixit S/o Deendayal Dixit R/o 356/218/312 Shivajipuram, Lucknow hereby inform in general that original registry documents of Plot No 76, Page No. - 146/148, Khasra No- 141, Bahi No-1, Zild No.-3653, Sl. No. 6013, 1500 sqft registered in name of my wife Late Ambeshwari Devi is lost somewhere, use of it by any person or organization will be illegal. If anyone finds it please contact on 8934990066

PUBLIC NOTICE

PLEASE NOTE that my clients (I) Mr. Angrej (Singh) S/o Shri Lakshmi Chand, and his wife (II) Smt. Rajwanti, both residents of 1161, J Block, Mangol Puri, North West, Delhi-110083, shall not be responsible for any act or omission of their son Mr. Vishal - aged about 24 years resident of J-1161 Mangol Puri, Delhi-110083 AND do hereby dis-inherit him; and severe all their relations and connections from their said son. Mr. Vishal shall have no right, title, interest or claim whatsoever over my clients' moveable and/or immoveable properties Including in their House No. J-1161, Mangol Puri Delhi or any Part thereof. Any person dealing with Mr. Vishal shall do so at his own risk, responsibility and consequence.

Kiran Aggarwal
Advocate D/300/1993
210 Law Chambers-I, Delhi High Court, New Delhi-110003

खोया+पाया

I, MANOJ Pal S/o Ram kumar pal R/o-187-A village-ghondli krishna-nagar Delhi-51. have lost my original certificate class-10th year-2011 Rollno-8608630 CBSE-Delhi 0040514744-10

I, Mahender Kumar Aggarwal S/o A.P. Aggarwal have lost my Sale Deed No.4384, Volume No.3685 on Pages-122-125 Dated-21/10/2004 & another Sale Deed No.1348, Volume No.3774 on Pages-90-103 Dated-28/02/2005 with S.R.IV, Delhi. If anyone trace the same, Kindly inform at 2,Shreshtha Vihar Delhi-92, M.No.9811264559. 0040514675-5

I, Ranjeet Kumar S/o Raj Kumar R/o D-37, Sahyog Vihar, JJ Colony, Matiala, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have lost my school certificates & marksheets of Class-10th Roll No.8754967, Year-2011 and Class-12th Roll No.9757507, Year-2013, passout from CBSE, Delhi. 0040514614-1

I, Sanjay Verma S/o Sh. Om Prakash Verma have lost Perpetual Lease Deed of Property No.B-63, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033. Finder contact: 9811291151. 0040514640-1

I, have lost my Original Lease Deed Of Property No K 35 Jangpura Extn, ND-14. Lease Deed In The Name Of Mr. Pyare Lal Hoogan S/O Hukamchand. Pls Contact 9810176969, If Found. Moinuddin. 0040514712-1

I Om Prakash Khandelwal S/o Late Ram Niwas Khandelwal R/o T-686/3, Bhola Nagar, Delhi have lost original property document i.e. Sale Deed registered as Document No.222 in Addl. Book No.1, Vol. No.139 on Page 204 to 296 dated 01-03-1950 registered in the Office of SR New Delhi executed by Nathu Singh in favour of Ram Niwas. Finders may contact at above address. 0040514622-6

Lost my original certificate of class 10th Roll.No. 6338145 Year- 2007 and 12th Roll. No.6621451 year-2009 from CBSE.Finder pls contact: Tara S/o Ram Lakhan,Trilok Puri,23 Block, Main Road,New Delhi. 0040514656-1

I Ruchi Arora W/o Nikhil Arora R/o E-50, S.F., Avantika Sector-1, Rohini, Delhi have lost my original documents i.e. DDA Demand Letter, Possession Letter, Site Possession, Original Agreement to Sell, Power of Attorney & other connected documents of DDA Flat No.101, Ground Floor, Block-A, Pocket-3, LIG, Sector-7, Rohini, Delhi. Finders may contact at above address. 0040514622-5

Lost my original 12th-class certificate Roll no-9640659 issued by CBSE, Candidate Name-Kirti Sharma D/O-Vijendra Kumar R/O-J-440, Street no-12, 1/2, Kartar-Nagar-3, Delhi-110053. 0040514744-7

I, JYOTI Chuohan D/o Ajay Kumar R/o-Rz-74 St no-6 holly-family Asha-niwas Mahaveer-enclave Delhi-45. have lost my original certificate class-10th year-2015 Rollno-8726369 CBSE- Delhi. 0040514744-8

I, Lakshya kochar S/o Sanjeev kochar R/o-21-A shyam-nagar floor-3rd St.no-1 new-govundpura delhi-110051. have lost my original certificate class-10th year-2010 Rollno-6115144 CBSE- Delhi. 0040514744-9

I, Lavi Jain D/o Rakesh Jain R/o-9/3983 Gali No.17 Ajit Nagar Delhi-110031, lost my X-Pass Certificate Year-2010, Roll No.6317783 CBSE, Delhi. 0040514675-4

खोया+पाया

हमने DLF Home Developers Ltd., DLF City Center विभूतिखण्ड गोमतीनगर में B2-0306 "MY PAD" में बुक कराया है, जिसकी एग्रीमेन्ट की कापी खो गयी है मिलने पर सूचित करने का कष्ट करें। राकेश कुमार चौधरी S/O श्री राम किशोर चौधरी S/O श्री जगदीश प्रसाद चौधरी 2/218-A, विकासखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ। मोबाईल 8953410222

PUBLIC NOTICE

My Clients Sh. Hira Lal S/o Sh. Gharsi Ram and Sukhda W/o Hira Lal R/o 182B, Sangam Vihar, Dharampura EXTN, Najafgarh, South West Delhi-110043 have severed their all relation and disowned their Son Arun Siddharth and his wife Mamta Kumari from their all Moveable-Immovable properties due to his bad behaviour and misconduct. Anybody Deals with them shall be doing at his/her own risk & responsibilities.

S.K.GUPTA & ASSO. (ADVOCATE)
Ch. No. D-614, Karkardooma Courts
Delhi-110032 #9999656267

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री मंगत राम सुपुत्र स्व. श्री बाल मुकन्द निवासी मकान न. 507, एन-ब्लॉक, चन्दर शेखर आजाद कॉलोनी, किशन गंज, दिल्ली-110007। यह कि मेरे मुवक्किल का सही और असली नाम मंगत राम है जोकि मेरे मुवक्किल को ओम प्रकाश के नाम से भी मुझे पुकारा जाता है जोकि मेरे मुवक्किल का नाम ओम प्रकाश की जगह सही नाम मंगत राम है और मेरे मुवक्किल के सभी सरकारी दस्तावेज पर उनका नाम मंगत राम है जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और पैन कार्ड आदि।

Sd./-
(GAURAV GARG) (Advocate)
B-5/65, SECTOR-4,
ROHINI, DELHI-110085
M: 9899634888

PUBLIC NOTICE

Know all general public through this Public Notice that my client Shri Ranjeet Singh S/O Late Munshi Ram R/o IX/5957, Gali No.12, Rajguru Gali, Raghbar Pura No.2, Gandhi Nagar, Delhi-110031 has severed all, his relations from his sons Vinod Kumar Sharma & Ashwani Kumar Sharma as well as from their family members and also debarred them and their family members from all my movables and immovables and they have no right, title or interest in any manner whatsoever in my movables and immovables after my demised.

Sd/-
MAYANK JAIN (Advocate)
Ch.No. P-1, Post Office Lane
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Bhola Singh S/o Sh. Ram Nandan Singh & Smt. Chandrawati W/o Sh. Bhola Singh both R/o RZ-C 2/307, Gali No. 7, C-II Block, Near Nala, Mahavir Enclave-I, New Delhi-45 have severed all relations with their Son namely Dharmendra Kumar for all purposes and have disowned & debarred him from their movable and immovable properties due to disobedience and my clients shall not responsible for any acts & deeds done by him.

Sd/-
ASHOK TOBRIA (Advocate)
Ch. No. 636, Dwarka Courts
Complex, New Delhi- 110075

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Raj Kumar Mahajan S/o Late Gian Chand Mahajan R/o 545/1-B/1, Karkari Road, Vishwas Nagar, Delhi-32 is the absolute owner of the entire property bearing no. 545/1-B/1, Karkari Road, Vishwas Nagar, Delhi-32 by virtue of the Will executed by Sh. Gian Chand & registered on 6.4.1999 vide document no. 1909 in Additional Book no. 3, Volume 19 on pages 174-176, & he intends to sell the said property. If anyone has any kind of objection to this effect, he may submit his objections to the undersigned within 3 days, after which no objection would be entertained.

Sd/-
DINESH GARG
Advocate

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client Smt. Meena Rani W/o Late Sh. Madan Gopal R/o WZ-112A, Gali No. 8 Lajwanti Garden, New Delhi-46 has severed all her relations from her Son Sh Raman Gopal Sharma, his wife Smt. Neelam Sharma, their legal heirs 1.Saurabh 2. Sulabh & their Associates, disowned & debarred all of them from all her moveable & immovable properties with immediate effect because of harassment, torture, cruelty & atrocities committed by them against my client. Any person dealing with them, shall be doing so at their own risk, cost & consequences. My client shall not be responsible in any manner for the same.

Advocate A. K. Verma
319, DC, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

It is for general information thaty I SHANTY JOHN D/O THOMAS, W/O JOHN PETER JOHN residing at H. No. 95-A, Savitri Nagar, Malviya Nagar, South Delhi, Delhi- 110017 declare that name of mine has been wrongly written as SANTHI M.T. in my Educational Documents and name of mine has been wrongly written as SANTHI MEMANA THOMAS in my Passport. The actual name of mine is SHANTY JOHN, which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(ORDER 5, rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In the court of Sh. Manish Yaduvanshi
Addl. Distt. & Sessions Judge (Central)-11
Room No. 318, 3rd Floor, Tis Hazari Courts Delhi
Suit No. : CS/5947/18
Dr. Virendera Jain
Versus
Sanjay Kumar Kashyap

To,
Mr. Sanjay Kumar Kashyap
R/o B-9, Mandawali, Delhi-110092
Also at : Genius Copiers
5A/13, Ansari Road,
Darya Ganj, New Delhi-110002

WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 05-11-2019 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

GIVEN under my hand and the seal of the court, this 11-09-2019.

Sd/
Addl. Distt. & Sessions Judge (Central)-11
(Seal) Delhi

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड जावद, जिला नीमच (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. 63/अपील/2016-17
ई.नं. 172, दिनांक 26/09/2019

प्रेस- विज्ञप्ति
(स्वयं उपसंजात होने के लिए समन)

श्री ओंकारलाल पिता रामनारायण धाकड निवासी अठाना, तहसील जावद, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) हाल मुकाम नई दिल्ली

श्री गोरीलाल पिता मोहनलाल धाकड निवासी जावद ने न्यायालय तहसीलदार जावद के प्रकरण क्रमांक/09/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2017 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर बंटवारे आदेश को निरस्त कराने बाबत श्री रामचन्द्र पिता मोहनलाल धाकड निवासी अठाना दरवाजा जावद जिला नीमच आदि-07 के विरूद्ध अपील वाद इस न्यायालय में संस्थित किया है। इस न्यायालय द्वारा आपको आपके निवास स्थान अठाना दरवाजा जावद व शिक्षक कॉलोनी सतना में सूचना-पत्र जारी किये गये थे जो अदम तामील न्यायालय में प्राप्त हुए हैं। अपीलांट श्री गोरीलाल धाकड द्वारा वर्तमान में आपका निवास स्थान नई-दिल्ली में इस न्यायालय को बताया गया है परंतु पूर्ण पता न होने से यह समाचार-पत्र विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा रहा है। आपको इस न्यायालय में तारिख 9/10/2019 को दिन में 11:00 बजे अपील प्रकरण में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन सब दस्तावेजों को पेश करें जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 09.10.2019 को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह आज तारिख 26.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(दीपक चौहान)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड जावद जिला नीमच (म.प्र.)

मोहपाश मामले की पांचों महिला आरोपियों को 14 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत

इंदौर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 'हनी ट्रैप' (मोहपाश) मामले की पांचों महिला आरोपियों को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने 14 अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) मनीष भट्ट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने पांचों आरोपियों को 14 अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस बीच, मामले के आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने संवाददाताओं से बातचीत में पुलिस पर आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने उनकी मुवक्किल के साथ मारपीट की और उसे इस कदर मानसिक रूप से परेशान किया कि उसने शौचालय में कांच से अपनी कलाई काट ली।गुर्जर ने दावा किया, 'तथाकथित 'हनी ट्रैप' मामले में पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल, यह मामला पुलिस के गले की हड्डी बन चुका है।' इस बीच, जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बचाव पक्ष के वकील के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया।

गहलोत के बेटे वैभव का क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना तय

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 1 अक्तूबर।

राजस्थान में क्रिकेट की सियासत में भारी उठापटक के बाद अब यह तय हो गया कि क्रिकेट एसोसिएशन के अगले अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत होंगे। वैभव गहलोत ने मंगलवार को यहां एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल कर दिया। उनके सामने किसी अन्य ने परचा दाखिल नहीं किया है, इससे उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना अब तय हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछले लंबे अरसे से चल रही उठापटक के बाद मौजूदा अध्यक्ष डॉ.. सीपी जोशी का स्थान अब वैभव गहलोत लेंगे।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री प्रेम पाल पुत्र श्री सिया राम व इनकी पत्नी श्रीमती दर्शन देवी निवासी:-156, ब्लॉक-आर, फेस-11, गली नं०:-12, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली-94 (जो कि दोनो ही गूंगे-बहरे है) ने अपने पुत्र करन सिंह को उसके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में उसके किसी भी गलत कार्य के लिये मेरे मुविक्कल जिम्मेदारी नहीं होंगे।

Ashish Kumar Upadhyay (Advocate)
Off.:-E-223, Main Road
Khajuri Khas, Delhi-110094

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from & on behalf my client Smt. Joginder Kaur W/o Sh. Jaswinder Singh R/o P-28, First Floor, Left Side, Vishnu Garden, New Delhi-110018, has disowned her son Mr. Gurjeet Singh S/o Jaswinder Singh R/o P-28, First Floor, Left Side, Vishnu Garden, New Delhi-110018, due to his misbehavior, disobedient, illegal activities from all of my client's moveable, immovable assets & ceased all relations with him. It is further declared that any person whosoever deals with him shall do that entirely at his/her/their own risks, costs & responsibility and my client shall not be responsible for dealing with him if any person do so.

R.B. Singh (Advocate)
Ch.75, W.W., Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client, Mohd. Naeem S/o Abdul Hamid, R/o A-26/1, Sangam Vihar, Pushpa Bawan, South Delhi, New Delhi-110062 has severed all his relations with his son namely Mohd. Wasim, he is not in my client's control. Mohd. Naeem has disown Mohd. Wasim from all his moveable and immoveable properties with immediate effect. In-case any kind of misconduct, fighting, legal activity, any transaction done by them my client shall not be responsible for their any acts deed.

Pankaj Srivastava, Advocate
Chambers No. 466, Lawyers Block
Saket Court, New Delhi

PUBLIC NOTICE

My Client Krishna Sharma, w/o Late Sudesh Sharma, R/o A-6, FF, Jangpura-B, Pratap Market, New Delhi - 110014 have served their all relations with their son namely Sachin Sharma and his wife Radhika@Meena W/o Sachin Sharma (Daughter-in-law) due to their unsocial behavior and fighting regularly and misbehaving with my Client and other family members. My Client have also debarred /disowned them from all their movable and immovable properties. Now son and Daughter-in-law of my Client shall have no right, title and interest in any movable and immovable properties. Whoever makes any kind of legal and illegal deals with them, same shall be entirely at their own risk and consequences and my Client shall not be held responsible in any manner for their acts, deeds and things.

Sd/-
ABDUL QADIR (Advocate)
Chamber No. 23, New Lawyers Block, Supreme Court Of India
New Delhi-1100201

बकरी की मौत के बाद हुए आंदोलन से एमसीएल को 2.68 करोड़ का नुकसान

भुवनेश्वर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

ओड़ीशा में एक सड़क दुर्घटना में एक बकरी की मौत को लेकर हुए आंदोलन के कारण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को 2.68 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।

एमसीएल ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि एक कोयला परिवहन टिपर (डंपर) की चपेट में आने से एक बकरी की मौत हो गई थी। बकरी की मौत के लिए स्थानीय निवासियों ने 60 हजार रुपए के मुआवजे की मांग की। बयान में कहा गया है कि इस मांग को लेकर एक पड़ोसी गांव के कुछ निवासियों की भीड़ ने तालचेर कोयला क्षेत्र में सोमवार की सुबह 11 बजे से कोयला परिवहन के काम को रोक दिया।

इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अपराह्न दो बजकर 30 मिनट पर काम फिर से शुरू हो सका। काम बाधित होने के कारण एमसीएल को 2.68 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ। इस काम के रुकने से सरकारी खजाने को भी 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ।

बयान में कहा गया है कि कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से काम बाधित करने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए स्थानीय पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।

The Indian EXPRESS Classifieds

EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
HURRY UP BEFORE THE BATCH GETS FULL!!!!!!!
LIMITED SEATS EVENING BATCH FOR JUDICIARY ASPIRANTS NOW AT MUKHARJI NAGAR ON CONSTANT AND INEVITABLE DEMAND OF THE ASPIRANTS.
BATCH STARTS 25 NOVEMBER TIME 3:30-7:30
DJS MAINS TEST SERIES
Just after test there will be discussion on answer
3 Oct. Civil Law-I | 5 Oct. Civil Law-II
7 Oct. Criminal Law | 9 Oct. G.K. & Language
REGISTRATION FREE

MUKHERJEE NAGAR		KAROL BAGH / PUSA ROAD		
JUDICIAL (FOUNDATION 17 OCT., WEEKEND 20 OCT.)	CLAT 5 OCT.	JUDICIAL 16 OCT.	IAS (LAW) 14 OCT.	CLAT 7 OCT.
880066-0301 / 2130 / 0380		880066-2140 / 011-49841810		

B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Ngr, Delhi -9
011-47532639 / 8800650301 Toll Free No. 1800-12000-2001
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

ठाणे में कार से 20 लाख बरामद

ठाणे, 1 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने सोमवार को एक कार से 20 लाख रुपए की नकदी जब्त की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साईबाबा जांच चौकी पर रोके गए वाहन का चालक इन रुपयों के स्वामित्व के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

मॉरीशस के साहित्यकार रामदेव धुरंधर को आचार्य द्विवेदी सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

इस वर्ष का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रेरक सम्मान मॉरीशस के साहित्यकार रामदेव धुरंधर को प्रदान किया जाएगा। आचार्य द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि समिति के निर्णायक मंडल ने धुरंधर को सम्मान देने का फैसला किया है।

रामदेव धुरंधर

धुरंधर मॉरीशस में रहते हैं और उनका भारत की मिट्टी से गहरा लगाव है। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के रहे हैं। उनके महाकाव्यात्मक उपन्यास 'पथरीला सोना' में किसान-मजदूरों के रूप में भारत से मारीशस गए पूर्वजों के संघर्ष का मार्मिक चित्रण है, जो प्रवासी साहित्य में ऐतिहासिक स्थान रखता है। इसके साथ ही डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान महाराष्ट्र में वनवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर दंपति प्रकाश आमटे एवं उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे को दिया जाएगा।

समिति के महामंत्री अनिल मिश्रा ने बताया कि सीबीएसई की इंटर परीक्षा में राष्ट्रीय प्रतिभा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली जनपद की मेधावी छात्रा ऐश्वर्य सिन्हा का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। समिति के संयोजक विनय द्विवेदी ने बताया कि रायबरेली जिला मुख्यालय पर नौ नवंबर को आयोजित होने वाले स्मृति समारोह में यह सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश और विदेश के साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शिरकत करेंगे।

आचार्य द्विवेदी समित पिछले 15 सालों से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन आयोजित करती है। इससे पहले यह सम्मान नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, काशीनाथ सिंह, प्रभाष जोशी, वेद प्रताप वैदिक, अच्युतानंद मिश्र, सिंधु ताई, देश की पहली ट्रांसजेंडर मां गौरी सावंत और भारत यायावर को प्रदान किया जा चुका है।

कला के विभिन्न आयामों की प्रदर्शनी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

कृष्ण के साथ आलिंगन। मोहिनी मिश्रा की इस पेंटिंग में प्रेम और वात्सल्य का भाव झलक रहा था। जहां रंग-संयोजन इसे आध्यात्मिक स्वरूप दे रहा है तो कला दीर्घा में इसका एक आधुनिक संदेश भी है। कलाकृति फाउंडेशन के तहत कला सृष्टि की दूसरी वार्षिक राष्ट्रीय सामूहिक कला प्रदर्शनी में पेंटिंग, मूर्ति और छायाचित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन छाया पत्रकार, लेखक और पत्रकार प्रदीप चंद्रा ने किया। बहादुरशाह जफर मार्ग पर आर्टीजन आर्ट गैलरी में लगी इस प्रदर्शनी में फाउंडेशन से जुड़े मोहिनी मिश्रा सहित कई कलाकारों के विभिन्न आयाम दिखे। कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक जागरूक नजरिए के साथ 1999 में कलाकृति फाउंडेशन की स्थापना प्रशांत के सरकार ने की थी। बच्चों और युवाओं को कला के विभिन्न माध्यमों में पारंगत कर समाज के विभिन्न विषयों से संवाद करवाना संस्था का मकसद है।

संस्था का मानना है कि कमजोर तबके के बच्चों को उचित मंच मुहैया करव उन्हें कला और संस्कृति से जोड़ेंगे तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र और समृद्ध होगा। यह प्रदर्शनी एक से छह सितंबर तक चलेगी। प्रदर्शन में व्योम अग्रवाल को प्रथम और सुप्रिया राणा को उनकी कला के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

बदहाल सड़कों का जायजा लेगी 'आप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

सड़कों को दुरुस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) शनिवार को सड़कों पर उतरेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत लोक निर्माण विभाग की 1260 किलोमीटर लंबी सड़कों की जांच होगी और उनमें खामियां तलाशी जाएंगी। यह जांच 'आप' विधायक व अभियंता मिलकर करेंगे। जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल खामियों को दूर किया जाएगा। दिल्ली में धूल, कण व प्रदूषण में कमी लाने के इरादे से सरकार ने यह पहल की है।

दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। प्लान के तहत 1260 किलोमीटर लंबी सड़क ठीक की जाएंगी। 50 विधायक व 50 अभियंता एक साथ क्षेत्र में जाएंगे। यह टीम अपने कार्य क्षेत्र में 25 किलोमीटर की सड़क जांच करेगी। इस जांच के दौरान जुटाई गई जानकारियों को पीडब्लूडी के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एसेट रिकवरी ब्रांच
डी-26/28, प्रथम तल, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली-110001
Email id: arbdelhi@unionbankofindia.com

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)
(नियम 8 (1))

जैसा कि

अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एसेट रिकवरी ब्रांच, 26/28-डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **06.04.2016** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड** को मांग नोटिस में वर्णित ऋण **रू. 1,03,68,95,951/- (एक सौ तीन करोड़, सड़सठ लाख, पिचानवे हजार नौ सौ इकावन) की राशि 24.06.2015** से आगे का ब्याज, खर्च अन्य शुल्क सहित नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी/गारंटर द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **27.09.2019** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/गारंटर तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एसेट रिकवरी ब्रांच, 26/28-डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001** को देय धनराशि **रू. 1,03,68,95,951/- (एक सौ तीन करोड़, सड़सठ लाख, पिचानवे हजार नौ सौ इकावन) 24.06.2015** से आगे का ब्याज शुल्क सहित देना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रितकिया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

स्वामित्व सम्पत्ति: मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

वह सम्पूर्ण भूमि और जिसमें पवन चक्कियों के साथ वे सभी कृषि भूमि के टुकड़े है जो मिल्स नम्बर-3148 और 3149, शामिल सर्वे नम्बर-74/1 (भाग), 75/6 (भाग) और 75/7 (भाग) जो सभी भाग 3,.25 एकड़ में देवरकुलम गांव, संकरांकोविल तालुक तिरूनेलवेली, जिला तमिलनाडू में स्थित है।

दिनांक: 27.09.2019
स्थान: तिरूनेलवेली

प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**प्रभु शांति रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	07/05/2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45201DL2004PTC126261
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	फ्लैट नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-डी, पॉकेट -5, सेक्टर 15, रोहिणी, नई दिल्ली -110089
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भन की तिथि	13/06/2018
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	02/10/2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता	ई–103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 या irpepoch@gmail.com
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड	ई–103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 या irpepoch@gmail.com
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	11 अक्टूबर, 2019 (माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के अधीन)
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	12/10/2019
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	14/10/2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	16/10/2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	16/10/2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	irpepoch@gmail.com पर ई–मेल करें या ई–103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 से प्राप्त करें।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06 नवंबर, 2019 (माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के अधीन)
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	ई –103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 पर भौतिक दस्तावेजों का पूरा सेट
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	08/11/2019
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**अभिषेक आनंद** IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**अभिषेक आनंद** **पता :** ई –103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 **ई–मेल :** irpepoch@gmail.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**पता :** ई –103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 **ई–मेल :** irpepoch@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अधवा के पास उपलब्ध है	**पता :** ई –103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048 **ई–मेल :** irpepoch@gmail.com **अभिषेक आनंद के पास**
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	**02/10/2019**

हस्ता/–
अभिषेक आनंद
समाधान पेशेवर, प्रभु शांति रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के लिए
IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077
ई–103, जी के एनक्लेव –1, नई दिल्ली –110048

तिथि: 02/10/2019
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओ. ए नं. 760/2017

कॉर्पोरेशन बैंक आवेदक
विरूद्ध
श्री विजय प्रकाश गुप्ता एवं अन्य प्रतिवादी

सेवा में,
1. श्री विजय प्रकाश गुप्ता (प्रति. नं. 01)
पुत्र श्री रघुबीर प्रसाद गुप्ता, एफ–117, शकूरपुर, नई दिल्ली–110034
और : जीएम, प्रोडक्शन, सुकम पावर सिस्टम लि.
196 सी, उद्योग विहार, सेक्टर –37 गुरुग्राम, हरियाणा –122001
2. सुश्री उमलेश गुप्ता (प्रति. नं. 02) पत्नी श्री विजय प्रकाश गुप्ता, एफ–117, शकूरपुर, नई दिल्ली–110034

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये **38,19,203.00** (रु. अडतीस लाख उन्नीस हजार दो सौ तीन मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 09.10.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे** माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **31 अगस्त, 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
रजिस्ट्रार

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओ. ए नं. 358/2018

कॉर्पोरेशन बैंक आवेदक
विरूद्ध
ज़ोन पचेको एवं अन्य प्रतिवादी

सेवा में,
1. श्री ज़ोन पचेको पुत्र श्री लियो पचेको, 184–185, रोहिणी, पॉकेट–3, सैक्टर–25, रोहिणी, दिल्ली–110085, और: ऑपरेशन एनालिस्ट यूनाइटेड एविएशन सर्विसेज, पीओ बॉक्स नं. 54482 दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन दुबई, यूएई
2. सुश्री लोर्ना पचेको पत्नी श्री लियो पचेको, 184–185, रोहिणी, पॉकेट–3, सैक्टर–25, रोहिणी, दिल्ली–110085
3. मैसर्स पैबल्स् प्रोलीज़ प्रा. लि. (बिल्डर एंड डेवलपर), इसके निदेशक : ए–169, द्वितीय तल, मंडावली फजलपुर, गंगा राम गली, शकरपुर, दिल्ली–110092, और: सी–56/40, सैक्टर–62, नोएडा, यू.पी–201307

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये **72,12,059.00** (रु. बहत्तर लाख बारह हजार उनसठ मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 03.10.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे** माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **31 अगस्त, 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
रजिस्ट्रार

1250 किलो बेकार प्लास्टिक से बना 1650 किलोग्राम वजन का चरखा

प्लास्टिक कचरे से तैयार सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 अक्तूबर।

सेक्टर- 94 स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास मंगलवार को प्लास्टिक कचरे से निर्मित विश्व के सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी ने किया। लोकार्पण के साथ ही इस चरखे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज कराने की योजना है।

1250 किलो इस्तेमाल हो चुकी बेकार प्लास्टिक से बने इस चरखे का वजन 1650 किलोग्राम है। यह चरखा 14 फुट की ऊंचाई पर 20 फुट लंबा और आठ फुट चौड़ा है। इस अवसर पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह व नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सेक्टर-39 में बने पिंक (गुलाबी) शौचालय का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र से घर-घर से कूड़ा उठाने (डोर टू डोर) वाली

15 अतिरिक्त गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। अगले एक सप्ताह में 35 और गाड़ियों को इस बेड़े में शामिल किया जाएगा। कुल 175 गाड़ियां आ जाने के बाद शहर के घर- घर से कूड़ा उठाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, इस चरखे को चलाया भी जा सकेगा। इस मौके पर

स्मृति ईरानी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां यह जरूर पूछेंगी कि महिला सम्मान के लिए जो अब हुआ वह 70 साल में मुमकिन क्यों नहीं हो सका? आज नोएडा सीईओ ने पिंक शौचालय का उद्घाटन कराया है। कपड़ा मंत्री के नाते आज मैं आनंदित थी, जब प्लास्टिक कचरे से बने एक चरखे का उद्घाटन किया।

प्लागिंग करेंगे लोग

नई दिल्ली । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक 'प्लॉगिंग' में नजर आएंगे। प्लॉगिंग एक अनोखी अवधारणा है जिसमें जॉगिंग करते हुए प्लास्टिक कचरा उठाना शामिल होता है। विश्व में किसी एक विद्यालय शृंखला का सबसे बड़ा प्लॉगिंग आयोजन है। इसमें लगभग 2.4 लाख किलोमीटर की अनुमानित दूरी तय की जाएगी।

नोएडा। फिट इंडिया, स्वच्छ भारत एवं प्लास्टिक फ्री इंडिया के साथ प्रतिभागी दौड़ते हुए प्लास्टिक को एकत्र करेंगे। वाहनों के जरिए नोएडा स्टेडियम में प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सीमेंट कंपनियां करेंगी। कार्यक्रम के लिए ड्रोन कैमरों से ऐसे 100 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा था। इसमें 15 हजार लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है।

सफाई के बाद खुला था नाला

घर के बाहर खेल रही बच्ची गिरी, मौत

- परिजनों ने लगाया आरोप, निगम लापरवाही से हुआ हादसा
- निगम कर्मचारियों ने नाले की सफाई कर उसे ढका नहीं

गाजियाबाद, 1 अक्तूबर (जनसत्ता)।

साहिबाबाद में गहरे नाले में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसा राजेंद्र नगर सेक्टर-5 में खेतान पब्लिक स्कूल के गेट नंबर-1 के पास मंगलवार सुबह हुआ। वही परिजनों ने घटना का जिम्मेवार नगर निगम को बताया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि 10 दिन पहले नाले की सफाई की गई थी, मगर नाला ढका नहीं गया था।

स्कूल के गेट नंबर एक से करीब 15 कदम की दूरी पर धनपत कॉलोनी चूना भट्टी है। यहां पर अनिल शर्मा और उनकी पत्नी कोमल मकान नंबर 7/12 में रहते हैं। मंगलवार की सुबह परिवार के सभी लोग घर में मौजूद थे। करीब 11 बजे के बीच तीन साल की अनन्या गेट खोलकर बाहर खेलने के लिए चली गई। काफी देर तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने बाहर ढूंढा। इसके बाद आस पास रहने वाले पड़ोसियों से उसके बारे में जानकारी ली, मगर कुछ पता नहीं चला। लोगों ने पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला। मगर उसका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद परेशान होकर पिता अनिल ने दोपहर डेढ़ बजे के करीब शालीमार गार्डन पुलिस चौकी पर बेटी के गुम हो जाने की सूचना दी। दोपहर पुलिसकर्मी जानकारी लेने घर पर पहुंचे। पिता और पुलिसकर्मी बाहर निकल रहे थे तभी किसी पड़ोसी ने घर के सामने कुछ दूरी पर बने नाले में एक नजर देख लेने की सलाह दी। इस पर पिता अनिल डंडा लेकर आए और उसके अंदर तलाशने लगे। तभी उन्हें बेटी का हाथ बाहर नजर आया। यह देखते ही हड़कंप मच गया और वह नाले में बच्ची को निकालने के लिए कूद पड़े। नाले से बाहर निकालने के बाद लोगों ने अनन्या पर पानी डालकर साफ किया। परिजन बच्ची को तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह राजबाग कॉलोनी स्थित सेंट प्रिंसेस पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ रही थी। स्कूल में इंटर्नल पेपर चल रहे थे। इस चलते मंगलवार को स्कूल में छुटटी थी। पिता अनिल शर्मा ने बताया कि 8 दिसंबर को उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाने वाले थे। पिता ने बताया कि उनकी बेटी एक आवाज देने पर तुरंत जवाब देती थी लेकिन आज उस पूरा दिन आवाज देते रहे, मगर नहीं बोली। सफाई के बाद अगर नाले को ढका गया होता तो शायद हादसा नही होता।

केजरीवाल के एनआरसी बयान पर भाजपा ने किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

'एनआरसी' मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के उस विवादित बयान पर हंगामा कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि एनआरसी लागू होने पर सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को बाहर जाना होगा। भाजपा मामले को पूर्वांचल से आए लोगों से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री आवास पर हुए प्रदर्शन की अगुआई भाजपा नेता विजय गोयल ने की।

कार्यकर्ता आइटीओ स्थित शहीदी पार्क पर एकत्र हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विजय गोयल ने कहा कि इस बयान से मुख्यमंत्री बिहार, उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल से आने वाले लोगों को अपमानित कर दिखा रहे हैं कि इनके प्रति उनके मन में कितना गुस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वे बिहार से आए लोगों से क्यों चिढ़ रहे हैं। यह लोग भी दिल्ली के विकास में बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि यदि बिहार से आए लोग दिल्ली के ऊपर बोझ हैं, तो स्वयं मुख्यमंत्री गाजियाबाद में रहते हैं और मूलरूप से हरियाणा के रहने वाले हैं।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी हताशा व निराशा जताता है। इस बयान से अरविंद केजरीवाल का जन विरोधी चेहरा सामने आ गया है। प्रदर्शन में सरदार आरपी सिंह, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव, प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी नीलकांत बख्शी समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद

उपचार करते हैं तो हमें खुशी होती है : मुख्यमंत्री

मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने आजतक इलाज या शिक्षा के लिए किसी भी क्षेत्र से आए शख्स को इनकार नहीं किया। दिल्ली की बेहतर व्यवस्था की वजह से दूर-दूर से लोग यहां उपचार कराने आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नई पार्टी है और हम राजनीति में नए हैं। लोगों को उपचार और शिक्षा मिलने से तो हमें खुशी होती है। पूरे देश के अंदर दिल्ली जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था व शिक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

केजरीवाल का दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज कराने पर दिया बयान पर अखिल भारतीय प्रांतीय प्रवासी एवं दलित विकास मंच के अध्यक्ष व बुराड़ी विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी गोपाल झा ने मंगलवार को एक बयान में कहा दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पूरे देश के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में आते है। देश भर से आए इस प्रकार के प्रवासी लोगो से ही दिल्ली की रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। ऐसे में केजरीवाल का यह बयान ओछी मानसिकता के साथ पूरे देश भर के प्रवासियों का अपमान है।

टायर बदलते समय बस के नीचे दबकर चालक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 अक्तूबर।

सेक्टर-44 स्थित सोम बाजार के पास मंगलवार सुबह बस का पंचर टायर बदलने के दौरान जैक फिसलने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोग घायल चालक को सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना सेक्टर-39 के एसएचओ नीरज मलिक ने बताया कि मूलरूप से बिहार का रहने वाला वीरपाल सिंह (40) बस चालक के रूप में काम करता है। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे उसकी बस सोम बाजार के पास खड़ी थी। बस का टायर पंचर हो गया था। वीरपाल बस में जैक लगाकर टायर बदल रहा था। इसी दौरान बस में लगा जैक फिसल गया और वीरपाल बस के नीचे दब गया। वहां मौजूद अन्य बसों के परिचालक आदि ने किसी तरह वीरपाल को बाहर खींचा। गंभीर रूप से घायल वीरपाल को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आइपी: शिक्षक ने खोजी मकड़ी की नई प्रजाति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रबंधन स्कूल के एक शिक्षक डॉक्टर संजय केशरी दास ने ओड़ीशा के बालेश्वर जिले में मकड़ी (ट्रैपडोर स्पाइडर) खोज की है। इसको 'इडियोप्स नीलागिरी' नाम दिया गया है जो कि माइग्लामोर्फ्स प्रजाति की है। रात को यह मकड़ी अपने खास तरह के घर का छोटा सा दरवाजा खोल देती और वहां से गुजरने वाले छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाती है।

इसकी लंबाई 8 से 13 मिली तक हो सकती है। डॉक्टर दास दिल्ली से कुल्धिया वन्य अभयारण्य में मकड़ियों की विविधता पर कार्य करने के लिए ओड़ीशा गए थे। इसी दौरान उन्होंने नीलागिरी शहर के पास के जंगल में इन्हें अपने सर्वेक्षण के दौरान खोजा। संजय के मुताबिक नीलागिरी शहर अपनी जैविक विविधताओं के लिए जाना जाता है। खोज के दौरान उनके साथ एमएससी की दो छात्राएं दीक्षा और रुही असरा खान भी साथ थीं। इनकी यह खोज एशिया पेसेफिक बायोडाइवर्सिटी जर्नल में प्रकाशित हो चुकी है। इस मकड़ी की आंखें आगे की ओर होती हैं। डॉक्टर दास के मुताबिक, इस खोज के बाद दुनिया में मकड़ी की संख्या 48277 हो गई है और भारत में 1910 हो गई है।

नोएडा में गोली मारकर गायिका की हत्या

दिल्ली में भी दो को मौत के घाट उतारा

नोएडा, 1 अक्तूबर (भाषा)।

थाना बीटा- 2 क्षेत्र की मित्रा सोसायटी के पास मंगलवार रात दो बदमाशों ने एक रागिनी गायिका के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुध नगर वैभव कृष्ण ने बताया कि 25 वर्षीय गायिका सुषमा को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने थाना बीटा-2 क्षेत्र के मित्रा सोसायटी के पास मंगलवार रात को गोली मार दी। उपचार के लिए उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया की 19 अगस्त 2019 को बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत मेहसाणा गांव में जब वह एक कार्यक्रम में गाने गई थीं, तब भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर में एक मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार को बुलंदशहर में पुलिस से मुकदमे के सिलसिले में मिलने गई थीं। बुलंदशहर से लौटते समय उन पर हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कल्याणपुरी में युवक को कार सवारों ने गोली मारी, फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में मंगलवार सुबह कार सवार बदमाशों ने जसपाल सिंह नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। पुलिस आपसी रंजिश सहित अन्य बिंदुओं से जांच रही है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पीसीआर को सूचना मिली कि एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में आस पास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि घटना के समय कार सवार युवक सड़क पर गाली देते हुए जा रहे थे। जसपाल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी।

मुंडका में अपना उधार मांगने पर युवक की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

मुंडका में लेन-देन के विवाद में कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की उनके घरेलू सहायक के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वह फरार हो गए। 40 साल के मंजीत अपने परिवार के साथ हिरन कूदना में रहते थे। वह खेती कराते थे। उपायुक्त राजेंद्र सिंह के मुताबिक मंजीत खेत में सो रहे थे। तभी देर रात करीब साढ़े 11 बजे एक कार में कुछ युवक पहुंचे और पिस्तौल से मंजीत के सिर में गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। मंजीत के चाचा सतबीर ने पुलिस को बताया कि करीब तीन साल पहले पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने मंजीत के पिता से उधार में रुपए लिए थे। जिन्हें वह वापस नहीं कर रहे थे।

खबरों में शहर

उन्नाव बलात्कार: मजिस्ट्रेट का बयान दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

उन्नाव बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्नाव के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित दो लोगों के बयान दर्ज किए। बंद कमरे में चली अदालती कार्यवाही में मजिस्ट्रेट और एक अन्य गवाह, जिला जज धर्मेश शर्मा के समक्ष पेश हुए। दोनों का नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। वकीलों के मुताबिक, पेश इन्हीं मजिस्ट्रेट ने वारदात के बाद बलात्कार पीड़िता की मां का बयान दर्ज किया था। उस समय (11 जून, 2017) उन्होंने पीड़िता की भी आपबीती सुनी थी।

पंडालों के पास चलेगा 'रोको-टोको' अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

दुर्गा पूजा और रामलीलाओं की भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिरों और रामलीला पंडालों के आस पास मोटरसाइकिल और पैदल गश्त कर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। जिले की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर को विशेष तौर पर 'रोको-टोको' अभियान चलाने का फरमान जारी किया गया है। इसके साथ 907 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और 317 अवरोधक लगाकर विशेष तौर पर अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल कुमार मित्तल ने बताया कि आयोजन समितियों के पंडालों के आस पास मचान लगाकर पुलिस के कमांडो नजर रख रहे हैं।

जेल में घर का भोजन चाहते हैं चिदंबरम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम न्यायिक हिरासत में भोजन में घर का बना खाना लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अदालत में दरख्वास्त लगाई है। जिसपर अदालत तीन अक्तूबर को फैसला कर सकती है। चिदंबरम फिलहाल तीन अक्तूबर तक तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत में लगी अर्जी में कहा गया है कि चिदंबरम (73) को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है। लिहाजा घर का खाना उनको मुहैया कराने के निर्देश दिए जाने की जरूरत है।

उत्तरी और मध्य दिल्ली में सामान्य हुई पानी आपूर्ति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से प्रभावित हुई जलापूर्ति को मंगलवार को सामान्य कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी। यमुना नदी में पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र से गंदा पानी आने की वजह से एक दिन पूर्व पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इस पर खुद मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर पानी की किल्लत होगी तो दूसरे संयंत्र से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मंगलवार सुबह पानी की गुणवत्ता में सुधार आने के बाद संयंत्र फिर से चालू किए गए हैं।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हेबीटाट सेंटर : गांधी जयंती पर कवि सम्मेलन, गुलमोहर सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : फिल्म, स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

बिरला मंदिर : तेजोबिंदु उपनिषद पर व्याख्यान, गीता भवन, बिरला मंदिर, सुबह सात बजे से, 6 अक्तूबर तक।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 166/2019-20/RDD(RWA)/LATEHAR दिनांक :- 01.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1	RDD(RWA)/ LATEHAR/09/ 2019-20	बरवाडीह विवेकानन्द चौक से मंगरा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल- 6.700 कि0मी0)	2,13,56,100.00	दो करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार एक सौ रू0 मात्र	12 माह
2	RDD(RWA)/ LATEHAR/10/ 2019-20	एन0एच0-75 बुटन दुबे के घर से कुसुमाटांड भाया मचायत सचिवालय तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल- 4.400 कि0मी0)	1,39,59,100.00	एक करोड़ उनचालीस लाख उनसठ हजार एक सौ रू0 मात्र	09 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 11.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 22.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 23.10.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 24.10.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, लातेहार के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

PR 218609 (Rural Work Department) 19-20 (D)

बूंद - बूंद नही बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सैल

जिनके लिए सफाई है रोजी-रोटी

जल्दी बात खत्म करो और भी जगह झाड़ू लगाने जाना है

निगम सफाई कर्मचारियों से बातचीत में दिखी उनकी पीड़ा

मीना
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

सुबह के आठ बज रहे हैं। गली में आवाजाही लगी है। मुंह पर लाल रंग का दुपट्टा बांधे हुए राजेश गली में झाड़ू लगाते हुए बात करती हैं और बार-बार कहती हैं कि जल्दी बात खत्म करो, मुझे और भी जगह झाड़ू लगाने जाना है। राजेश देवी 2015 से पूर्वी नगर निगम में सफाईकर्मी हैं। वे बताती हैं कि इससे पहले कई साल कच्चे कर्मचारी के रूप में काम किया अब पक्की हुई हूं। राजेश की दिनचर्या सुबह चार बजे से शुरू हो जाती है।

वे बताती हैं कि घर का काम खत्म कर-के खुद के लिए चार रोटियां बना लेती हूं। वे द्वारका से सुबह छह बजे मंडावली में बने एक कमरे के कार्यालाय में अपनी हाजिरी लगाती हैं। उसके बाद गलियों में झाड़ू लगाने के लिए निकल जाती हैं। वे बताती हैं कि हमारे लिए सफाई केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि जो मोहल्ले हमें सफाई के लिए मिले होते हैं उन सब की सफाई करना हमारा कर्तव्य है। जब किसी मोहल्ले की गलियां साफ दिखेंगी तो हमारे अधिकारी भी हमारी तारीफ करेंगे और सफाई से किसी को नुकसान तो होता नहीं बल्कि हमारा अपना ही स्वास्थ्य ठीक रहता है।

वे कहती हैं कि तन और मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी सड़कों और गलियों की। राजेश कहती हैं कि लोगों को लगता है कि हम सफाईकर्मी हैं तो गंदे रहते होंगे बल्कि ऐसा नहीं है हम भी अपनी सफाई का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कोई और आदमी। राजेश की शिकायत है कि हम लोगों के लिए सफाई करते हैं लेकिन जो क्षेत्र हमें मिला होता है वहां हमारे लिए कोई ऑफिस नहीं होता। तेज धूप में भी पार्क में बैठकर खाना खाते हैं। बारिश में भी ऐसी ही भीगते रहते हैं। वे कहती हैं कि हम अपना घर छोड़ते हैं तब मोहल्ले को साफ रखते हैं। मैं अपने काम को बहुत सम्मान से देखती हूं। यही हमारी रोजी रोटी है।

बापू की तस्वीर आज भी स्वच्छता के नारों में दिखाई देती है। जब जब स्वच्छता की बात आती है तब तब महात्मा गांधी का जिक्र होता है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। गांधी के स्वच्छता पर विचार आज के सफाईकर्मियों के लिए आजीविका का हिस्सा हैं। आज की महिला केवल घर की साफ-सफाई करने के लिए ही नहीं पहचानी जाती है बल्कि उसने सफाई को अपनी रोजी-रोटी का जरिया बना लिया। वे महिला सफाईकर्मी जो निगम में नियमित सफाईकर्मी हैं उनका मानना है कि स्वच्छता हमारी आदत होनी चाहिए। 1998 से निगम में जुड़ी नियमित सफाईकर्मी बबिता का कहना है कि मेरे लिए साफ-सफाई रोजी रोटी का जरिया है। मेरा काम केवल एक दिन हाथ में झाड़ू लगाकर फोटो खिंचाने से पूरा नहीं होता है। हम अपनी रोजी-रोटी के साथ मजाक कैसे कर सकते हैं।

हमें साल के हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तब जाकर बच्चों का पेट पाल पाते हैं। वे कहती हैं कि अगर किसी मोहल्ले की गलियां या नालियां साफ रहती हैं तो वे हमारी बदौलत हैं। अगर हम एक दिन सफाई न करें तो कचरे का ढेर लग जाता है। वे कहती हैं कि स्वच्छता उतनी ही जरूरी है जितना भोजन। बबिता का कहना है कि अगर हम अपने आसपास साफ-सफाई रखेंगे तो हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे।

नई दिल्ली

‘आयुष्मान भारत’ की कमियों को दूर किया जा रहा है : मोदी

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ‘आयुष्मान भारत योजना’ की मदद से पिछले एक साल में कम आय वर्ग के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना इसकी कामयाबी का प्रतीक है और पिछले एक साल के अनुभव से सबक लेकर योजना की कमियों को दूर किया जा रहा है।

मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का पहला साल पूरा होने पर इसके अनुभवों पर चर्चा के लिए मंगलवार को आयोजित ‘आरोग्य मंथन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महज एक साल में इस योजना के 46 लाख लाभार्थी बहुत बड़ी सिद्धि हैं। साथ ही इस योजना की कामयाबी को सुचारु रखने के लिए इसे व्यवस्थागत तौर पर तकनीक की मदद से कमियों से मुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच से सात सालों में आयुष्मान योजना रोजगार के 11 लाख से अधिक अवसर सृजित करेगी। मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में आयुष्मान योजना विश्व समुदाय के लिए नजीर साबित हुई है। इसकी कामयाबी के बलबूते ही ‘पीएम जय योजना’ सही मायने में ‘गरीबों की जय’ बन गई है।इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना के 33 लाभार्थियों से मुलाकात कर उनके अनुभवों को सुना। इस अवसर पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

‘पाकिस्तान को किसी भी समय काली सूची में डाल सकता है एफएटीएफ’

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) आतंकियों का वित्त पोषण करने के लिए पाकिस्तान को किसी भी समय काली सूची में डाल सकता है। अगस्त माह में एफएटीएफ के एशिया प्रशांत समूह ने पाकिस्तान को आतंक की ‘काली सूची’ में डाल दिया था क्योंकि वह भारत में हुए कई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी समूहों तक धन पहुंचने से रोकने में विफल रहा था।

सिंह ने रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम में कहा–आतंक के वित्त पोषण के लिए एफएटीएफ किसी भी वक्त पाकिस्तान को काली सूची में डाल सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में वित्तीय प्रगति के बिना अत्यधिक सैन्यीकरण और गलत नीतियों के चलते ऐसे हालात बन गए हैं कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक विमान का बंदोबस्त तक नहीं कर पाए।सिंह का यह वक्तव्य उस पृष्ठभूमि में आया है जब इस्लामाबाद के लिए निकले खान और उनके प्रतिनिधिमंडल को मजबूरी में न्यूयॉर्क लौटना पड़ा क्योंकि सऊदी सरकार की ओर से उन्हें दिए गए विशेष जेट विमान में तकनीकी खामी आ गई थी।

नदी में डूबे बीएसएफ के जवान का शव सौंपा पाकिस्तान ने

जम्मू/नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक उपनिरीक्षक का शव मंगलवार को भारत को सौंप दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उपनिरीक्षक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू में पिछले सप्ताह एक नदी में डूब गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि पारितोष मंडल का शव पाकिस्तान क्षेत्र में मिला था और पाकिस्तान रेंजर्स ने शव मिलने के बारे में सूचित किया था। मंडल और दो अन्य जवान 28 सितंबर को भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गश्त के लिए निकले थे। इसी दौरान अरनिया सेक्टर में स्थित एईक नाला में मंडल लापता हो गए थे।

उन्होंने बताया कि मंडल की तलाश में बीएसएफ और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की ग्रामीणों ने भी मदद की थी लेकिन उनका पता नहीं चल पाया था। अधिकारियों ने बताया कि जिस नदी में सैनिक डूबा था, उसका स्तर भारी बारिश के कारण बढ़ा हुआ था। मंडल (54) पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रहने वाले थे।

राजीव कुमार को अग्रिम जमानत

कोलकाता, 1 अक्तूबर (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को नगर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राहत प्रदान करते हुए करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।

न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता के पीठ ने कहा कि अगर इस मामले में सीबीआइ कुमार को गिरफ्तार करता है तो उन्हें 50–50 हजार रुपए के दो मुचलके पर सक्षम अदालत जमानत पर तुरंत रिहा करे। पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआइ के साथ वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी कुमार ने सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।

एअर मार्शल एचएस अरोड़ा बने वायुसेना उप प्रमुख

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

एअर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने मंगलवार को वायुसेना उपप्रमुख का पद्भार संभाल लिया। अरोड़ा ने एअर चीफ मार्शल आरके भदौरिया की जगह ली है, जिन्होंने सोमवार को वायु सेना प्रमुख का पद्भार ग्रहण किया। एअर मार्शल अरोड़ा को दिसंबर 1981 में भारतीय वायुसेना की युद्धक इकाई में शामिल किया गया था। उन्हें वायुसेना के आधुनिक व अन्य लड़ाकू विमानों को उड़ाने का काफी अनुभव है।

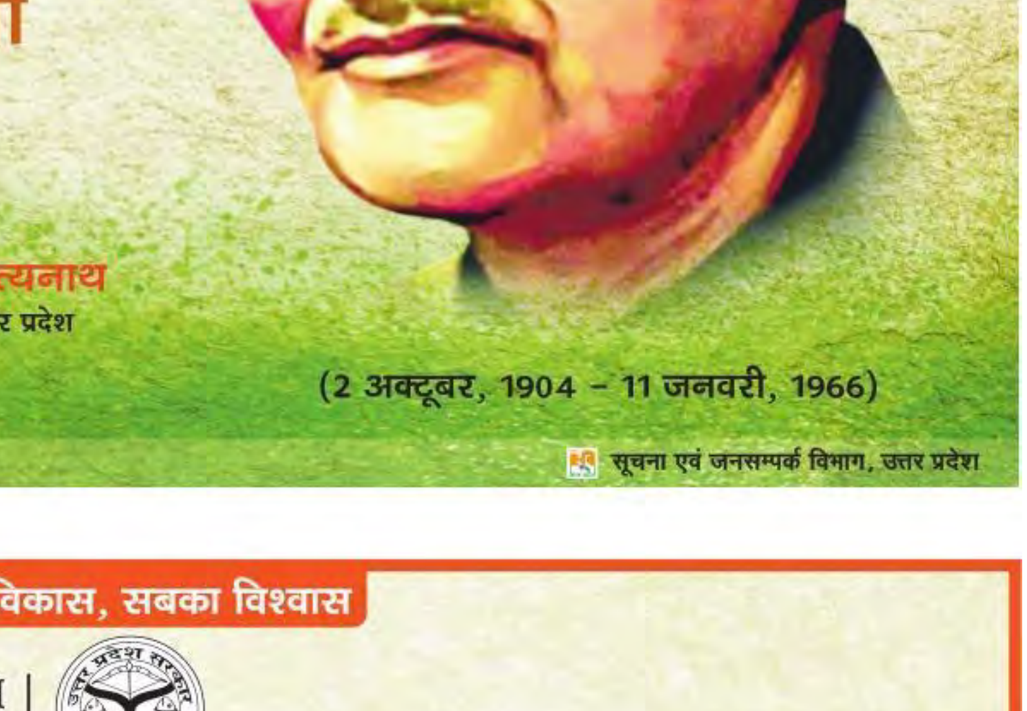

रेत खनन मामला : सीबीआइ ने यूपी व उत्तराखंड में 11 जगहों पर छापे मारे

नई दिल्ली/सहारनपुर। सीबीआइ ने सहारनपुर में रेत खनन के अवैध पट्टे आबंटित किए जाने के संबंध में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 11 स्थानों पर तलाशी ली व छापे मारे।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एजेंसी ने सहारनपुर में पट्टों के आबंटन के मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है जिसके बाद ये छापेमारी हो रही है। सीबीआइ की टीमों ने सहारनपुर में रेत खनन के पट्टों के आबंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों में देहरादून, सहारनपुर और लखनऊ समेत करीब 11 जगहों पर स्थित आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली। (भाषा)

जनसत्ता

स्पष्ट रुख

दो-ढाई महीनों में यह तीसरा मौका है जब भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कश्मीर मसले पर वह तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेकर दिल्ली लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर इसी रुख को दोहराया है कि कश्मीर मुद्दे पर हम कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर जो भी बातचीत होनी है, वह द्विपक्षीय ही होगी। पिछले चार दशकों में भारत का यही स्पष्ट रुख है और हम इसी पर कायम हैं। यह बात हाल में एक बार फिर इसलिए उठी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की फिर पेशकश कर डाली। लेकिन विदेश मंत्री का स्पष्ट रुख बता रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत न तो कभी मध्यस्थता का पक्षधर रहा है, न रहेगा। भारत हमेशा से कहता आया है कि जब कश्मीर समस्या दो देशों के बीच की है तो इसमें किसी तीसरे देश को बीच में क्यों पड़ने देना चाहिए! सवाल है कि भारत और पाकिस्तान आपस में क्यों नहीं बात कर सकते? भारत तो कहता ही रहा है कि वह कश्मीर सहित हर मुद्दे पर पड़ोसी देश के साथ बात करने को तैयार है, बशर्ते वह पहले सीमापार आतंकवाद बंद करे। पर पाकिस्तान ऐसा इसलिए नहीं करता कि कश्मीर को लेकर उसकी मंशा ही साफ नहीं है।

पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जिस रणनीति पर चल रहा है, उससे मामला कभी नहीं सुलझने वाला। वह चाहता है कि इस विवाद में कोई ऐसा तीसरा पक्ष बीच में पड़ जाए जो उसके पक्ष में फैसला करवाए। ऐसे में उसे अमेरिका जैसे महाबली देश से बड़ी उम्मीदें हैं और इसीलिए अमेरिका की ओर से भी समय-समय पर मध्यस्थता की बात उठती रही है। इस साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप के एक गैर-जिम्मेदाराना बयान ने उस वक्त तूफान खड़ा कर दिया था जब उन्होंने वाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में यह कह डाला कि भारत ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने को कहा है। ट्रंप का कहना था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिला था और उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या आप कश्मीर मामले में मध्यस्थता करेंगे। लेकिन भारत ने ट्रंप के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जोरदार खंडन किया था और दो-टूक कहा था कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात नहीं की।

अगर पाकिस्तान वाकई कश्मीर मसले पर कोई सार्थक वार्ता करना चाहता है तो उसे दूसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय मंचों के बजाय खुद सकारात्मक पहल करनी चाहिए। मध्यस्थता की बात तो वह पक्ष करता है जो अपने स्तर पर ऐसी समस्याओं का समाधान कर पाने में खुद को अक्षम पाता हो। सवाल है कि पाकिस्तान को मध्यस्थता की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। उसे लगता है कि मध्यस्थता से मामला उसके पक्ष में चला जाएगा। पर ऐसा संभव है नहीं। पाकिस्तान अपनी असलियत अच्छी तरह समझता है। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किए जाने के मुद्दे को भी दुनिया भर में उठाया और सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में भारत के नहीं चाहने पर कश्मीर मसले पर कोई क्यों मध्यस्थता करेगा, यह सोचने की बात है।

संकट का पानी

आमतौर पर हर साल ही यमुना में प्रदूषण की वजह से दिल्ली में पेयजल तक का संकट जब गहरा जाता है, तब जाकर सरकार इस दिशा में सक्रिय होती है और इसे दुरुस्त करने का आश्वासन देती है। लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद जब मसले का तात्कालिक तौर पर हल निकल जाता है तो संबंधित महकमे के लोग इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं। इसी तरह की उदासीनता की वजह से हर कुछ समय के बाद दिल्ली के निवासियों के सामने पीने के पानी तक की मुश्किल खड़ी हो जाती है। खासतौर पर जाड़े का मौसम शुरू होने के वक्त यह समस्या ज्यादा गहरा जाती है। लेकिन इस बार करीब दो महीने पहले ही यमुना में लगातार औद्योगिक कचरा प्रवाहित किए जाने की वजह से इसके पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। जल बोर्ड के मुताबिक सोमवार को यमुना में अमोनिया का स्तर 3.2 पीपीएम तक पहुंच गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पानी लोगों की सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली जल बोर्ड के तीन संयंत्रों को पूरी तरह बंद कर देना पड़ा और कई इलाकों के लोगों को पानी की कटौती का संकट झेलना पड़ रहा है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा के सोनीपत से यमुना में औद्योगिक कचरा प्रवाहित हो रहा है, जिससे इसके पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा। लेकिन यह कोई पहली बार खड़ी हुई समस्या नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। सवाल है कि बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद सरकारों के सामने कौनसी मजबूरियां हैं जिनके चलते वे जहरीला पानी छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्ती नहीं बरत पाती हैं? यमुना की सफाई के नाम पर अब तक अरबों रुपए बहाए जा चुके हैं। लेकिन अगर इसमें घुलते जहरीले रसायनों से एक ही तरह की समस्या खड़ी हो जाती है तो आखिर वे पैसे किस काम पर खर्च किए गए? सालों पहले से यह दावा किया जाता रहा है कि सफाई अभियान चला कर यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तरह स्वच्छ बना दिया जाएगा। लेकिन आज भी यमुना की हालत देखी जा सकती है कि कई बार इसका पानी नहाने तक के लिहाज से जोखिम भरा माना जाता है। ऐसी स्थिति में पीने की जरूरत के लिए पानी के संकट का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।

दरअसल, बरसात के दिनों को छोड़ दिया जाए तो यमुना वैसे ही प्रदूषण की वजह से किसी नदी के बजाय एक बड़े नाले के रूप में बची दिखती है। इसके बावजूद इसके बचे हुए हिस्से से ही जलशोधन संयंत्रों के जरिए दिल्ली में पीने के पानी की बड़ी जरूरत पूरी होती है। मगर जब समूची दिल्ली में पीने तक के पानी पर संकट आ खड़ा होता है तब जाकर आनन-फानन में तात्कालिक उपाय किए जाते हैं। सवाल है कि यमुना जिन इलाकों से गुजरती है, उन राज्यों के संबंधित महकमे यह सुनिश्चित कर पाने में नाकाम क्यों हैं कि नदी में औद्योगिक इकाइयों से निकले जहरीले रसायन नहीं बहाए जा सकें। अगर दिल्ली में यह समस्या हर साल गहरा जाती है तो हरियाणा के साथ मिल-बैठ कर इसके किसी स्थायी हल तक पहुंचने की जरूरत क्यों नहीं लगती है? फिर यमुना में अगर अब भी औद्योगिक कचरा घुल रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? नदी समूचे समाज के लिए जीवन होती है। लेकिन अरबों के खर्च के बावजूद उसे बचाने का काम अब तक कागजों पर ही दिखता रहा है।

कल्पमेधा

हम ऐसा मानने की गलती कभी न करें कि कोई अपराध आकार में छोटा या बड़ा होता है।
-महात्मा गांधी

गांधी को समझने का समय

जगमोहन सिंह राजपूत

भारत में अवैध खनन, जंगलों की कटाई, जमीन का दुरुपयोग, नदियों के आसपास अतिक्रमण के दुष्परिणाम अब भयावह रूप में सामने आने लगे हैं। कई बार लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। आज अगर गंगा प्रदूषित है, तो सत्तासीनों के शर्मनाक लालच का उसमें कम योगदान नहीं है। अनगिनत उदाहरण हैं। कारण स्पष्ट है, नेताओं और गांधी का दम भरने वालों ने गांधी के जाने के बाद उनके सिद्धांतों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तेजी से भारत में गांधी दर्शन और भारत की उनकी समझ की गहराई से उपजी विकास की दृष्टि को नकारा गया, उनके सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन मूल्यों को भुला दिया गया, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। यदि केवल कृषि और छोटे उद्योगों के विकास के संबंध में उनकी अवधारणा को अपनाया गया होता तो आज किसान का जीवन सम्मानपूर्ण और गरिमामय होता, शहरों की ओर युवाओं की दौड़ सीमित होती! गांधी दर्शन पर विचार-विमर्श इस शताब्दी के प्रारंभ से कुछ इसी तर्ज पर हो रहा है। सन 1909 में 'हिंद स्वराज' के सौ वर्ष पूरे होने से 2019 में उनके जन्म के एक सौ उनसठ वर्ष के समारोहों के बीच के दशक में यह चर्चा जारी रही है। गांधी के जीवनवृत्त का गहन अध्ययन करने वाले आगे भी उनके व्यक्तिव विकास को लेकर उसे और गहराई से समझाने का प्रयास करते रहेंगे।

चालीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। लोगों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। बाद में भी उसका सार-तत्व समझने में पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोगों ने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसमें निहित अनेक विचार और विश्लेषण इन लोगों को सतही तौर पर अव्यावहारिक लगते थे। उसके पीछे के दर्शन और गहन चिंतन का जिन्होंने गहराई से अध्ययन किया, केवल वे उसे प्रारंभिक वर्षों में सही ढंग से समझ पाए। आइंस्टीन ने जब सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, तब भी अनेक वर्षों तक वैज्ञानिकों में उसे समझ पाने वाले गिने-चुने लोग ही थे। समय के साथ उसका क्रांतिकारी महत्त्व विज्ञान जगत में उजागर हुआ। लगभग उसी प्रकार आज हिंद स्वराज और गांधी दर्शन का अध्ययन करने वालों की संख्या सारे विश्व में लगातार बढ़ रही है और यह वैचारिक विमर्श जीवन के हर पक्ष तक विस्तार पा रहा है।

जिस पश्चिमी सभ्यता के प्रति युवा गांधी ने तल्खी से लिखा था और अनेक आशंकाएं व्यक्त की थीं, उसका असली स्वरूप अब सभी के समक्ष उभर आया है। गांधी ने जीवन के लगभग हर पक्ष पर चिंतन किया और लिखा। उन्होंने गुजराती में बाल पोथी लिखी, शब्दकोश लिखा, बाद में अखबार निकाले, स्वास्थ्य पर लिखा, भाषा पर लिखा, युवाओं के लिए लिखा, प्राकृतिक चिकित्सा पर लिखा, जो लिखा उसे व्यवहार में लाए, अधिकतर तो व्यवहार में लाने के बाद लिखा। हिंद स्वराज लिखने के समय जब एक हाथ थक जाता था तो वे दूसरे से लिखने लगते थे। व्यक्ति निर्माण और शिक्षा का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर उन्होंने लिखा न हो। मातृभाषा, सदाचार, स्त्री शिक्षा, देश भक्ति, आप जो ढूंढ़ें, उनके लेखन में मिल जाएगा।

आज हम शिक्षा में कौशलों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं, गांधी चमड़े की चप्पल बना कर वाइसराय तक को भेंट करने में नहीं हिचकते थे। स्वच्छता के लिए जो उन्होंने किया और लिखा, उसका अनुपालन कितना आवश्यक था, इसकी पहचान अब हो रही है। हर शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों का ध्यान तो आकर्षित किया है, मगर दृष्टिकोण परिवर्तन एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया है और देश उसी से गुजर रहा है।

युवाओं के लिए गांधी के व्यक्तित्व विकास को समझने में उनके कुछ कालजयी कथन अत्यंत सहायक हो सकते हैं। इनमें पहला है कि 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है'। आज वैश्वीकरण और निजीकरण की चकाचौंध भरी दौड़ में विश्व केवल बाजार बन कर रह गया है, इस दौड़ की भयानक आशंकाएं अब उभर कर सामने आ रही हैं और इनसे हर पीढ़ी शंकित और आशंकित हैं। स्कूलों में विद्यार्थी और बाहर युवा अब समझने लगे हैं कि यह प्रश्न अब सामने दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी कितने वर्ष और बचेगी? यह कपोल कल्पना नहीं रही है, वैज्ञानिक अनुमान लगा चुके हैं कि यदि सारा विश्व अमेरिका या यूरोप के स्तर का जीवन यापन करने लगे तो क्रमशः पांच या तीन ऐसे ही अन्य पृथ्वी ग्रहों की आवश्यकता होगी! दो फरवरी 1925 को गांधी ने 'यंग इंडिया' में लिखा था कि भारत कर्मभूमि है, भोग भूमि नहीं। भारत का मिशन, लक्ष्य, उद्देश्य अन्य से भिन्न है। यह देश अपने आत्मिक बल के आधार पर सदा सराहा गया है, यहां लोग जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य और अध्यात्म को समझाने, सीखने और आत्मसात करने सदा आते रहे

हैं, और आते रहेंगे। तलवारों और हथियारों की विजय क्षणिक होती है, अध्यात्म और आत्मबल की स्वीकृति सदा के लिए होती है। गांधी इसे भारत का वैश्विक उत्तरदायित्व मानते थे। वे कहते थे-'अहिंसा के पंथ पर चलते हुए मेरा जीवन भारत की सेवा के लिए समर्पित है।' भारत का रास्ता पश्चिम का खूनी रास्ता नहीं है, वह तो साधारण-सामान्य-सरल और ईश्वर-प्रिय आचरण से पनपता है। यही तो भारत की आत्मा है। भारत में इतनी ऊर्जा और इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि वह पश्चिम से आ रहे भौतिकवाद के तूफान का धैर्यपूर्वक विश्लेषण कर जहां आवश्यक हो वहां प्रतिरोध भी कर सके, सभी कुछ आंख मूंद कर स्वीकार न किया जाए। यदि हम ध्यान से देखें तो अपरिग्रह की संस्कृति के महत्त्व की सामान्य जनजीवन में सार्वजानिक स्वीकृति का दूसरा उदाहरण किसी अन्य समाज और सभ्यता में इतनी गहनता से नहीं मिलता है जितना बल इस पर प्राचीन भारत के समाज और सभ्यता में मिलता है। विश्व में सारा द्वंद्व, भयानक प्रतिस्पर्धा, आयुधों पर बेतहाशा व्यय, हिंसा और तनाव तो अनियंत्रित संग्रह को लेकर ही है। इसे सरल और संक्षेप में गांधी ने सबके सामने रखा-'प्रकृति में सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, मगर एक के भी लालच के लिए नहीं।' अफ्रीका के नए स्वतंत्र हुए देशों के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं जहां एक सत्तासीन के लालच ने सारे देश की प्राकृतिक धरोहर को बर्बाद कर दिया। भारत में अवैध खनन, जंगलों की कटाई, जमीन का दुरुपयोग, नदियों के आसपास अतिक्रमण के दुष्परिणाम अब भयावह रूप में सामने आने लगे हैं। कई बार लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। आज अगर गंगा प्रदूषित है, तो सत्तासीनों के शर्मनाक लालच का उसमें कम योगदान नहीं है। अनगिनत उदाहरण हैं। कारण स्पष्ट है, नेताओं और गांधी का दम भरने वालों ने गांधी के जाने के बाद उनके सिद्धांतों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है।

इस एक सौ पचासवें वर्ष में क्या गांधी चर्चा अपना कुछ प्रभाव डाल सकेगी? क्या आज के राजनेता कुछ छोटे-छोटे प्रकरण याद रख कर अपना जीवन संवारना चाहेंगे? उनके लिए यह जानना लाभकारी होगा कि गीता का अध्ययन गांधी को जीवन पर्यंत संबल देता रहा! बचपन में हरिश्चंद्र नाटक का उन पर प्रभाव पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में जिस पुस्तक का उन पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा था, वह थी रस्किन की 'अनटू दिस लास्ट' जिसे हाथ में लेकर वे छोड़ ही नहीं सके। एक बार पढ़ कर उन्हें उस रात नींद नहीं आई। वे लिखते हैं- 'मेरा विश्वास है कि जो चीजें मेरे अंदर गहराई में छिपी पड़ी थीं, रस्किन के ग्रंथ-रत्न से मैंने उनका स्पष्ट प्रतिबिंब देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमाया और मुझ से उसमें दिए गए विचारों पर अमल कराया। जो मनुष्य हम में सोई हुई उत्तम भावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखता है, वह कवि है।' इसके प्रभाव में आकर गांधी लिखते हैं कि सर्वोदय के सिद्धांत को वे इस तरह समझते हैं: 'एक- सबकी भलाई में हमारी भलाई है, दो- वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है, तीन- सादा मेहनत-मजदूर का, किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।'

क्या भारत में इसका पुनर्पाठ संभव होगा?

समांतर संघर्ष

भावना मासीवाल

एक संयोग है कि 'बा' और 'बापू' के जन्म के लिहाज से देखें तो दोनों के ही डेढ़ सौ साल हो गए। 'बापू' यानी महात्मा गांधी को तो हम सभी विद्यालयी पाठ्यक्रम की किताबों से लेकर व्यावहारिक शिक्षा में परिवार और समाज में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 'बा' यानी कस्तूरबा गांधी की चर्चा कम होती है। 'बा' से मेरी पहली पहचान बापू के जीवन परिचय को पढ़ने के दौरान हुई। फिर महात्मा गांधी की आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' पढ़ी तो जाना कि एक हद तक सीमित पहचान वाली 'बा' ही 'बापू' के प्रयोग यानी अहिंसा, आत्मबल, संयम, उपवास, ब्रह्मचर्य, विश्वास, धैर्य, आत्मविश्वास, निष्ठा, कर्तव्य, सादगी की भोक्ता और दृष्टा रहीं। यही प्रयोग वैश्विक स्तर पर बापू के 'सत्य के प्रयोग' बने, जिन पर भारत और विश्व में खूब चर्चा हुई, लेकिन 'बा' यानी कस्तूरबा गांधी चर्चा का विषय नहीं बन सकीं। जबकि वे आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी निष्ठा और बलिदान के साथ मौजूद थीं।

'बा' ने अपने पूरे परिवार, पति, बच्चों को समाज और देश सेवा के प्रति न केवल समर्पित कर दिया, बल्कि अपना जीवन भी प्रेम, समर्पण, त्याग और सेवा के माध्यम से देश को सौंप दिया। सवाल है कि क्या व्यक्ति का शिक्षित वैचारिक आग्रह और राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप ही उसे पहचान दिलाता है? क्या नेपथ्य में काम करने वाले हाथ महत्त्वपूर्ण नहीं? हर पुरुष की सफलता में एक स्त्री का सहयोग होता है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी को 'महात्मा' बनने में हर स्तर पर सहयोग करने वाली कस्तूरबा गांधी को इतिहास में वाजिब अहमियत नहीं मिल सकी। हालांकि गांधी खुद मानते थे कि 'बा' से ही उन्होंने जीवन में आत्मसंयम और संतुलन सीखा। बापू का जीवन, उनके जीवन के द्वंद्व, तनाव, संघर्ष- सभी कुछ को 'बा' ने संभाला। वे तो परिवार से विरक्त समाज और देश हित के लिए काम करते थे। दूसरी ओर 'बा' परिवार और उसके उद्देश्यों के बीच सामंजस्य लाकर बच्चों को उनसे जोड़ती हैं। वे कस्तूरबा गांधी ही थीं, जो मोहनदास करमचंद गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की नींव थीं। सिद्धांत के व्यवहार में सफल प्रयोग से ही सिद्धांत की उपयोगिता सिद्ध होती है।

दुनिया मेरे आगे

भारत की आजादी के आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ही वह महिला थीं, जिन्होंने महिलाओं को निजी दायरे से बाहर निकाला और आजादी के आंदोलन में सार्वजनिक भागीदारी का हिस्सा बनाया, आजादी में महिलाओं की अहम भूमिका सुनिश्चित की। 'बा' को लगता था कि महिलाओं को भी असहयोग आंदोलन में सक्रिय योगदान देना चाहिए। वे घर-घर जाकर महिलाओं को असहयोग के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही थीं। उनको समझा रही थीं कि शराब की दुकानों पर धरना दो, यही देश की आजादी की दुश्मन है।

'बा' का महिलाओं का नेतृत्व करना और उन्हें आंदोलन का हिस्सा बनाना दरअसल उनके सरल और अभिमान रहित व्यवहार का प्रभाव था। आशा प्रसाद ने 'कस्तूरबा, कमला, प्रभावती' पुस्तक में लिखा है कि 'बा' के इसी व्यवहार ने देश की साधारण और गरीब स्त्रियों के हृदय जीत लिए थे। इसी कारण नमक सत्याग्रह के समय या अन्य अवसरों पर वे स्त्रियां घर की चारदिवारी से बाहर आईं, समय-समय पर लाठियां खाईं और जेल गईं।' यहां जाति, वर्ग, धर्म किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, बल्कि 'आजादी' के पूरे आंदोलन का एक मत था।

यही वह दौर था जब स्त्रियां सक्रिय रूप से राजनीति और आंदोलन का हिस्सा बन कर उभर रही थीं। यह 'बा' चरित्र का ही गुण था कि महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका को पहचाना। बिहार में चंपारण आंदोलन के बाद 'बा' के नेतृत्व में ही 1922 के असहयोग आंदोलन का कार्यभार आया। असहयोग आंदोलन में नेतृत्व के कारण बापू को मार्च 1922 में छह वर्ष के लिए जेल की सजा हो गई। बापू को कारावास में डाले जाने के बाद निराश लोगों को 'बा' संभालती हैं। आशा प्रसाद के मुताबिक, 'उस समय कस्तूरबा का रूप एक वीरांगना की तरह लोगों के सामने उभरा। उन्होंने राष्ट्र के नाम यह हृदय-स्पर्शी संदेश दिया- 'गांधी को दी गई सजा का उत्तर भारत इस तरह से देगा- एक, सभी स्त्री-पुरुष विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दें, खुद खादी पहनें और दूसरों को खादी पहनने के लिए बाध्य करें, दो, सभी स्त्री-पुरुष प्रतिदिन कताई को अपना धार्मिक कर्तव्य समझें और दूसरों को भी कातना सिखाएं-समझाएं और तीन, सभी व्यापारी विदेशी कपड़ों का व्यापार करना छोड़ दें। इस संदेश के बाद विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी और घरों में चरखे की धूम मचने लगी।'

असहयोग आंदोलन के बाद 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी 'बा' ने सक्रिय होकर महिलाओं का नेतृत्व संभाला और जेल भी गईं। साहसी, सुदृढ़ और विवेकशील निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व के साथ ही अनासक्त और सादगी भरा जीवन उन्हें प्रभावी बनाता था। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया और समाज में व्याप्त इस जड़ बुराई का डट कर सामना किया। उनका समर्पण उनके परिवार से अधिक मानवता और देश के प्रति था। 'बा' का जीवन भारतीय स्त्री जीवन का यथार्थ है। ऐसा यथार्थ जो स्त्री होकर बेटी, पत्नी, मां और समाज सेविका जैसे सभी रूपों में संघर्षरत था।

गांधी का रास्ता

आधुनिक भारतीय चिंतन प्रवाह में गांधी के विचार सार्वकालिक हैं। जैसे-जैसे दुनिया बदल रही है, महात्मा गांधी उतने ही ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। वे दो अक्तूबर के अलावा भी पूरे विश्व में याद किए जाते हैं। यही प्रमाण है कि वे विश्व विभूति हैं। महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए लेकिन आज पूरे विश्व में भारत के बाद अमेरिका में ही उनकी सबसे अधिक प्रतिमाएं लगाई गई हैं। वे अहिंसा और सत्याग्रह के अग्रदूत थे। अंग्रेजी राज को घुटने टिकाने वाले उनके इस मंत्र का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सत्याग्रह से लेकर सामूहिक रिहाइश, अपना काम खुद करने की सलाह और पर्यावरण संबंधी कदम (जैसे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल और जल संरक्षण) जैसे विचार फीनिक्स सेटलमेंट के गांधी आश्रम में जन्मे और पनपे।

गांधी को समझना आसान नहीं, विशेषतः अगर बात उनके अर्थशास्त्र की हो तो। इसका मुख्य कारण यह है कि गांधी विश्व की नैतिक समझ के कारण अपने निष्कर्षों तक पहुंचे, न कि विकास, निवेश, मांग या पूर्ति की समझ के कारण। यही वजह है कि उनके अर्थशास्त्र के विचारों को वामपंथी-दक्षिणपंथी-मध्यमार्गी-कम्युनिस्ट-समाजवादी-पूंजीवादी खांचों में रख पाना संभव नहीं है। वे स्वदेशी, ग्रामीण आत्मनिर्भरता, बड़े उद्योगों के बजाय कुटीर और छोटे उद्योगों और उत्पादन में मशीनों की अपेक्षा श्रम के इस्तेमाल में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि 'इसमें कोई संदेह नहीं कि पूंजी निर्जीव है, पर पूंजीवादी सजीव हैं और उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार किया जा सकता है।'

गांधीजी के कई बयान हैं जिन्हें टिकाऊ विकास के लिए उनके विश्वव्यापी दृष्टिकोण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। उन्होंने 1931 में लिखा था कि भौतिक सुख और आराम के साधनों के निर्माण और उनकी निरंतर खोज में लगे रहना ही अपने आप में एक बुराई है। शायद यही कारण है कि मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, आग सान सू ची और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक बापू से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। गांधीजी की आत्मा गांवों में निवास करती थी। उनका मानना था कि किसी देश को जानने के लिए उस देश की राजधानी में नहीं बल्कि उस देश के गांव में जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि गांधी के ही देश में उनके आदर्श विचारों की कद्र नहीं है। आज के दौर में भारत ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय को भी समझना होगा कि गांधी के सुझाए रास्ते पर चल कर ही एक समृद्ध, सामर्थ्यवान, समतामूलक और सुसंस्कृत विश्व का निर्माण किया जा सकता है।

● *अजय प्रताप तिवारी, गोंडा, उत्तर प्रदेश*

आपदा और चुनौती

पटना में भारी बारिश के चलते उपमुख्यमंत्री के घर में पानी घुस जाने पर उनके परिवार को बचाव दल ने निकाला। खास लोगों का यह हाल रहा तो आमजन का क्या हाल होता है यह पीड़ा जनसेवकों को दिल की गहराइयों से महसूस करनी होगी। बिहार सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन भारी बारिश ने उसके विकास, निर्माण, सुव्यवस्थित नियोजन व सुशासन की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आम जनता कितनी परेशानी में होगी, इसका एहसास हमारे नेताओं को होना चाहिए। इन आपदाओं से दूर भागने की बजाय उन्हें चुनौती मान कर नियोजित विकास पर जोर देना चाहिए। केवल सुशासन का ढोल पीटने से काम नहीं चलता। उसके लिए सुशासन को जमीन पर हकीकत के रूप में उतारना होता है।

● *हेमा हरि उपाध्याय अक्षत, खाचरोद, उज्जैन*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

मौसम की मार

पिछले तकरीबन एक दशक से लग रहा है कि भारत में मौसम चक्र बदल रहा है। मौसम विभाग घोषणा कर देता है कि 20 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा। फिर तारीख को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है। मतलब, मौसम का सटीक पूर्वानुमान अब नामुमकिन होता जा रहा है। जब बादलों को बरसना चाहिए तो बरसते नहीं और जब नहीं बरसना चाहिए तो बाढ़ आ रही है। इस साल सितंबर में बारिश ने पिछले सौ साल के कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया है। जो प्रदेश सूखाग्रस्त थे जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि, उन्हें पानी-पानी कर दिया। इतनी अधिक बारिश कि बिहार और उत्तर प्रदेश में तो सवा सौ से ज्यादा लोग मारे गए। साफ-सुथरे शहर पुणे का हाल देखकर लगा जैसे वहां भूकंप आया हो।

यह असल में जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। हम इंसानों द्वारा प्रकृति के अतिशय दोहन का परिणाम है कि जिन देशों का तापमान कभी शून्य से नीचे हुआ करता था आज वह 40 डिग्री को पार कर रहा है। जहां गर्मी पड़ती थी वहां बर्फबारी हो रही है। आज पूरा विश्व मौसम की मार को झेल रहा है। मगर प्रकृति का अनियंत्रित दोहन रोकने को कोई तैयार नहीं है।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

कब्जे की जमीन

कहना शायद गलत न हो कि जमीन हड़पना हमारी फितरत का ही हिस्सा है। अगर खाली पड़ी सरकारी भूमि हो तो पौ-बारह! बंगले भले ही आलीशान हों लेकिन हमारे 'रैंप' और 'गॉर्ड रूम' सरकारी जमीन पर ही बनेंगे। छोटे घरों के छज्जे, सोकपिट और चहारदीवारी का कुछ हिस्सा सड़कों पर होना भी हमारा हक है। जिम्मेवार महकमा भी अपनी गैरजिम्मेदारी का सबूत देने में पीछे नहीं है। हद तो तब है जब सघन आबादी वाले इलाकों में फुटपाथ का इस्तेमाल धड़ल्ले से पार्किंग के लिए किया जाता है। पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों का दायरा फुटपाथ के पार तक हो जाता है। क्यों न ऐसी लापरवाहियों के लिए भी त्वरित दंड का प्रावधान हो? राहगीरों के लिए फुटपाथ एक अहम जरूरत है जहां सरकारों की उदासीनता साफ झलकती है। अनधिकृत कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी बेअसर है। निश्चित रूप से एक ईमानदार कार्ययोजना बनाने की जरूरत है ताकि राहगीरों को अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ पर बेरोक-टोक सुरक्षित चलने का हक मिले।

● *एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनागर, रातू, रांची*

पर्यावरण मामले में देशों की शिकायत

11 साल की रिद्धिमा पांडे हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में स्थित बीएम डीएवी कॉलेज में कक्षा 8 में पढ़ती हैं। न्यूयॉर्क में 16 देशों के बच्चों ने ग्रेटा थनबर्ग के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र में बच्चों को शुद्ध पर्यावरण देने के लिए पेरिस समझौते का पालन करने के मामले में केस दायर किया। रिद्धिमा कहती हैं कि इस समय पर्यावरण का मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलंत है और जिस तेजी के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उससे हमारे भविष्य को खतरा पैदा हो गया है।

साहित्य की चेतनामयी साधना

मृणाल वल्लरी
नई दिल्ली।

दिल्ली के एक संभ्रांत इलाके में संभ्रांत स्त्रियों का जमावड़ा शुरू होता है। लगता है कोई किटी पार्टी होगी और थोड़ी हल्की गपशप। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद ही एक सुखद अनुभव होता है। 'चेतनामयी' नाम की संस्था से जुड़ी इन महिलाओं के हाथ में हाल में प्रकाशित हुआ हिंदी का एक उपन्यास था और सभी महिलाएं उसके पन्ने पलट रही थीं। तभी वहां पर उपन्यास की लेखिका और प्रकाशक, अन्य साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार पहुंचते हैं। फिर शुरू होती है किताब पर गंभीर चर्चा।

दिल्ली

चर्चा की शुरुआत करती हैं साहित्यकार चित्रा मुद्गल। वहां मौजूद महिलाएं बहस में अपना सार्थक हस्तक्षेप करती हैं। बहस का मकसद रचना प्रक्रिया को समझना और उसके वृहत्तर में जाना है। किताब के हर अहम अंश को रेखांकित किया गया और उसे रचनाकार के नजरिए से समझने की कोशिश की गई। सबको बोलने का पर्याप्त समय दिया गया और सबको सुनने की पर्याप्त सहनशक्ति भी दिखी। यहां स्त्रियों के जमावड़े का एक ही मकसद है चेतना के स्तर पर ज्ञान के नए अंश हासिल करना। 'चेतनामयी' की संस्थापक और मार्गदर्शक चित्रा मुद्गल जैसी शीर्ष रचनाकार हैं तो यहां उन रचनाकारों को भी निमंत्रित किया जाता है जिनका रचनाकर्म अभी शुरू ही हुआ है।

साहित्य को पढ़ना भी एक बड़ा साहित्यक कर्म

चित्रा मुद्गल के साथ साधना जैन

साधना जैन का मानना है कि किसी भी काम के लिए वक्त निकालने से ही निकलता है। लिखने-पढ़ने के लिए वक्त निकालने और जगह बनाने की कवायद के बीच यह सब शुरू हुआ। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी चेतनामयी स्त्रियों का समूह तैयार कर लेंगे। हमारा कोई बहुत बड़ा साहित्यिक एजंडा नहीं है। स्त्रियां जब चेतना के साथ जुड़ती हैं तो एक नया माहौल रच देती हैं। साहित्य को पढ़ना और उसे समझना भी एक बड़ा साहित्यिक कर्म है।

युवा रचनाकार उस वक्त अद्वितीय अनुभव से गुजरती हैं जब उनकी किसी कविता को वरिष्ठ रचनाकार एक बार और पढ़ने की अपील करती हैं, उनकी लिखी पंक्तियों की कई बार प्रशंसा करती हैं और उनके साथ नए समय और नई पीढ़ी को जीती हैं।

इन दिनों लेखकों, प्रकाशकों से लेकर विद्वानों की सबसे बड़ी चिंता होती है किताबों के घटते पाठक। 'चेतनामयी' संस्था की विशेषता है कि यह अपने सदस्यों के लिए किताबें खरीदती है। एक कार्यक्रम के खत्म होने के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी के लिए सदस्यों को किताबें दे दी जाती हैं। ऐसा करते हुए संस्था के पास किताबों का बड़ा संग्रह तैयार हो चुका है।

'चेतनामयी' की धुरी हैं साधना जैन। उनकी कोशिशों से ही इस संस्था का दायरा बढ़ता गया और चेतना संपन्न स्त्रियां जुड़ती गईं। साधना जैन का मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के झंझटों के बीच हम ज्ञान और चेतना की जरूरतों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं।

'चेतनामयी' से जुड़ी स्त्रियों का कहना है कि हमारा मकसद किताबों के तत्त्व ज्ञान से जुड़ा है। अमीर तबके के घरों में किताबें भी आंतरिक सज्जा का हिस्सा हो जाती हैं। कहीं-कहीं तो किताबों की खरीदारी उनकी जिल्द और दीवारों के रंग-संयोजन देख कर की जाती है। कई घरों में आप जाएंगे तो किताबों की हालत बताएगी कि शीशे से बाहर कभी निकली ही नहीं हैं। जन्मदिन या किसी अन्य अवसर पर किताबों के तोहफे देने का चलन खत्म हो रहा है।

लेखक और पाठकों के मिलन स्थलों की पूरे वैश्विक साहित्य में अहमियत रही है। भारतीय साहित्य में देखें तो नवजागरण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी इस भूमिका में सबसे अग्रणी दिखते हैं। लेखकों और कलाकारों को संसाधन और जगह मुहैया कराने के लिए वे खुद बड़े कर्ज में डूब गए थे। पूरा भारतेंदु काल इस बात का गवाह है कि संभ्रांत समाज में लिखने-पढ़ने को भी एक बड़ी विलासिता मान लिया जाता है और उससे मुखालफत एक बड़ी जंग बन जाती है।

आगरा से लेकर इलाहाबाद, बनारस और पटना उन केंद्रों के लिए जाने जाते थे जहां लेखक और पाठक इकट्ठे होते थे। लेखकों और साहित्यकार को जोड़ने के इस पारंपरिक संस्कार में आज सार्वजनिक जगहों की कमी आड़े आती है। कुछ समय पहले तक किसी शहर या कस्बे की सबसे मशहूर जगह कॉफी हाउस होते थे, जिनमें से ज्यादातर अब बंद हो चुके हैं। नब्बे के दशक के बाद के बने माहौल ने इंसान को जितना अकेला बनाया है अब उस अकेलेपन के खिलाफ आवाज उठने लगी है।

किसी देश-काल में उस वक्त क्या लिखा-पढ़ा जा रहा है, यह उसका आईना होता है। अगर हम अपने समय के लिखे पर बात न करें तो हम अपने समय को जीने से वंचित रह जाएंगे। 'चेतनामयी' के जरिए आधुनिक स्त्रियों ने अपनी निजता से निकल सामूहिकता की चेतना से संपन्न होने की जो मुहिम शुरू की है वह साहित्य की दुनिया में बेहद सकारात्मक संदेश दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण की अलख जगाई हरिद्वार की बेटी ने

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले विश्व के अलग-अलग जगहों के 16 बच्चों ने पांच देशों की सरकारों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। स्वीडन की 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो 16 बच्चे इस मुहिम में शामिल हुए थे,उन्हीं में से एक है हरिद्वार की रिद्धिमा पांडे।

सफल मुहिम के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से हरिद्वार लौटी रिद्धिमा पांडे बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका में उसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण को लेकर उसने अपनी बात रखी। रिद्धिमा की माता विनीता पांडे भी अपनी लाडली बेटी की इस कामयाबी से बहुत खुश हैं।

रिद्धिमा भारत की अकेली बेटी हैं जिन्हें ग्रेटा की 16 सदस्यीय टीम में शामिल होने का मौका मिला। रिद्धिमा की इस कामयाबी पर संत समाज भी बेहद खुश नजर आया। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि खुद उनका स्वागत करने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर मौजूद थे। स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि दो साल पहले ही रिद्धिमा उनके परमार्थ आश्रम में उनसे आशीर्वाद लेने गंगा तट पर आई थी। तब उन्होंने रिद्धिमा से कहा था कि एक दिन तुम भारत का नाम रोशन करोगी और उन्होंने यह कर दिखाया। बचपन से ही उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। रिद्धिमा की मां विनीता पांडे का कहना है कि उन्होंने पूरे भारत का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र में किया। और आज लोग मुझे रिद्धिमा की मां के नाम से जानते हैं। यह एक मां के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है।

छोटी सी उम्र में अपने पिता से मिली प्रेरणा के कारण रिद्धिमा लगातार जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं। उन्हें पता है कि हमारे समाज और देश पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ रहा है। रिद्धिमा के पिता दिनेश पांडे पर्यावरणविद् हैं और मां विनीता पांडे उत्तराखंड के वन विभाग में कार्यरत हैं। इसलिए रिद्धिमा को घर में ही पर्यावरण के बारे में बचपन से जानकारियां मिली हैं। रिद्धिमा को 2013 में केदारनाथ में आई आपदा ने झकझोर दिया । जब उसने इसके बारे में मीडिया खबरें देखीं तो उन्होंने तभी संकल्प लिया कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करेंगी।

2017 में रिद्धिमा ने पृथ्वी की रक्षा के लिए हुए पेरिस समझौते का भारत में पूरी तरह से पालन न होने के खिलाफ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी)में अपील की। जिसे एनजीटी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि भारत सरकार पेरिस समझौते का पूरा पालन कर रही है। एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ रिद्धिमा ने उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अपील की है।

रिद्धिमा ने ऋषिकेश और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में बढ़ते प्रदूषण और हरिद्वार के वातावरण के बिगड़ते स्वरूप के बारे में भी अध्ययन किया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि कांवड़ मेले के दौरान दंगा में प्रदूषण बेहद बढ़ जाता है और हरिद्वार और ऋषिकेश का पर्यावरण भी तेजी से बिगड़ता है। रिद्धिमा पर्यावरण की रक्षा के लिए जन जागरण कार्यक्रम भी अपने स्तर पर चलाती हैं।

रिद्धिमा को नार्वे की पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था एक्सवाइएनटीईओ ने 9 और 10 अक्तूबर को आयोजित पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो रही अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता बुलाया है। इस गोष्ठी का विषय पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन है।

पर्यावरणविद् राजेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि रिद्धिमा कि यह महत्त्वपूर्ण कामयाबी बच्चों को नई प्रेरणा देगी और रिद्धिमा ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जो अलख जगाई है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है।

कभी कांग्रेस के खेवनहार रहे गैर जाट मतदाता छिटके

अजय पांडेय
नई दिल्ली।

हरियाणा में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए दलित-जाट समीकरण पर काम किया है लेकिन इसके उलट भाजपा ने गैर जाट-गैर दलित मतदाताओं का जाल बुना है। छोटे-छोटे जाति समूहों के मिश्रण के बूते भाजपा ने दूसरे कई सूबों में सत्ता के रथ की कामयाब सवारी की है। कांग्रेस ने अपने जातीय समीकरण में अन्य पिछड़ा वर्ग पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है जो कि मौजूदा समीकरणों में सत्ता के दरवाजे की महत्त्वपूर्ण चाभी है।

हरियाणा

हरियाणा सूबे के करीब 1.83 करोड़ मतदाताओं के जातीय समीकरण की बात करें तो इनमें एक चौथाई यानी करीब 25 फीसद जाट हैं। दूसरे नंबर पर दलित आते हैं जिनके हिस्से में 20 से 22 फीसद वोट हैं। इनके अलावा अहिरवाल के अहीर करीब 16 फीसद, पंजाबी 8 से 10 फीसद, ब्राह्मण 8 फीसद, राजपूत 5 फीसद, सिख 4 फीसद, गुर्जर 2.8 फीसद, सैनी 2.5 फीसद, कम्बोज 2 फीसद और मुसलिम 5 फीसद हैं।

कांग्रेस ने हरियाणा में इस बार सूबे के कद्दावर जाट नेता और दो बार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दलित समुदाय की कुमारी सैलजा की चुनावी जोड़ी को उतारा है। हुड्डा चुनाव

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं तो सैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं। संख्या बल की दृष्टि से इन दोनों समुदायों का वोट जोड़ दें तो यह करीब 47 फीसद बनता है। इसी प्रकार मुसलिम वोट भी कांग्रेस के पाले में आने पर आंकड़ा 50 के पार पहुंचता है। चूंकि यह पार्टी हर वर्ग और जाति की सियासत करती आई है, लिहाजा हर वर्ग में उसका वोट होने का दावा किया जाता है। दूसरी ओर भाजपा ने पंजाबी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अगुआई में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है और सूबे की 90 सदस्यीय विधानसभा में 75 पार का नारा दिया है। यह माना जा रहा है कि किसी जमाने में कांग्रेस के पीछे खड़ी होने वाली गैर जाट जातियां पंजाबी, ब्राह्मण, वैश्य, अहीर, राजपूज, कम्बोज सहित कई अन्य जातियां आज भाजपा के साथ खड़ी हैं। यहां तक की जाट समुदाय का भी एक हिस्सा भाजपा की ओर खड़ा दिख रहा है।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रहे जितेन्द्र प्रसाद कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में रोहतक जैसी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की हार इस बात का सूबत थी कि जाटों का वोट भी बंट गया। सूबे के सर्वाधिक ताकतवर समझे जाने वाले जाटों का झुकाव लोकदल व इनेलो के साथ रहा। दूसरी ओर चाहे दलित हों, पंजाबी हों, ब्राह्मण हों या तमाम अन्य जातियां हों, कांग्रेस के साथ रहीं। चाहे अहिरवाल के ताकतवर नेता राव वीरेन्द्र सिंह व बाद में उनके बेटे राव इन्द्रजीत सिंह हों अथवा ब्राह्मणों में भगवत दयाल शर्मा से लेकर पंडित चिरंजीलाल शर्मा तक कांग्रेस में रहे। दलित तो कमोबेश हमेशा ही कांग्रेस के साथ खड़े रहे। पेशे से शिक्षक व चौधरी देवीलाल और अन्य नेताओं की सियासत को करीब से देखने वाले एक जानकार की मानें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस इनेलो के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही। यही वजह रही कि हुड्डा दो बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की हुकूमत चलाई। लेकिन उनकी सरकार में भी जाटों के वर्चस्व के मद्देनजर जो गैर-जाट जातियां इनेलो के बदले कांग्रेस के साथ खड़ी होती रहीं उन्हें यह महसूस हुआ कि अब इनेलो के बाद अब कांग्रेस में भी जाटों का ही वर्चस्व ज्यादा है।

कालेजों में हर शनिवार लगेगी खुशी की पाठशाला

आशीष दुबे
नोएडा।

उत्तर प्रदेश के डिग्री और स्नातकोत्तर कॉलेजों में छात्र/छात्राओं को तरोताजा बनाने और प्रतिभा को निखारने के लिए खुशी की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को डिग्री और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लगने वाली खुशी की पाठशाला में शिक्षक की भूमिका उसमें पढ़ने वाले छात्र/ छात्राएं निभाएंगे।

यूपी

मेरठ और सहारनपुर मंडल का उच्च शिक्षा विभाग इसे 4 अक्टूबर से लागू करेगा। इसके तहत कॉलेजों की प्रत्येक संकाय में प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को धैर्यवान और मानसिक अवसाद अथवा दबाव से मुक्त किया जाएगा।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बढ़ती बेरोजगारी और मंदी के चलते नौकरियों में कटौती उनकी चिंता को और बढ़ा रहा है। भविष्य की चिंता आदि दबाव के चलते कम उम्र में ही छात्र/छात्राएं तनावग्रस्त हो रहे हैं। इस उबाऊ दिनचर्या को दूर करने और प्रतिभा को बढ़ावा देकर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुशी की पाठशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मेरठ और सहारनपुर मंडल के कुल 18 सरकारी, 50 अशासकीय अनुदानित और 1002 स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं। इनमें तीन लाख छात्र-छात्राएं विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। संचालित होने वाली खुशी की पाठशाला के दौरान निगरानी रखने के लिए कॉलेज के दो शिक्षक उपस्थित रहेंगे।

छात्रों का कमाल : बिना बिजली खाना होगा गर्म

सुशील राघव
नई दिल्ली।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के विद्यार्थी अपने शोधों के जरिए आम लोगों की समस्याओं के नए-नए हल लेकर सामने आ रहे हैं। अनुसंधानों को उद्योगों तक ले जाने के उद्देश्य से आइआइटी दिल्ली में हाल ही में उद्योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के विद्यार्थियों ने खुद से विकसित किए उत्पादन और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ के बारे में आज हम यहां बता रहे हैं।

बिना बिजली खाना होगा गर्म

आइआइटी दिल्ली से एमटेक कर रहे अमित जैन और हर्षित जैन ने 'हीटोमेट' नाम का खाना गर्म करने के लिए एक ऐसा हीटर विकसित किया है जिसके लिए न तो बिजली की आवश्यकता है और न किसी भी तरह के ईंधन की जरूरत है। इन दोनों ने एक छोटा 'तकियानुमा' उत्पाद तैयार किया है जिस पर पानी डालने से वह गर्मी पैदा करता है। इसी गर्मी के जरिए खाने को आसानी से गर्म किया जा सकता है।

एक-दो महीनों में बाजार में आने वाले इस उत्पाद की कीमत मात्र 50 रुपए है जिसमें तीन इकाई मौजूद होती हैं। हर इकाई एक बार ही उपयोग की जा सकती है। इस उत्पाद के पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है।

दिल्ली/देश

शाकाहारी भी खा सकेंगे अंडा भुर्जी

आइआइटी दिल्ली के अनुसंधानकर्ताओं ने शाकाहारी लोगों के लिए सब्जियों और दालों पर आधारित 'अंडा भुर्जी' विकसित की है। आइआइटी दिल्ली में इंक्यूबेटिड प्लांटमेड कंपनी ने शाकाहारी लोगों के लिए सिर्फ अंडा ही नहीं बल्कि विभिन्न तरह के मांस और पनीर भी तैयार किया है।

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहीं डॉक्टर काव्या दशोरा ने बताया कि हमने पेड़-पौधों से मिलने वाले प्रोटीन से 'मॉक मीट' विकसित किया है। यह स्वाद और देखने में बिलकुल असली मांस की तरह दिखता है लेकिन है यह पूरी तरह से शाकाहारी। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही अंडा भुर्जी और ऑमलेट बाजार में उतारने वाले हैं।

बीस साल तक देगा बदबू से निजात

आइआइटी दिल्ली से पोस्ट डॉक्ट्रेरट कर रहे डॉक्टर मोहम्मद फराज ने बदबू को खत्म करने का आसान और सस्ता तरीका खोज निकाला है। डॉक्टर फराज ने बताया कि उन्होंने जो 'ऑडोर किलर' विकसित किया है, उसमें फिल्टर को 20 सालों तक बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसकी कीमत 500 रुपए तक हो सकती है।

प्लास्टिक से बनाया 45 रुपए प्रति लीटर डीजल

आइआइटी दिल्ली से कैमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहीं उमा द्विवेदी ने प्लास्टिक की समस्या से निजात दिलाने का नायाब तरीका खोज निकाला है।

उन्होंने प्लास्टिक या पॉलीथीन के छोटे-छोटे टुकड़ों का उत्प्रेरक सॉलिड एसिड जियोलाइट्स के साथ रसायनिक प्रतिक्रिया करके डीजल बनाया है।

क्यों जरूरी है प्लास्टिक पर रोक

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

प्लास्टिक के बढ़ते कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेट्रा पैक का भी है। टेट्रा पैक भी एक सिंगल यूज प्लास्टिक है जो धरती की सांसे अवरुद्ध और पानी को विषैला कर रही है। हर साल भारत में 630 करोड़ फेंके हुए टेट्रा पैक एकत्र नहीं किए जाते हैं। भारत में प्लास्टिक कचरे का 42 फीसद हिस्सा बहु-परतीय पैकेजिंग से निकलता है। कई तरह के पदार्थों (मल्टी मैटेरियल) को मिला कर तैयार होने वाली पैकेजिंग धरती पर खतरनाक रसायनों को छोड़ने के लिए अधिक संवेदनशील है।

देश

क्या है टेट्रा पैक

टेट्रा पैक्स को पॉलीथिन प्लास्टिक (20 फीसद), कागज (75 फीसद)और एल्यूमिनियम (5 फीसद) की पतली परतों को आपस में चिपकाकर बनाया जाता है, जिसके कारण इन्हें परत दर परत अलग कर पुनर्चक्रित करना काफी कठिन है। ऊर्जा व संसाधन संस्थान (टीईआरआइ)के अनुमान के अनुसार भारत में हर साल 900 करोड़ टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें से मात्र 270 करोड़ (30 फीसद) पैकेट ही पुनर्चक्रित किए जाते हैं। बचे हुए 630 करोड़ पैकेट्स जो कि 94500 मैट्रिक टन कचरे के बराबर हैं (15 ग्राम प्रति पैक), हर साल कचरा भराव क्षेत्रों और पानी को प्रदूषित करते हैं।

जटिल व महंगा है इनका पुनर्चक्रण

भारत में प्रत्येक मिनट लगभग 15,000 टेट्रा पैक खरीदे और फेंके जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी टेट्रा पैक निर्माता कंपनी (टेट्रा पैक) की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में टेट्रा पैक को पुनर्चक्रित करने के लिए मात्र चार इकाइयां आइटीसी पेपर, डीलक्स रिसाइकलिंग, ईस्टर्न कार्गो और खातेमा फाइबर्स हैं। देश में टेट्रा पैक्स को एकत्र करने और उन्हें पुनर्चक्रित करने की प्रणाली अत्यंत कमजोर है और पुनर्चक्रण से पूर्व परतों को अलग करने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की तकनीक की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में प्रतिदिन इस्तेमाल किए जाने वाले टेट्रापैक, ब्रिक्स के डिब्बों की भारी संख्या को एकत्र करने के लिए सिर्फ 33 कलेक्शन सेंटर काम कर रहे हैं। टेट्रा पैक संगठन 2010 से गो ग्रीन मुहिम चला रहा है लेकिन अब तक मात्र 26 लाख फेंके हुए टेट्रा पैक ही एकत्र कर सका है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के पूर्व अपर निदेशक और शोध व विकास कार्य के मुखिया डा संजय के चट्टोपाध्याय ने कहा कि टेट्रा पैक नॉन-रिसाइक्लेबल लैमिनेट हैं और जैविक तौर पर पूरी तरह से अपघटित नही होते। हालांकि कागज का गत्ता जैविक तौर परअपघटित हो जाता है लेकिन प्रिंटिंग इंक पर्यावरण में जाती है। समस्त पैकेजिंग, जिसमें प्लास्टिक की परत होती है, यदि लंबे समय तक पर्यावरण में पड़ी रहती है, तो यह पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों को उत्पन्न कर सकती हैं। यदि हम इस्तेमाल के बाद पुनर्चक्रण की बात करें तो ये व्यवहारिक नही है कि टेट्रा पैक में मौजूद पॉलीएथलीन, कागज के गत्ते और

एल्यूमिनियम की अत्यंत पतली परतों को अलग किया जा सके और इसलिए ये पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त नही है। हालांकि,आजकल टेट्रा पैक के कागजी भाग को पृथक कर पैनल बोर्ड और छत की शीट्स जैसे पुनर्चक्रित उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन असली गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रित उत्पाद टेट्रा पैक के तत्वों से नही बनाए जा सकते। इसलिए यह प्रणाली रेखीय यानी एक बार प्रयोग लायक ही रहती है न कि चक्रीय, जिससे इसे सस्टेनेबल बनाया जा सके। टेट्रा पैक बनाने वाली कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक तौर पर हर साल 189 बिलियन टेट्रा पैक्स का उत्पादन किया जाता है जिसमें से 26 फीसद पुनर्चक्रित किए जाते हैं, अर्थात 139 बिलियन पैक्स पूरे विश्व में एकत्र नही किए जाते। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान ने यह मांग भी की है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। संस्थान के अध्यक्ष व पं दीनदायल उपाध्याय के भतीजे वनोद शुक्ल ने कहा कि टेट्रा पैक के निर्माण में प्रयोग आने वाला प्लास्टिक पतली पॉलीथिन बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की तरह ही होता है जो मानव स्वास्थ्य और धरती मां के लिए अत्यंत हानिकारक होता है।

सच्चाई व भ्रांति

टेट्रा पैक को लेकर कई तरह की भ्रांतियां है। हममें से अधिकतर सोचते हैं कि टेट्रा पैक कागज से बनाए जाते हैं और इसलिए वे पर्यावरण के प्रति अनुकूल हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। यह ऐसी पैकेजिंग है जिसमें कई सामग्रियों का प्रयोग होता है और इस कारण इसे पुनर्चक्रित करना काफी कठिन है। इनका घर पर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है और पुनर्चक्रण शृंखला में इसकी कीमत मामूली है। टाक्सिक वाच आलायंस के संयोजक गोपाल कृष्ण ने कहा कि वर्तमान में भारत में प्लास्टिक कचरे में से 42 फीसद बहु-परतीय पैकेजिंग से होता है। कंपनियां इसे री साइकिल करने का दावा तो करती है लेकिन दरअसल वह डाउन साइकिलिंग होता है यानी हर बार चक्रित किए जाने के साथ इसकी गुणवत्ता उत्तरोत्तर खराब होती जाती है।

सभी याचिकाओं पर सुनवाई 14 नवंबर से

पेज 1 का बाकी

एक हफ्ते के भीतर इनका जवाब देना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा- हमें केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देनी होगी अन्यथा हम इस मामले का फैसला नहीं कर सकते हैं। पीठ ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने के मामले में अब और कोई नई याचिका दायर करने पर भी रोक लगा दी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा- हमने उन्हें (केंद्र और जम्मू-कश्मीर) जवाब दाखिल करने के लिए समुचित वक्त दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय देने के अनुरोध का विरोध कर रहे थे।

पीठ ने कहा कि यह सोचना ही अनुचित होगा कि 31 अक्तूबर से पहले कोई फैसला या आदेश दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य 31 अक्तूबर को दो केंद्र शासित राज्यों में तब्दील हो जाएगा और इसलिए इन याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने व इस दौरान यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की आवश्यकता है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर को 28 अगस्त की सुनवाई के आलोक में अपने जवाब दाखिल करने चाहिए थे। पीठ ने कहा- हमें सरकार को जवाब दाखिल करने की अनुमति देनी ही होगी।

पीठ ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर के जवाब का इंतजार करने पर जोर देते हुए कहा-यदि याचिका स्वीकार हो गई, तो क्या हम पहले की स्थिति बहाल नहीं कर सकते? इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के पांच अगस्त के केंद्र के फैसले से पहले ही दायर की गई याचिकाओं का मुद्दा उठा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने तो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों और अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिकता को पहले ही चुनौती दे रखी है।

पीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूर्य प्रताप सिंह को बुलाया और इस विषय पर लंबित याचिकाओं की जानकारी प्राप्त करके अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया। इस मामले में जब कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी तो पीठ ने कहा- यदि हर कोई याचिका दायर करना चाहेगा तो यहां एक लाख याचिकाएं हो जाएंगी। इससे तो काम नहीं चलेगा। कृपया ऐसा नहीं करें। यह अनावश्यक रूप से मामले में विलंब ही पैदा करेगा।

सतपाल सांगवान जजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर।

हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सूबे के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे सतपाल सांगवान और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सासंद ईश्वर सिंह अपने समर्थकों सहित जननायक जनता पार्टी (जजपा) में शामिल हो गए।

फडणवीस को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर।

कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अदालत ने फडणवीस के खिलाफ दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित रूप से मुहैया नहीं कराने के मामले में सुनवाई का आदेश दिया। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हलफनामा मामले में सुनवाई आगे चलेगी। उन्होंने कहा कि नैतिकता और भाजपा दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। लेकिन फिर भी हमारा यह कहना है कि जब आपराधिक मामला चलता है तो उन्हें (फडणवीस को) नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। गोहिल ने कहा कि अगर आरोपी मुख्यमंत्री पद पर बैठा रहेगा तो कानूनी प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है।

हरियाणा में कांग्रेस आज जारी कर सकती है सूची

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी किए जाने के आसार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दो-दो दौर की बैठक के बावजूद पार्टी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। दूसरी ओर 78 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी भाजपा में भी बाकी बची एक दर्जन सीटों को लेकर मंथन चलता रहा। दो मंत्रियों सहित सात विधायकों के टिकट काट चुकी पार्टी अब नुकसान की भरपाई में जुटी दिख रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित निवास पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद 3 बजे शुरू हुई। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, के सी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मोहसिना किदवई, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद आदि तमाम नेता उपस्थित थे। इस बैठक के बाद पार्टी सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों को लेकर फैसला नहीं हो पाने की वजह से एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दूसरे दौर की बैठक के बाद ही पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी।

हरियाणा कांग्रेस के टिकटों की घोषणा होने से पहले ही महम विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक आनंद सिंह डांगी के पर्चा दाखिल कर दिए जाने को लेकर पार्टी में अंदरखाने नाराजगी जताए जाने की भी खबरें हैं। हालांकि किसी भी नेता ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ कहने से इनकार किया। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने देशव्यापी पदयात्राओं का आयोजन किया है, लिहाजा पार्टी उम्मीदवारों की सूची दोपहर बाद जारी किए जाने के आसार हैं।

इधर भाजपा में भी 12 बची हुई सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन हुआ।

जम्मू-कश्मीर में बीडीसी चुनाव 24 को

पेज 1 का बाकी

होगा। मतों की गिनती भी उसी दिन दोपहर तीन बजे से शुरू हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव की यह प्रक्रिया पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है जो पांच नवंबर तक संपन्न होगी। कुमार ने बताया कि यह चुनाव दलगत आधार पर होंगे और 26,629 पंच और सरपंच मतदान करने और बीडीसी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के योग्य हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से पंचों और सरपंचों के करीब 24 फीसद (12,766) पद खाली पड़े हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जम्मू संभाग से 18,000 से ज्यादा पंच व सरपंच चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि कश्मीर संभाग में सिर्फ 7,528 निर्वाचित पंच व सरपंच हैं। लद्दाख क्षेत्र के करगिल में 841 और लेह में 744 मतदाता हैं।

भारत भूमि की भक्ति करने वाला ही हिंदू

पेज 1 का बाकी

सभी को अपना ही मानते हैं। उन्होंने कहा, 'संघ सब कुछ करे, यह नहीं सोचना है। संघ के कारण ही सब कुछ हो रहा है, यह विचार बन गया तो संघ की आंशिक पराजय होगी।' भागवत ने कहा कि संघ में विचारों की स्वतंत्रता है, कोई ऐसा करे ही, इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अनेक मत होने के बाद भी सब साथ चलते हैं, मतभेद होने के बाद भी मनभेद नहीं होता है ।

सरसंघचालक ने समलैंगिक वर्ग का नाम लिए बिना उनके परोक्ष संदर्भ में कहा, 'वे भी मनुष्य हैं। उनका भी समाज जीवन में स्थान है। महाभारत के युद्ध में इसी वर्ग से एक योद्धा ऐसा भी था, जिनके पीछे धनुर्धारी अर्जुन को भी खड़ा होना पड़ा था।'

पीड़िता के पिता ने जताई परिवार को फंसाए जाने की आशंका

पेज 1 का बाकी

दावा किया कि उन्हें खबर मिली है कि चिन्मयानंद और उनके साथी उन्हें व उनके परिवार को किसी झूठे मामले में फंसा सकते हैं ताकि वह अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई न लड़ सकें। कथित पीड़िता के पिता ने कहा कि जिला अदालत से उनकी बेटी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब इस मामले को लेकर वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन दिन पहले कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर उनसे इस न्याय की लड़ाई में मदद मांगी थी। पीड़िता ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद लड़की लापता हो गई थी। बाद में वह राजस्थान में मिली थी। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की विशेष जांच दल से तफ्तीश कराने के आदेश दिए थे। एसआइटी ने अपनी जांच के बाद स्वामी चिन्मयानंद को लड़की के यौन शोषण और संबंधित लड़की व तीन अन्य को चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया था।

दरअसल

फडणवीस को करना होगा मुकदमे का सामना

पेज 1 का बाकी

पीठ ने अपने फैसले में देवेंद्र फडणवीस द्वारा दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में बंबई हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'प्रतिवादी (फडनवीस) को दो लंबित मामलों की जानकारी थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले सतीश उकी की अपील पर यह निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि फडणवीस को इन कथित अपराधों के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमे का सामना करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने इस मामले में 23 जुलाई को सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

अदालत ने उस समय टिप्पणी की थी कि फडणवीस द्वारा 2014 में चुनाव के समय हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने की भूल चूक के बारे में मुकदमे की सुनवाई के दौरान फैसला हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसका सरोकार बहुत ही सीमित मुद्दे पर है कि क्या पहली नजर में इस मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए आकर्षित होती है या नहीं।

यह प्रावधान गलत हलफनामा दाखिल करने की सजा के बारे में है और इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रत्याशी या उसका प्रस्तावक किसी लंबित आपराधिक मामले के बारे में नामांकन पत्र में कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहता है या इसे छुपाता है या गलत जानकारी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। उकी की दलील थी कि फडणवीस ने दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देकर गलत हलफनामा दाखिल किया और इसके बावजूद निचली अदालत व हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए पहली नजर में इसमें कोई मामला नहीं बनता है। ये दोनों आपराधिक मामले कथित कपट और जालसाजी के हैं जो फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में दायर हुए थे लेकिन इनमें अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए थे।

'विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाए पुलिस'

पेज 1 का बाकी

सामने आई है। वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों व अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करने और इस संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। डीजीपी कार्यालय से यह पत्र मीडिया को मंगलवार को जारी किया गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक जनपद के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सड़कों के किनारे और उसके आसपास नई बस्तियों आदि स्थानों का चिह्नांकन तत्काल कराया जाए, जहां इस तरह के बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिक शरण लेते हैं।

इस अभियान में पूर्ण सर्तकता व वीडियोग्राफी के साथ नियमानुसार सत्यापन अभियान चलाया जाए। पत्र में उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर कोई अपना पता राज्य के अन्य जिलों में बताए तो समयबद्ध तरीके से संबंधित राज्य के जनपद से उनका सत्यापन करा लिया जाए।

इस बात की भी जांच कराई जाए कि इन बांग्लादेशी नागरिकों या अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा अपने प्रवास को कानूनी बनाने के लिए कौन-कौन से अभिलेख/सुविधाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इनमें राशन कार्ड, मतदान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट व आधार कार्ड आदि हो सकते हैं।

डीजीपी द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि उपरोक्त फर्जी अभिलेखों व सुविधाओं के बारे में जांच पूरी होने पर उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन बिचौलियों और विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों की भी पहचान की जाए, जिन्होंने ये सुविधाएं उपलब्ध कराने में बांग्लादेशी/विदेशी नागरिकों की सहायता की। इन लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की जाए।

पत्र में कहा गया है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों की उंगलियों के निशान लेकर उन्हें राज्य के 'फिंगर प्रिंट ब्यूरो' भेजा जाए, जहां इनके बारे में जनपदवार 'कंप्यूटराइज्ड डाटा बेस' अलग से रखा जाए।

निर्माण कंपनियों आदि से कहा जाए कि वे अपने यहां काम करने वाले सभी मजदूरों का पहचानपत्र अपने पास रखें और उनका नियमानुसार पुलिस से सत्यापन भी कराएं।

डीजीपी ने कहा कि अवैध नागरिकों की पहचान और उनके सूचीबद्ध हो जाने के बाद उनको वापस भेजने के लिए प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में शासन के गृह (वीजा) विभाग को भेजा जाए।

अगर तत्परता से सत्यापन के बाद यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति बांग्लादेश या किसी अन्य देश से संबंध रखता है तो तुरंत एलआइयू और अन्य एजंसियों को सूचना देकर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश वापस लिए

पेज 1 का बाकी

और वे बहिष्कृत जीवन गुजारते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अजा-अजजा वर्ग के लोगों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पीठ ने 18 सितंबर को इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी की थी।

पीठ ने अदालत की दो सदस्यीय पीठ के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया था कि क्या संविधान की भावना के खिलाफ कोई फैसला सुनाया जा सकता है। पीठ ने कानून के प्रावधानों के अनुरूप समानता लाने के लिए कुछ निर्देश देने का संकेत देते हुए कहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के साथ भेदभाव और अस्पृश्यता बरती जा रही है।

यही नहीं अदालत ने हाथ से मलबा उठाने की कुप्रथा और सीवर व नालों की सफाई करने वाले इस समुदाय के लोगों की मृत्यु पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा था कि दुनिया में कहीं भी लोगों को 'मरने के लिए गैस चैंबर' में नहीं भेजा जाता है। पीठ ने कहा था-यह संविधान की भावना के खिलाफ है। क्या किसी कानून और संविधान के खिलाफ सिर्फ इस वजह से ऐसा कोई आदेश दिया जा सकता है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है? क्या किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर किसी के प्रति संदेह व्यक्त किया जा सकता है? सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी फर्जी प्राथमिकी दायर कर सकता है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना था कि 20 मार्च, 2018 का शीर्ष अदालत का फैसला संविधान की भावना के अनुरूप नहीं था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को सरकार संरक्षण प्रदान नहीं कर सकी है और अभी तक उनके साथ भेदभाव और अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है।

अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जबर्दस्त हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था।

'सभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता'

पेज 1 का बाकी

एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'बहुत जरूरी' है और इसे लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस एनआरसी के बारे में लोगों को गुमराह कर रही हैं। शाह ने कहा कि एनआरसी के मुद्दे पर बंगाल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं भाजपा के रुख पर सभी संशयों को स्पष्ट करने के लिए आज यहां हूं। ममता दी कह रही है कि लाखों हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ना होगा। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआरसी लागू किया जाएगा लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें देश छोड़ना नहीं पड़ेगा, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी और उन्हें एक भारतीय नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे।' शाह ने कहा कि किसी भी घुसपैठिए को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'किसी /इबाकी पेज 8 पर /इशरणार्थी को जाने नहीं देंगे, किसी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। हम एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर करेंगे।' उन्होंने कहा कि इतने सारे घुसपैठियों का बोझ उठाते हुए दुनिया का कोई भी देश आसानी से नहीं चल सकता। इसे रोकना होगा। हम बंगाल को बदलने के वास्ते काम कर रहे हैं। एनआरसी जरूरी है। हमें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनआरसी को लागू करना होगा।' भाजपा अध्यक्ष ने याद किया कि बनर्जी जब विपक्ष में थी तो कैसे अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाती थीं।

उन्होंने कहा कि जब ममता दी विपक्ष में थीं तो वह बंगाल से इन घुसपैठियों को हटाने के लिए कहती थीं। अब ये घुसपैठिए उनके वोट बैंक बन गए हैं तो वह उन्हें नहीं हटाना चाहती है। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय हित पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस बीच शाह के आरोपों पर बनर्जी ने उनका नाम लिए बगैर 95 पल्ली पूजा उद्घाटन के मौके पर कहा, 'कृपया लोगों के बीच मनमुटाव पैदा न करें। बंगाल को सदियों से विभिन्न धर्मों के नेताओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है।' भाजपा अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।

जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि मुखर्जी के बलिदान के कारण ही आज पश्चिम बंगाल भारतीय गणराज्य का हिस्सा है। शाह ने यह भी विश्वास जताया कि भाजपा अगले विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आएगी।

पाकिस्तान ने मलीहा लोधी को हटाया

पेज 1 का बाकी

महासभा में हिस्सा लेने अमेरिका गए थे, जहां पहली बार उन्होंने पिछले हफ्ते कश्मीर का मसला उठाया था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, 'राजदूत मुनीर अकरम को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में डॉ. मलीहा लोधी की जगह पाकिस्तान का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।' बयान में लोधी के हटाए जाने का कारण नहीं दिया गया है।

खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 15 मिनट की बजाए 50 मिनट तक संबोधित किया। खान अपने संबोधन में आधे समय तक कश्मीर पर चर्चा करते रहे । उन्होंने चेताते हुए कहा कि दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों का अगर आमना-सामना होता है तो इसके परिणाम सीमाओं से कहीं आगे होंगे। उनकी युद्ध संबंधी बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति संदेश के विपरीत थी। मोदी ने इसी मंच से खान से कुछ ही मिनट पहले कहा था कि भारत एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि बुद्ध का शांति का संदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के भारत सरकार के फैसले का पाकिस्तान अंतराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है। इस बारे में भारत ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किया जाना उसका आंतरिक मामला है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के बयान में कहा गया कि अकरम अब न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में रहेंगे। अकरम अनुभवी राजनयिक हैं, जो 2002 से 2008 तक संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या का मामला संयुक्त राष्ट्र में पेश करने पर असहमति के चलते तत्कालीन पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

'निजी स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन बनाना होगा'

पेज 1 का बाकी

तहसीन पूनावाला और फाउंडेशन आफ मीडिया प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष प्रणंजय गुहा ठाकुरता सहित अनेक याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कश्मीर मे संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप है और पत्रकारों के आवागमन पर प्रतिबंध है।

पीठ ने केंद्र को इन याचिकाओं पर जवाब देने और याचिकाकर्ताओं को इसके बाद अपने प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इस मामले को नवंबर के दूसरे हफ्ते के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने घाटी में पाबंदियों से संबंधित नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा-व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही शीर्ष अदालत ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर कहा कि यह बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका थी और उन्हें अदालत ने राहत दे दी है।

पीठ ने येचुरी की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन से कहा-आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। वह अनुरोध अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति (मोहम्मद यूसुफ तारिगामी) ने खुद भी अनुच्छेद 370 को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। यह एक सीमित मुद्दे के बारे में थी। अब आप और क्या राहत चाहते हैं? रामचंद्रन ने कहा कि वे चाहते हैं कि तारिगामी की हिरासत को गैरकानूनी घोषित किया जाए या फिर पांच अगस्त के बाद उन्हें हिरासत में रखने को न्यायोचित ठहराने के लिए प्राधिकारियों से कहा जाए।

इस पर पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सुचारू ढंग से काम कर रहा है और याचिकाकर्ता राहत के लिए वहां जा सकता है। इसी से संबंधित एक अन्य मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजादी की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार यह नेता कश्मीर गया था। अतः उसकी याचिका में किए गए पहले अनुरोध पर अमल हो चुका है। अहमदी ने कहा कि उनके अन्य अनुरोध अभी भी शेष हैं और प्राधिकारियों को अदालत को बताना चाहिए कि कानून के किन प्रावधानों के तहत घाटी में लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।

टिकट नहीं मिला तो सफीदों विधायक ने भाजपा छोड़ी

जींद, 1 अक्तूबर (भाषा)।

सफीदों विधानसभा से भाजपा की टिकट न मिलने से नाराज निवर्तमान विधायक जसबीर देशवाल ने भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) में जाने के संकेत दिए हैं।

जसबीर देशवाल ने वर्ष 2014 में सफीदों विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भाजपा प्रत्याशी वंदना शर्मा को 1422 वोटों से मात देकर विधायक बने थे। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। देशवाल ने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के वोटों से वह विधायक बने थे। भाजपा की नीतियों में उनकी आस्था थी और इन्हीं नीतियों की वजह से वह भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने को लेकर वह बुधवार को प्रस्तावित कार्यकर्ताओं की बैठक में उनसे बात करेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा ई-मेल द्वारा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है।

गांधी ही नहीं उनके फोटो से भी ली खूब प्रेरणा

पेज 1 का बाकी

अपने हाथों में समाजवाद की मशाल थामते थे, अत्याचार से लड़ते थे और धन एवं शारीरिक संबंध जैसी भौतिक चीजों से दूरी प्रदर्शित करते थे। गांधी के जीवन से लिए गए अध्यायों पर सबसे सफल फिल्म रिचर्ड एटनबरो की 1983 की ऑस्कर विजेता फिल्म 'गांधी' है, जिसमें बेन किंग्सले ने मुख्य भूमिका निभाई। 'गांधी' में उनकी हत्या तक के उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है। 'गांधी, माय फादर' (2007) में इसके निर्देशक फिरोज अब्बास खान ने गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के बीच के संबंधों को दिखाया। श्याम बेनेगल की फिल्म 'द मेकिंग ऑफ महात्मा' में दक्षिण अफ्रीका में बिताए गांधी के समय को विषयवस्तु बनाया गया है। गांधी को भी केंद्र में रखने वाली कुछ फिल्मों में 'दि लेजेंड ऑफ भगत सिंह', 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस : फॉरगटन हीरो', 'वायसराय हाऊस' और टीवी कार्यक्रम 'संविधान' भी शामिल हैं।

बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने भी फिल्मों में गांधी की यादगार भूमिका निभाई है जैसे-'द मेकिंग ऑफ द महात्मा' में रजत कपूर और 'हे राम' में नसीरूद्दीन शाह आदि। शाह ने अपने संस्मरण 'एंड देन वन डे' में लिखा है, '1926 में यंग इंडिया में एक आलेख में /इबाकी पेज 8 पर /इ गांधी ने लिखा था कि जर्मन कंपनी उन पर एक फिल्म कंपनी का प्रचार करने का आरोप लगा रही है, जबकि सिनेमा से उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है...।' महात्मा गांधी ने अपने जीवन में चंद फिल्में ही देखी हैं जिनमें 1940 में विजय भट्ट की 'राम राज्य' शामिल है। उन्होंने कहा, 'वह जीवन चरित देखने में यकीन रखते थे। वह चाहते थे कि कि लोग महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लें और खुद ही कुछ दिलचस्प चीजें करें। वह नहीं चाहते थे कि लोग जीवन से भागें (पलायनवादी बने), वह चाहते थे कि लोग जीवन की मुश्किलों का डट कर सामना करें।' बेनेगल ने कहा कि 1996 की फिल्म 'द मेकिंग ऑफ महात्मा' चीजों को गांधी के नजरिए से समझने की कोशिश थी। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि भारतीयों पर गांधी का जबरदस्त प्रभाव रहा है।

नई दिल्ली

नेपाली संसद के अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप, दिया इस्तीफा

काठमांडो, 1 अक्तूबर (भाषा)।

नेपाल की संसद के अध्यक्ष ने संसदीय सचिवालय में एक महिला कर्मी के साथ बलात्कार का आरोप लगने के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष कृष्णा बहादुर महरा ने विधानसभा उपाध्यक्ष शिवमाया तुंबाहंफे को अपना त्यागपत्र सौंपा। त्यागपत्र में महरा ने कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है ताकि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। इससे पहले महरा ने महिला के आरोपों से इनकार किया था।

ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हमरो कुरा में पीड़िता ने दावा किया है कि वह सालों से महरा को जानती थी और उन्होंने उनके साथ आशालीन बर्ताव किया। उसने दावा किया कि 23 सितंबर को जब वह अपने किराए के मकान में अकेली थी तब महरा उसके यहां आए थे। पीड़िता ने उन्हें नशे की हालत में होने की वजह से घर में घुसने से रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी।

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

MISQUITA ENGINEERING LIMITED

(CIN: U74210GA1998PLC002537)

Our Company was originally incorporated as "Misquita Engineering Private Limited" at Panaji, Goa as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated March 04, 1998 bearing Registration Number 24-02537 issued by Registrar of Companies, Goa, Daman & Diu. Subsequently, our Company was converted into Public Company pursuant to Shareholders resolution passed at the Annual General Meeting of our Company held on August 29, 2017 and the name of our Company was changed to "Misquita Engineering Limited" and a fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Conversion from Private Company to Public Company dated October 18, 2017 was issued by the Registrar of Companies, Goa. The Corporate Identification Number (CIN) of our Company is U74210GA1998PLC002537. For details of Incorporation, change of name and Registered Office of our Company, please refer to chapters titled "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 47 and 115 of the Prospectus.

Registered Office and Corporate Office : 182/1, Vaginim Vaddo, Nachinol, Aldona, North Goa, Goa – 403 508, India

Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Bhawini Surana

Tel: +91 83088 48233; **E-mail:** info@misquitaengg.com ; **Website:** www.misquitaengg.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. THOMAS CONSTANCE AVINASH MISQUITA AND MS. GAIL LUCIA MISQUITA

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF UPTO 7,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES")OF MISQUITA ENGINEERING LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 193.32 LAKH ("THE ISSUE") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 4,44,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 119.88 LAKH (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 2,72,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ 73.44 LAKH OF WHICH 36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 9.72 LAKH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 6,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 27.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 183.60 LAKH (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.58% AND 25.24% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹ 27.00 IS 2.7 TIMES OF THE FACE VALUE.

ISSUE OPENED ON: MONDAY, SEPTEMBER 23, 2019 AND ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019

The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from BSE Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated September 12, 2019. BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is proposed to be commenced on or before October 04, 2019 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category shall be made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public shall initially be made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public shall be made available for allotment to Other than Retail Individual Investors and other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in the Issue only through APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs").

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue has received 112 applications for 9,88,000 Equity Shares (before technical rejections but after invalid Bids Multiple/ Duplicate and Bids not banked) including Market Making application of 36,000 Equity Shares. The Issue was subscribed to the extent of 1.54 times as per the bid book received from BSE Limited and after moving multiple and duplicate bids, bid not banked and technical rejection cases from the Bid book, the Issue was subscribed by 1.35 times. The details of the applications received in the Issue (before technical rejections but after invalid Bids Multiple/ Duplicate and Bids not banked) are as follows:

Detail of the Applications Received :

Category	No. of Applications	% of Total	No. of Equity Shares	% of Total	Subscription
Market Maker	1	0.89	36,000	3.64	1.00
Retail Individual Applicant	61	54.46	2,44,000	24.70	0.72
Other than Retail Individual Applicant	50	44.64	7,08,000	71.66	2.08
Total	**112**	**100.00**	**9,88,000**	**100.00**	**1.38**

Summary of Valid Applications

CATEGORY	Gross		Less: Rejections		Valid	
	No. of Applications	Equity Shares	No. of Applications	Equity Shares	No. of Applications	Equity Shares
Market Maker	1	36,000	-	-	1	36,000
Retail Individual Applicant	61	2,44,000	3	12,000	58	2,32,000
Other than Retail Individual Applicant	50	7,08,000	1	8,000	49	7,00,000
Total	**112**	**9,88,000**	**4**	**20,000**	**108**	**9,68,000**

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on September 30, 2019.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 27.00 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 36,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
36,000	1	100.00	36,000	100.00	36,000	36,000	1:1	36,000	0
Total	**1**	**100.00**	**36,000**	**100.00**				**36,000**	**0**

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹ 27.00 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 2,32,000 Equity Shares. The category was subscribed by 0.68 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	No. of Shares Surplus/ Deficit
4,000	58	100.00	2,32,000	100.00	4,000	4,000	1:1	2,32,000	-1,08,000
Total	**58**	**100.00**	**2,32,000**	**100.00**				**2,32,000**	**-1,08,000**

C) Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non – Retail Investors, at the Issue Price of ₹ 27.00 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 7,00,000 Equity Shares. The category was subscribed by 2.06 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	Total No. of Shares Surplus/ Deficit
8,000	32	65.31	2,56,000	36.57	5,120	4,000	1:1	1,28,000	-35840
		0.00		0.00		4,000	9:32	36,000	36000
16,000	4	8.16	64,000	9.14	10,240	8,000	1:1	32,000	-8960
		0.00		0.00		4,000	1:2	8,000	8000
20,000	8	16.33	1,60,000	22.86	12,800	12,000	1:1	96,000	-6400
		0.00		0.00		4,000	1:4	8,000	8000
24,000	2	4.08	48,000	6.86	15,360	16,000	1:1	32,000	1280
28,000	1	2.04	28,000	4.00	17,920	16,000	1:1	16,000	-1920
40,000	1	2.04	40,000	5.71	25,600	24,000	1:1	24,000	-1600
1,04,000	1	2.04	1,04,000	14.86	66,560	68,000	1:1	68,000	1440
Total	**49**	**100**	**7,00,000**	**100.00**				**4,48,000**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on September 30, 2019, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE Limited and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before September 30, 2019. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks will be processed on or before October 01, 2019 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within 6 working days from the Closure of the issue. The trading is proposed to be commenced on or before October 04, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE Limited.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 12, 2019 ("Prospectus").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at Website: www.bigshareonline.com.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
GRETEX **GRETEX CORPORATE SERVICES PVT. LTD.** Office No. 13, 1st Floor, New Bansilal Building, Raja Bahadur Mansion, 9-15, Homi Modi Street, Fort, Mumbai – 400 001, Maharashtra. **Tel. :** +91–22-4002 5273 | **Fax :** NA **Email:** info@gretexgroup.com **Website:** www.gretexcorporate.com **SEBI Registration No.:** INM000012177 **Contact Person:** Ms. Amina Khan/ Ms. Kritika Rupda	Bigshare Services Pvt. Ltd. **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin works building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai – 400 059, Maharashtra **Tel. :** : +91-022-62638200 **Fax :** +91-022-62638299 **Email :** ipo@bigshareonline.com **Website :** www.bigshareonline.com **Investor Grievance Email :** investor@bigshareonline.com **Contact Person :** Mr. Babu Rapheal **SEBI Registration No. :** INR000001385	**MISQUITA ENGINEERING LIMITED** Ms. Bhawani Surana 182/1, Vaginim Vaddo, Nachinol, Aldona, North Goa, Goa-403508, India **Tel.:** +91 83088 48233; **E-mail:** info@misquitaengg.com; **Website:** www.misquitaengg.com **All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:**

Place: Mumbai
Date: October 01, 2019

For Misquita Engineering Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Thomas Constance Avinash Misquita
Chairman & Managing Director
DIN: 00060846

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MISQUITA ENGINEERING LIMITED.

MISQUITA ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the Lead Manager at www.misquitaengg.com, www.bsesme.com and www.gretexcorporate.com respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 21 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Raka

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जमशेदपुर।

Email-ID- rdsdjamshedpur@gmail.com

पत्रांक :................../जमशेदपुर, दिनांक :................../

शुद्धि पत्र।

इस कार्यालय का अतिअल्पकालिक ई० निविदा सूचना संख्या RDSD/JAMSHEDPUR/03/2019-20 जिसका (PR. No.-218058) Rural Development (2019-20):D में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य पूर्ण करने की अवधि को 18 माह के बदले 15 माह पढ़ा जाए।

शेश अन्य सभी शर्तें पूर्ववत: रहेगा।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
जमशेदपुर

PR 218546 Rural Development(19-20)D

बूंद – बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

अनुसूची–II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
प्रवीर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	प्रवीर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23.9.1999
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार– दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45201DL1999PTC101672
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	413, 4था तल, नौरंग हाउस बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	26.8.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	27.9.2019
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	आलोक कौशिक, पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00253/2017-18/10767
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	जी–105, साई बाबा अपार्टमेन्ट्स, रोहिणी, सेक्टर–9, दिल्ली–110085 ईमेलः alok-kaush@yahoo.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	जी–105, साई बाबा अपार्टमेन्ट्स, रोहिणी, सेक्टर–9, दिल्ली–110085 ईमेलः liquidator.pcl@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	27.10.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, (प्रधान पीठ, नई दिल्ली) ने संहिता की धारा 33 के अंतर्गत 27.9.2019 को प्रवीर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा प्रवीर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 27.10.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–
तिथि: 01.10.2019 — परिसमापक का नाम: आलोक कौशिक
स्थान: दिल्ली — परिसमापक का पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00253/2017-18/10767

ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल
मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची

ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस (अल्पकालीन)

टेन्डर रेफरेन्स नं0–BCD/CE/28/Daltonganj /2019-20 दिनांक– 01-10-2019

1	कार्य का नाम	Construction of Boundary wall for Sub Jail Hussainabad at Kurwakala Daltonganj in Palamu District, Jharkhand.
2	प्राक्कलित राशि (रु0)	रु0 1,29,04,000.00 (रुपये एक करोड़ उनतीस लाख चार हजार) मात्र।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 महीने
4	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	9-10-2019
5	बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि / समय	16-10-2019 के 11.00 AM तक
6	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची।
7	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651–2206238
8	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651–2206236

- किसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है। *Note: UCAN Registration is mandatory for the Bidders*

बूंद – बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

नोडल पदाधिकारी ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल, मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग,भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची

PR 218611 (Building)19-20#D

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance through publication

O.A. No. 978/2018 — **DATED : 19-07-2019**

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

O.A. No. 978 / 2018

STATE BANK OF INDIA ....Applicant
Versus
M/S MILLENIUM COLD PRODUCTS & OTHERS ....Defendant

To,

1. **M/s Millenium Cold Products**, A Proprietorship concern situated at Khasra No. 587/4, Opp. Gandhi Colony Khanpur Road, Parikshat Garh, Tehsil Mawana District Merrut U.P.-250406 (Through its Proprietor - Defendant No. 2 i.e. Shri Bupendra Tyagi)
2. **Shri Bhupendra Tyagi, adult S/o Shri Ashok Kumar Tyagi** R/o 71, Ram Nagar Gate, Parikshit Garh, Meerut, U.P.-250406 **Second Address** : C/o M/s Millenium Cold Products, at Khasra No. 587/4, Opp. Gandhi Colony, Khanpur Road, Parikshat Garh, Tehsil Mawana District Meerut, U.P.-250406

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **15-10-2019 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: बंगाली मार्केट, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने माग सूचना दिनांक **05/07/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा <u>कर्जदार:</u> **श्रीमती सुशीला शर्मा पत्नी श्री सत्य प्रकाश शर्मा एवं श्री संदीप वशिष्ठ पुत्र श्री सत्य प्रकाश शर्मा और गारंटर श्री रमेश चन्द,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.30,10,971/– (तीस लाख दस हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर एवं यानि 05.07.2019 से ब्याज चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 27 सितम्बर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.30,10,971/– (तीस लाख दस हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये मात्र) और उस पर 05.07.2019 से ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

<u>अचल सम्पत्ति का विवरण</u>

सम्पत्ति सं.ए–132 (पुराना नं.6), खसरा नं.503/36, गाँव बाबरपुर, उत्तरी छज्जूपुर, कबीर नगर, गली नं.3, शाहदरा, दिल्ली–110094.

फ्लैट जो घिरा है:
उत्तर: अन्य की सम्पत्ति — **दक्षिण:** श्री जगदीश का प्लॉट
पश्चिम: गली 15 फीट — **उत्तर:** उक्त भूखंड का शेष भाग

स्थान: दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 27.09.2019 — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]
फ्रिक्शन फायबर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	फ्रिक्शन फायबर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	10.2.2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का	U28113 DL2012 PTC231368
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एफ–8/7, प्रथम् तल, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.9.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	भीम सैन गोयल, 405, स्काईलार्क, 60 बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019 सम्पर्क नं.: 9811081491, पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00726/2018-2019/12216 ईमेल आईडी: bsgoyal.associates@gmail.com
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	30.10.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है फ्रिक्शन फायबर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने 30.09.2019 (परिसमापन शुरू होने की तिथि) को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।

एतद्द्वारा फ्रिक्शन फायबर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 30.10.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 01.10.2019 — **भीम सैन गोयल**
स्थान: दिल्ली — **परिसमापक**

डीसीबी बैंक लिमिटेड, 7/56, 3रा तल,
देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005, www.dcbbank.com
टेली.: (011) 45016060/ 45016055

डीसीबी बैंक

''परिशिष्ट–IV-ए'' [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीसीबी बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा ऋणधारक, सह–ऋणधारकों तथा विशेष रूप से गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास गिरवी है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने 28.01.2019 को वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उसका भौतिक कब्जा कर लिया है।

हमारे बकाये तथा अधोलिखित विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिये निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी:
सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर की जायेगी।

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम: मनीश विज, शिवानी विज, अतुल टंडन, मै. वामन प्रॉडक्ट्स प्रा.लि.

गिरवी सम्पत्ति का विवरण: जी–5, राधेय पुरी, नई दिल्ली– 110051

आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
रु. 45,00,000/– (रुपये पैंतालिस लाख मात्र)	रु. 4,50,000/– (रुपए चार लाख पचास हजार मात्र)	8.10.2019 को 11.30 पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	18.10.2019 को 12.30 अप. से 4.00 बजे अप.	भौतिक

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की खरीद के लिये इच्छुक क्रेता/ बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक क्रेता 17.10.2019 को 4.30 बजे अप. या उससे पूर्व **डीसीबी बैंक लि.**, 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली–110005 में धरोहर राशि के लिये डीसीबी बैंक लि., नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सम्पत्ति के लिये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुहरबंद प्रस्ताव को 18.10.2019 को 12.30 बजे पूर्वा. में ऊपर वर्णित शाखा में खोला जायेगा। यदि बोली सफल नहीं हो तो बिना ब्याज के ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।

इच्छुक क्रेता अधिकतम् उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/ परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें **श्री श्यामसुन्दर चंधोक अथवा श्री मयंक दत्त चौधरी** (011)–45016060/ 55 से सम्पर्क करना होगा।

नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया लिंक https://www.dcbbank.com/cms/show-page/page/custome-corner देखें।

हस्ता./–
तिथि: 28.09.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: दिल्ली — **डीसीबी बैंक लिमिटेड**

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India
Relationship Beyond Banking

Ashok Vihar Branch, C-2/21, Phase-II, Ashok Vihar, Delhi-110052
Phone : 27224523,28877073

Annexure F

APPENDIX IV
(See rule 8 (1)
SYMBOLIC POSSESSION NOTICE
(Under Section 13(4) of Securitization Act,2002 read with Rule 8 of Security Interest(Enforcement) Rules,2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules,2002 issued a demand notice dated 08-07-2019 calling upon the borrower M/s CuckooTyres to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 35,67,573.02 (Thirty Five Lacs Sixty Seven Thousand Five Hundred Seventy Three Rupee and Two paisa only) as on 07-07-2019 with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 27th day of September of the year 2019.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India for an amount Rs.35,67,573.02 and interest expenses and other charges etc. thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

" All that part and parcel of the commercial property over plot of land No- AW-411, in Block No- AW in the layout plan of Sanjay Gandhi Transport Nagar, Village- Samaypur Badli within the registration of District-New Delhi-110042,admeasuring 55.00 Sqmtr (Perpetual leasehold rights together with all rights, assessments and appurtenances to hold the same inperpetuity)

Bounded:
On the North by Road, On the South By Service Lane, On the East by Property No-412, On the West by Property No-410."

Date: 27/09/2019
Place: New Delhi

H P Singh
(Chief Manager)
Bank Of India

प्रपत्र–ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
डायरेक्ट न्यूज प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1	[illegible]	डायरेक्ट न्यूज प्राईवेट लिमिटेड
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	CIN: U70101DL2006PTC279928
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible] IBBI/IPA-001/IP-P-01575/2018-2019/12408
9	[illegible]	[illegible] fcasanjeev@gmail.com
10	[illegible]	[illegible] cirp.directnews@gmail.com
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible] https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

[illegible]

तिथि: 02.10.2019
स्थान: नई दिल्ली

[illegible]
पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P-01575/2018-2019/12408

इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
व
प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्पोरेट आइडेन्टिटी सं. (CIN)-U74899DL2001SGC109135
(एक आईएसओ 9001–2008, 14001–2004, 18001–2007 प्रमाणित स्टेशन)
जी.एम. (सीएडएम), प्रगति पावर स्टेशन–I, आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002. फोन : 011–23370541, फैक्स: 011–23379164

एनआईटी सं. 7/2019–20 ऑनलाइन बोली हेतु निविदा दिनांक: 24.09.2019

निम्नलिखित मदों के लिये दिल्ली सरकार के पोर्टल https://govtprocurement.delhi.gov.in पर ई–टेंडरिंग के तहत बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि को 11.00 बजे निविदा बंद होने के समय के साथ दो भाग प्रणाली में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:

निविदा आईडी	डिवीजन	बी.एस.ई.डी.	निविदा खोलने की तिथि	निविदा मूल्य (रु.)
1. 2019_आईपीजीसीएल_180795_1 प्रगति पावर स्टेशन । नई दिल्ली के लिए एनआई– सीडी बैटरी बैंक (220 वी डीसी, 480-500 एएच) की खरीद	एमएम -IV	23.10.2019	25.10.2019	43,32,040/-
2. 2019_आईपीजीसीएल_180788_1 आरपीएच में क्षतिग्रस्त बाड का प्रतिस्थापन और चार दीवारी की मरम्मत	सीएस -III	22.10.2019	24.10.2019	8,95,861/-
3. 2019_आईपीजीसीएल_180791_1 प्रगति पॉवर स्टेशन । में पाईप रैक स्टील ढांचा, सीढ़ी इत्यादि की पेन्टिंग	सीएस -III	24.10.2019	29.10.2019	19,17,848/-
4. 2019_आईपीजीसीएल_180786_1 सराय काले खां नई दिल्ली स्थित आईपीजीसीएल कालोनी में हाउसकीपिंग कार्य के लिए वार्षिक अनुबन्ध	सीएस -III	22.10.2019	24.10.2019	25,49,700/-

नोट: रु. 50.00 लाख तक की निविदा मूल्य के लिये कोई शुद्धिपत्र / परिशिष्ट/संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा और बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वय को अद्यतन रखने के लिये आईपीजीसीएल-पीपीसीएल वेबसाइट के साथ-साथ दिल्ली सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट साइट को देखें।

पीआर–09 हमारी वेबसाइट देखें : : www.ipgcl-ppcl.gov.in or www.ipgcl-ppcl.nic.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः भगीरथ पैलेस, दिल्ली–110006

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भागिरथ प्लेस, दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.04.2019, अधिप्राप्ति तिथि 29.05.2019, जारी कर ऋणधारकों: 1) मै. जवाला (इंडिया) प्रा. लि., 2) निदेशकः श्रीमती शालिनी अगरवाल, पत्नी अखिलेश अगरवाल, मै जवाला इंडिया प्रा. लि. के निदेशक तथा गारन्टर, जे–1, हंस अपार्टमेन्ट, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032, 3) श्री मनोज कुमार अगरवाल, मै. जवाला इंडिया प्रा. लि. के निदेशक तथा अब मृत, द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियोंः क) श्रीमती गिरजा अगरवाल, पत्नी स्व. मनोज कुमार अगरवाल, फ्लैट नं. पी–6, 3 रा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली–110032, ख) सुश्री हर्षिका अगरवाल, पुत्री स्व. मनोज कुमार अग्रवाल, फ्लैट नं. पी–6, 3 रा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली–110032, ग) सुश्री मंजूला अग्रवाल, पुत्री स्व. मनोज कुमार अगरवाल, फ्लैट नं. पी–6, 3 रा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली–110032, घ) मास्टर मानव अगरवाल, द्वारा उनकी मा तथा स्वाभाविक अभिभावन श्रीमती गिरजा अग्रवाल, पत्नी स्व. मनोज कुमार अगरवाल, फ्लैट नं. पी–6, 3 रा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली–110032, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 30.04.2019 को रु. बकाया तथा देय रु. 1,19,37,801/– (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ एक मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 25 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 25.09.2019 को बकाया रु. 1,26,37,185/– (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख सैंतीस हजार एक सौ पच्चासी मात्र) तथा उस पर आगे किसी ब्याज की राशि के लिये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भागिरथ पैलेस, दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

हंस अपार्टमेंन्ट, हंस भवन, फ्रैंड्स सी.जी.एच.एस. लि., सीबीडी शाहदरा, दिल्ली में तीसरे तल, ब्लॉक पी, प्लॉट नं. 6, रोड नं. 57 पर श्री मुरारी लाल अगरवाल, पुत्र श्री एन.के.अगरवाल के स्वामित्व में भूमि एवं आवासीय फ्लैट नं. 6 के सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज। चौहद्दीः

उत्तरः अन्य सम्पत्ति दक्षिणः फ्लैट नं पी–5

पूर्वः 45' चौड़ी सड़क पश्चिमः खुला स्थान/सीढ़ियां

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

तिथिः 25.09.2019 **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

मै. रायडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. रायडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	01.10.2013
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U19100DL2013PTC258581
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 104–105, प्लॉट नं. एच–7, अगरवाल प्लाजा, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 प्लॉट नं. 352, सेक्टर–17, फुटवियर पार्क, एचएसआईआईडीसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) 124507
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.09.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	28.03.2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	बिक्रम सिंह गुसाईं IBBI/IPA-002/IP-N00011/2016-17/10015
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	बी–1/105, सनराइज अपार्टमेन्ट्स, डा.के.एन. काटजू मार्ग, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली–110085 ईमेलः bikramgusain@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पत्राचार का पताः सी/ओ योगक्षेम इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल्स एलएलपी, यूजीएफ 1/15, (पीएनबी के निकट), तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 ईमेलः rydercirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	14.10.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है	वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ II ने 26.9.2019 मै. रायडर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
2. एतद्द्वारा मै. रायडर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के पास 14.10.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।
3. फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
4. भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 7, 8, 8ए, 9 तथा 9ए के अनुसार दावे विनिर्दिष्ट प्रपत्रों बी, सी, सीए, डी, ई एफ एफ में जमा किये जा सकते हैं। प्रपत्र बीः ऑपरेशनल क्रेडीटर द्वारा (कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर), प्रपत्र सीः वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा, प्रपत्र सीएः किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा, प्रपत्र डीः किसी कर्मी या कर्मचारी द्वारा, प्रपत्र ईः कर्मियों तथा कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा तथा प्रपत्र एफः अन्य क्रेडीटरों द्वारा। दावे के प्रपत्र आईबीबीआई की वेबसाईट–https://ibbi.gov.in/downloadform.html से डारनलोड की जा सकती है।
5. दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–

तिथि: 2.10.2019 विक्रम सिंह गुसाईं

स्थानः नई दिल्ली अन्तरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम तथा हस्ताक्षर

प्रपत्र जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण

[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में सम्भावित समाधान आवेदनकर्ता(ओं) से रुचि की अभिव्यक्ति आमन्त्रित करते हुए 02 अगस्त, 2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस तथा जनसत्ता (दोनों दिल्ली तथा रा.रा.क्षे. संस्करण) में प्रकाशित प्रपत्र जी के संशोधन में निम्नलिखित संशोधनों पर ध्यान दिया जाये :

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	10 अक्टूबर, 2019 (पूर्व में 17 अगस्त, 2019)
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	10 अक्टूबर, 2019 (पूर्व में 27 अगस्त, 2019)
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	17 अक्टूबर, 2019 (पूर्व में 01 सितम्बर, 2019)
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	18 अक्टूबर, 2019 (पूर्व में 11 सितम्बर, 2019)
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	18 अक्टूबर, 2019 (पूर्व में 01 सितम्बर, 2019)
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	10 नवम्बर, 2019 (पूर्व में 01 अक्टूबर, 2019)
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	15 नवम्बर, 2019 (10 अक्टूबर, 2019)

नोटः
1. मामले में विस्तार के पश्चात सीआईआरपी के बन्द होने की अनुमानित तिथि 15 नवम्बर, 2019 है।
2. इच्छुक पक्ष ई.ओ.आई. जमा करने तथा विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए निगम देनदार की वेबसाइट www.kaliberas-sociates.in पर अपलोड किये गये प्रारूप का सन्दर्भ लें।

ह./–
(मोहन लाल जैन)
समाधान प्रोफेशनल

दिनांक: 02.10.2019 कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

स्थान: नई दिल्ली पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002 /IP-N00006/2016-17/10006

Archies
The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650.

NOTICE

Notice is given pursuant to the Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Code of the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time, we would like to inform you that the trading window for the purpose of trading in securities of the Archies Limited ("Company") by its Designated persons shall remain closed from October 01, 2019 till 48 (Forty Eight) hours after the conclusion of the Meeting of the Board of Directors of the Company to be held for the purpose of consideration and approval of the Un-Audited Financial Results for the quarter ending September 30, 2019. The date and venue of Board Meeting for the aforesaid purpose shall be intimated to you in due course.

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.archiesonline.com and on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Archies Limited
sd/-
Hitesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 01.10.2019

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08.10.2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली, भारत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	यू70100डीएल2012पीटीसी243255
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	391, हवेली हैदर कुली, चांदनी चौक, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली–110006, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	24.09.2019 (30.09.2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	22.03.2020 (आदेश प्राप्ति की तिथि के अनुसार 28.03.2020)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री आकर्ष कश्यप, IBBI/IPA-001/IP-P00566/2017-18/11042
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : डी–3, एलजीएफ, लाजपत नगर–1, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110024 ई–मेल : akashyap2002@yahoo.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	श्री आकर्ष कश्यप, रीसर्जेण्ट समाधान प्रोफेशनल एलएलपी (आईपीई) 905, 9वीं मंजिल, टॉवर सी, यूनिटेक बिजिनेस जोन, निर्वाण कंट्री, सेक्टर–50, गुरुग्राम, हरियाणा–122018 ई–मेल : cirp.krishnaassetsdevelopers@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	14.10.2019 (आदेश प्राप्ति की तिथि के अनुसार)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	वित्तीय लेनदार
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1) श्री अनीश कुमार सांघी :– IBBI/IPA-001/IP-P01796/2019-20/12786 2) श्री शशि शर्मा :– IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-19/12093 3) श्री रमित रस्तोगी :– IBBI/IPA-002/IP-N00364/2017-18/11032
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(a) www.ibbi.gov.in (b) www.resurgentrp.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 24.09.2019 को मैसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है (आईआरपी ने माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट से 30.09.2019 को आदेश प्राप्त किया)।

मैसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 14.10.2019 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे निर्दिष्ट प्रारूप में जमा करने हैं–प्रचालक लेनदारों, वित्तीय लेनदारों, वर्ग में वित्तीय लेनदारों, कामगार एवं कर्मचारी तथा अन्य लेनदारों, जैसा मामला हो, द्वारा भारतीय ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों हेतु ऋण शोधन समाधान), विनियम, 2016 के विनियम 7, 8, 8ए, 9 तथा 9ए के सन्दर्भ में बी, सी, सीए, डी, ई प्रारूप में।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी अप्रयोज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निर्दशित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

दिनांक : 30.09.2019 (आकर्ष कश्यप)

स्थान : नई दिल्ली अन्तरित समाधान प्रोफेशनल

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

सम्पूर्ण भारत में आपका पारिवारिक बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलूरु – 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
बी–बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली –110060
फोनः 011–25813466, ई–मेल : delhiarm@ktkbank.com, मो.: 9319891680

कब्ज़ा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **कर्णाटका बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **12.4.2019** जारी कर ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारन्टरों: **(1)** मै. तोएशा वैक्सीन्स इंडिया, प्रतिनिधित्व उसके पार्टनर्स क) श्रीमती शिल्पी गोयल, ख) श्री राजीव गोयल पताः एसएफ–8, व्यापार केन्द्र, सुशांत लोक–1, गुड़गाँव, हरियाणा–122001, 2) श्रीमती शिल्पी गोयल, पत्नी श्री राजीव गोयल, 3) श्री राजीव गोयल, पुत्र श्री रवि कुमार, नं. 2 एवं 3 निवासीः एसएफ–8 एवं 9, सुशांत व्यापार केन्द्र, सी–ब्लॉक, सुशांत लोक–1, गुड़गाँव, हरियाणा–122001, साथ हीः नं. 2 एवं 3 निवासीः डी–14/30, 2रा तल, आरडी सिटी, सेक्टर–52, गुड़गाँव–122001, साथ ही नं. 2 एवं 3 निवासीः फ्लैट नं. 123, 7वाँ तल, टावर–एस, 'हिल न्यू गार्डन' पार्ट–2, त्रेहन होम डेवलपर प्रा.लि., 8 वां माइल स्टोन, अलवर बाईपास रोड, ग्राम थाड़ा, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर राजस्थान–301019 को सूचना में वर्णित राशि रु. 2,17,20,090.77 (रुपये दो करोड़ सत्तरह लाख बीस हजार नब्बे एवं पैसे सतहत्तर मात्र) अर्थात् i) 01.04.2019 से आगे के ब्याज के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता नं. 5467000100209101 के अंतर्गत रु. 2,15,77,474.77 तथा ii) 15.03.2019 से आगे के ब्याज के साथ सावधि ऋण खाता सं. 5467001609925801 के अंतर्गत रु. 1,42,616.00 की राशि सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2,30,67,666.77 (रुपये दो करोड़ तीस लाख सड़सठ हजार छः सौ छियासठ तथा पैसे सतहत्तर मात्र) अर्थात् i) 01.09.2019 से आगे के ब्याज के साथ ओवरड्राफ्ट खाता नं. 5467000100209101 के अंतर्गत रु. 2,29,14,923.77 तथा ii) 15.8.2019 से आगे के ब्याज के साथ सावधि ऋण खाता सं. 54670001609925801 के अंतर्गत रु. 1,52,743.00 की राशि के लिये कर्णाटका बैंक लिमिटेड, बेस्ट पटेल नगर शाखा–दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

[ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।]

अचल संपत्तियों का विवरण

1. श्रीमती शिल्पी गोयल एवं श्री राजीव गोयल के स्वामित्व में अलवर बाईपास रोड, ग्राम थाड़ा, तहसील तिजारा, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित 'हिल व्यू गार्डन' के नाम से विदित हाउसिंग कॉम्प्लैक्स, पार्ट–2, त्रेहन होम डेवलपर प्रा.लि., 8वाँ माइलस्टोन में भू तल+8 तल के टावर–एस में सातवें तल पर आवासीय फ्लैट। माप सुपर बिल्ट अप एरिया 1389 वर्ग फीट, नं. 123 का सभी भाग तथा हिस्सा।
2. मै. तोएशा वैक्सीन्स इंडिया, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनर्स क) श्रीमती शिल्पी गोयल, ख) श्री राजीव गोयल के स्वामित्व में ब्लॉक सी, सुशांत व्यापार केन्द्र, सुशांत लोक, फेज–1, गुड़गाँव, हरियाणा में 4 मंजिला कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स जिसका सुपर एरिया 299 वर्ग फीट है, में कार्यालय स्थान सं. एसएफ–8, 2रा तल का सभी भाग तथा हिस्सा।
3. मै. तोएशा वैक्सीन्स इंडिया, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनर्स क) श्रीमती शिल्पी गोयल, ख) श्री राजीव गोयल के स्वामित्व में ब्लॉक सी, सुशांत व्यापार केन्द्र, सुशांत लोक, फेज–1, गुड़गाँव, हरियाणा में चार मंजिला कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स जिसका सुपर एरिया 312 वर्ग फीट है, में कार्यालय स्थान सं. एसएफ–9, 2रा तल का सभी भाग तथा हिस्सा।

स्थानः हरियाणा एवं राजस्थान, तिथिः 26.9.2019 **प्राधिकृत अधिकारी, कर्णाटका बैंक लि.**

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law कलस्टर
(दक्षिण और पूर्व) 82/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली–110067, फोन : 26108530, 26108531, ई–मेल: rrl_7670@obc.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक **10.09.2019** को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन **ई–नीलामी सूचना और शुद्धिपत्र दिनांक 25.09.2019** के संदर्भ में आम जनता सूचित किया जाता है कि खाता मैसर्स रहीस कमर्शियल प्रा. लि. (क्र.सं. 11) की सम्पत्ति की ई–नीलामी दिनांक **11.10.2019** को होनी थी, हम आम जनता को सूचित करते है कि इस खाते की सम्पत्ति की ई–नीलामी को रद्द/निरस्त करते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रपत्र सं आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियमों 2014 के नियम 30 के तहत)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स नई दिल्ली–110003 के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
तथा
स्वाईब्लू बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी–7, सर्वदीप अपार्टमेंट्स, 6, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली – 110001 में है, के मामले में।
...आवेदक

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी इसके पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में स्थानान्तरण हेतु कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 07 जून, 2017 को वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में कम्पनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होने की संभावना है तो वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार की व्याख्या करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के अंदर नीचे वर्णित पते पर इसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को एक प्रति सहित क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है अथवा भिजवा सकता है अथवा प्रेषित कर सकता है

डी–7, सर्वदीप अपार्टमेंट्स, 6, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली – 110001

कृते व आवेदक की ओर से
स्वाईब्लू बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
सुमित्रा रणछोड़भाई वैद्य
निदेशक,
डी आई एन : 08494204

दिनांक : 30.09.2019
स्थान : अहमदाबाद

Form No. INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT NORTHERN REGION

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013, SECTION 13(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 30(6) (a) OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF MAHI ORGANIC PROTEINS PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT HOUSE NO. 47, VILLAGE BALAB, TEHSIL-ROHTAK, HARYANA-124411 PETITIONER

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE GENERAL PUBLIC THAT THE COMPANY PROPOSES TO MAKE APPLICATION TO THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SECTION 13 OF THE COMPANIES ACT, 2013 SEEKING CONFIRMATION OF ALTERATION OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY IN TERMS OF THE SPECIAL RESOLUTION PASSED AT THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING HELD ON 20th JULY 2019 TO ENABLE THE COMPANY TO CHANGE ITS REGISTERED OFFICE FROM "STATE OF HARYANA" TO "STATE OF MAHARASHTRA"

ANY PERSON WHOSE INTEREST IS LIKELY TO BE AFFECTED BY THE PROPOSED CHANGE OF THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANYMAY DELIVER OR CAUSE TO BE DELIVERED OR SEND BY REGISTERED POST OF HIS/ HER OBJECTIONS SUPPORTED BY AN AFFIDAVIT STATING THE NATURE IF HIS/ HER INTEREST AND GROUNDS OF OPPOSITION TO THE **B-2 WING, 2nd FLOOR PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX NEW DELHI -110003** WITHIN FOURTEEN DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE WITH A COPY OF THE APPLICANT COMPANY AT ITS REGISTERED OFFICE AT THE ADDRESS MENTIONED BELOW: **HOUSE NO. 47, VILLAGE BALAB, TEHSIL-ROHTAK, HARYANA-124411**

FOR AND ON BEHALF OF THE APPLICANT
MAHI ORGANIC PROTEINS PRIVATE LIMITED
DIRECTOR

लॉयड रॉकफायबर्स लिमिटेड

CIN: U20293DL1989PLC218564
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 2, पुंजसन्स प्रेमाइसेस, कालकाजी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110019
टेलीः 011–26462156–57,
ई–मेलः punjgpl3@gmail.com

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014, अद्यतन यथा-संशोधित के नियम 30(6) (ए) के मामले में
तथा
लॉयड रॉकफायबर्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 2, पुंजसन्स प्रेमाइसेस, कालकाजी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110019 में है
(CIN: U20293DL1989PLC218564)
के मामले में
.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 21 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली**–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बोर्ड के आदेश से
लॉयड रॉकफायबर्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
गौरव पुंज

स्थानः नई दिल्ली **प्रबंध निदेशक**

तिथिः 30 सितम्बर, 2019 **DIN: 00822420**

ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0

(भारत सरकार का उद्यम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601

निआसू सं0 : एमओ/71103/टैंकज/मेकेनिकल/एलसी/02

"मैसर्स अदानी हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात में श्रम अनुबंध आधार पर टैंकेज का निर्माण, संस्थान, जांच व प्रचालन" कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित व अनुभवी पार्टियों से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित है।

विस्तृत विवरण हेतु कृपया हमारी वेबसाइट : **www.bridgeroof.co.in** देखें।

इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि : **11.10.2019 को 14.00 बजे तक**

प्रस्ताव खुलने की तिथि : **11.10.2019 को 15.00 बजे**

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली – 110020

सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना

ई–नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/अदावाकृत आयातित कार्गो का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के उन कंटेनरों पर या **30.08.2019** से पहले उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के टर्मिनलों पर पड़े रहे तथा/अथवा खाली पड़े क्षतिग्रस्त कंटेनरों और अदावाकृत/क्लियर ना किये गए आयातित कार्गो की ई–नीलामी के माध्यम से **18.10.2019 & 30.10.2019** को **"जैसा है जहां है के आधार पर"** नीलामी करेगा। नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें एवं कार्गो विवरणों के साथ सभी विवरण **03.10.2019 & 15.10.2019** से **www.concorindia.co.in** एवं **www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातकों जिनमें सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल हैं, के कंटेनर/सामान किसी विवाद, न्यायालय/अधिकरणों/अन्यों द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से सम्बन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत/क्लीयर न किए गए पड़े है और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, वे सम्बन्धित कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र कॉनकोर और सम्बन्धित कमीशनरी, सीमा शुल्क आयुक्त को तदनुसार सूचित कर सकते हैं और इस सूचना के **7 (सात दिनों)** के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/दावे दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिए बगैर सामानों की **"जैसा है जहां है के आधार पर"** नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया **www.concorindia.co.in** एवं **www.mstcecommerce.com** पर लॉग ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

डीसीबी बैंक लिमिटेड
7/56, 3रा तल, देशबन्धु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली–110005

DCB BANK

अचल सम्पत्ति के लिये कब्जा सूचना
[नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन [अधिनियम, 2002 (2002 के 54)] के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7 जून, 2019 जारी कर ऋणधारक/सह–ऋणधारक/सह–आवेदकः सनमाटी ऑयल एंड स्पेयर पार्ट्स सत्यवीर जैन, राहुल जैन तथा सरिता जैन को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 87,65,935.27/– (रुपये सतासी लाख पैंसठ हजार नौ सौ पैंतीस तथा पैसे सत्ताईस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 26 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 91,42,859.58 (रुपये इक्यानवे लाख बयालिस हजार आठ सौ उन्सठ एवं पैसे अन्ठावन मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। आपका ध्यान उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार यदि आप बिक्री का सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व लागत, चार्जेज तथा खर्चे के साथ सभी बकाये भुगतान कर देते हैं तो प्रतिभूत परिसम्पत्ति विमोचित की जा सकती है। जान लें कि बिक्री सूचना के प्रकाशन के बाद प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने का अधिकार नहीं होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ए–449, मीत नगर, मैन वजीराबाद रोड, शाहदरा, दिल्ली–110094

हस्ता./–

तिथिः 01.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः दिल्ली डीसीबी बैंक लिमिटेड

सूचना

मै अजीत पलरेचा सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे नेस्ले लिमिटेड के 50 शेयर कहीं गुम हो गये है। जिनका फोलियो न0– एफ–5784, सर्टिफिकेट न0 – 161940 & 569606 एवं डिस्टिंक्टिव न0 – 7751776–815 & 53256162–171 है। कृपया जिसको भी मिले मेरे नम्बर पर सम्पर्क करने का कष्ट करें – मोबाइल न0 – 8400478209

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT M/S INTERNATIONAL LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED HAS OBTAINED A LICENSE BEARING NO. 117 OF 2019 DATED 12/09/2019 FROM THE DIRECTOR TOWN & COUNTRY PLANNING, HARYANA(DTCP) FOR SETTING UP OF AFFORDABLE PLOTTED COLONY ON THE LAND ADMEASURING 15 ACRES SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE HARIYAHARA, SECTOR-36, SOHNA, DISTRICT GURUGRAM IN COLLABORATION WITH MR. NARENDER KUMAR [LAND ADMEASURING 38 KANAL-0 MARLA UNDER RECT. NO-45, KILLA NO-1/1(1-12), 1/2/1(4-4), 10/2(6-0), 11/1(6-0), 21/1MIN(7-15), RECT. NO-50, KILLA NO-1/2/1MIN(0-1), RECT. NO-46, KILLA NO-5/2MIN(2-8), 6/1(3-0), 15/2(3-0), 16/1(3-0), RECT. NO-45, KILLA NO-20/2(6-0)], MR. NIHAL SINGH [LAND ADMEASURING 41 KANAL-0 MARLA UNDER RECT. NO-45, KILLA NO-1/2/2(2-4), 2/1(1-0), 10/1(2-0), 11/2(2-0), 20/1(2-0), 2/2/1(5-18), 9/2(6-12), 12/1(6-12), 19/2(3-0), 21/2(5-4), 22/1(3-0), RECT. NO-50, KILLA NO-1/2/2MIN(1-8), 2/1/1MIN(0-2)] & MR. KAMAL SINGH [LAND ADMEASURING 41 KANAL-0 MARLA RECT. NO-45, KILLA NO-2/2/2(1-2), 3/1(0-14), 9/1(1-8), 12/2(1-8), 3/2(5-2), 8(6-7), 13(5-14), 18(3-16), 19/1(5-0), 22/2(5-18), RECT. NO-50, KILLA NO-2/1/2 MIN(4-11)] AND LICENSE BEARING NO. 118 OF 2019 DATED 12/09/2019 FROM THE DIRECTOR TOWN & COUNTRY PLANNING, HARYANA (DTCP) FOR SETTING UP OF AFFORDABLE PLOTTED COLONYON THE LAND ADMEASURING 10.53125 ACRES SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE HARIYAHARA, SECTOR-36, SOHNA, DISTRICT GURUGRAM IN COLLABORATION WITH MR. ASHOK KUMAR [LAND ADMEASURING 40 KANAL 5 MARLA UNDER RECT. NO-46, KILLA NO-3/2(5-17), 4/1(3-8), 7/2(3-8), 8(8-0), 13(8-0), 14/1(3-8), 17/2MIN(3-2), 18/2MIN(4-9), 19/1MIN(0-13)], MR. SUSHIL KUMAR CHAUDHARY, MR. RAJIV CHAUDHARY, MR. SHAMMI CHAUDHARY, MADHU DEVI [LAND ADMEAURING 41 KANAL 1 MARLA UNDER RECT. NO-46, KILLA NO-4/2(4-12), 5/1(4-16), 6/2(5-0), 7/1(4-12), 14/2(4-12), 15/1(5-0), 16/2(5-0), 17/1(4-12), 25/1/1MIN(2-17)] & MR. NARENDER KUMAR [LAND ADMEAURING 84 KANAL 5 MARLA UNDER RECT. NO-46, KILLA NO-5/2MIN(0-16), 25/1/2MIN(2-3)]

NOW OUR CLIENT PROPOSES TO PURCHASE THE ABOVE STATED LAND ADMEASURING TOTAL 25.531 ACRES FROM THEIR RESPECTIVE LAND OWNERS ALONG WITH RIGHTS VESTED WITH THE DEVELOPER AND HAVE APPLIED FOR CHANGE OF DEVELOPER AND/OR TRANSFER OF LICENSE AS PER POLICY WITH THE DIRECTOR TOWN & COUNTRY PLANNING, HARYANA (DTCP)

IN CASE ANY ENTITY AND/OR PERSON IS HAVING ANY CLAIM OR ANY RIGHT, TITLE, CLAIM, BENEFIT, DEMAND OR INTEREST OR HAS ANY OBJECTIONTO THE INTENDEDTRANSFER OF LAND, SUCH PERSON/ ENTITY MAY INFORM IN WRITING TO THE UNDERSIGNED WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE ALONG WITH DOCUMENTARY PROOF IN SUPPORT OF SUCH CLAIM/OBJECTION, FAILING WHICH IT SHALL BE CONSIDERED THAT THERE ARE NO CLAIMS/OBJECTIONS

(BAJAJ & BAJAJ ASSOCIATES)
ADVOCATES
CHAMBER NO. 227, CIVIL SIDE, TIS HAZARI COURTS, DELHI-54.
CONTACT: 09213187809/09811700978
E-MAIL: bajajnbajaj227@gmail.com

YOGYA ENTERPRISES LIMITED

Regd. off: 203, Gupta Arcade, Shrestha Vihar Market, New Delhi -110092 | **Ph. & Fax No.:** 011-43763300,
Email ID: md@yogya.co.in | **Website:** www.yogya.co.in | **CIN:** L51909DL2010PLC208333

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provision (if any) to the shareholder(s) and all other entities/authorities concerned that the Company has conducted Postal ballot (including E-voting) from 30th August, 2019 at 9.00 a.m. and ends on 28th September, 2019 at 5.00 p.m for passing the following resolution; Based on the Scrutinizer report dated 30th September, 2019, the declaration of the results of the Postal Ballot has been declared on 30th September, 2019 which is as under:

Item No. of Notice	Particulars and Type of Resolution	No. of Voters	Total No. of Valid Votes	Total Votes cast in Favour	Total Votes Cast in against
				No. of shares	No. of shares
Item No.1	Change of name of the company	3	894000	894000	0
Item No.2	Shifting of registered office from national capital territory of delhi to the state of maharashtra:	3	894000	894000	0

The above resolution has been passed with requisite majority.
The result of the Postal Ballot has been communicated to the Stock Exchanges and also posted on the website of the Company at www.yogya.co.in along with the Scrutinizer report.

By Order of the Board
FOR **YOGYA ENTERPRISES LIMITED**
SD/-
RAJEEV GUPTA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00603828

Place: New Delhi
Date: 30th September, 2019

Raka

RATHI STEEL AND POWER LTD.

Regd. Office: Chauhan Market, Madanpur Khadar, Pocket D & E, Sarita Vihar, New Delhi-110076
CIN-L27109DL1971PLC005905 Tel: 011- 40512425 Fax: 011-40512425
Web: www.rathisteelandpower.com E-mail: investors@rathisteelandpower.com

Extract of Audited Statement of Financial Results for the quarter and Year ended 31st March 2019

(In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 31.12.2018 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2018 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)
1	Total income from operations (net)	8,379.19	8,769.92	10047.25	37002.31	35885.03
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary item.	(1,011.73)	(2,504.94)	405.54	(3,701.65)	(3,467.09)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,011.73)	(2,504.94)	405.54	(3,701.65)	(3,467.09)
4	Net Profit/(Loss) for the period before tax (before Extraordinary items)	(5,642.42)	(2,504.94)	(6,803.18)	(8,332.34)	(11,618.18)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5,642.30)	(2,502.65)	(6,806.86)	(8,329.93)	(11,809.78)
6	Equity Share Capital	3,130.81	3,130.81	3,130.81	3,130.81	3,130.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	–	–	–	–	–
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs 10/- each)					
	Basic:	(18.02)	(8.00)	(21.73)	(26.61)	(37.75)
	Diluted:	(18.02)	(8.00)	(21.73)	(26.61)	(37.75)

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of standalone Audited Financial Results are available on the websites of the BSE Limited (www.bseindia.com)
The above financial results were reviewed by the audit committee and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 30.09.2019

For Rathi Steel and Power Limited
Sd/-
Prem Narain Varshney
(Managing Director)
DIN- 00012709

Place: New Delhi
Date: 30.09.2019

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण)–I
जे–ब्लॉक मार्केट के सामने, साकेत, नई दिल्ली–110017

एनआईटी सं. 38/(एस–I) (2019–20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (दक्षिण) I के अंतर्गत डा. अम्बेडकर नगर कंस्टीच्युएन्सी (एसी–48) में डी–ब्लॉक दक्षिण पुरी के शेष भाग में पुराने तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के विस्थापन द्वारा सीवरेज प्रणाली का सुधार।	31,17,137	2019_DJB_181022_1 30.9.2019	21.10.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

एनआईटी सं. 39/(एस–I) (2019–20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (दक्षिण) I के अंतर्गत डी.डी.डी. द्वारा डिपॉजिट की गई डेफिसिएन्सी चार्जेज के लिये बसंतकुंज इंस्टीच्यूशनल एरिया, बसंत कुंज फेज–2 के गहरे तथा गाद–युक्त सीवर लाइनों के मैन हॉल का डिसिल्टिंग (पुनआमंत्रित)	वस्तु दर/ 65800/–	2019_DJB_181189_1 30.9.2019	22.10.2019 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी **हस्ता./–**

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/407 **कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) I**

वाहन उद्योग क्षेत्र में सितंबर में भी नरमी छाई रही

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

वाहन उद्योग क्षेत्र में सितंबर महीने में भी मंदी छाई रही। लगभग सभी वाहन कंपनियों की बिक्री घटी है। कुछ कंपनियों के वाहनों की बिक्री में 50 फीसद तक कमी दर्ज की गई।

मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री सितंबर में बिक्री 24.4 फीसद घटकर 1,22,640 वाहन रही। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 1,62,290 वाहन बेचे थे। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सितंबर में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 26.7 फीसद गिरकर 1,12,500 वाहन रही। सितंबर 2018 में उसने 1,53,550 गाड़ियां बेची थीं। कंपनी की मिनी कारों की बिक्री इस दौरान 42.6 फीसद घटकर 20,085 वाहन रही। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 34,971 इकाई पर था। कॉम्पैक्ट वाहन खंड में कंपनी की बिक्री 22.7 फीसद घटकर 57,179 इकाई रही। सेडान कार सियाज की बिक्री भी भारी गिरावट के साथ 1,715 इकाई पर आ गई। कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस और अर्टिगा की बिक्री मामूली गिरकर 21,526 इकाई रही। कंपनी का निर्यात 17.8 फीसद घटकर 7,188 इकाई रह गया, जो एक साल पहले सितंबर में 8,740 वाहन था।

बजाज ऑटो की बिक्री 20 फीसद गिरकर 4,02,035 इकाई रही। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 5,02,009 वाहन बेचे थे। बजाज ऑटो ने शेयर बाजार को बताया कि सितंबर में उसकी घरेलू बाजार में बिक्री 31 फीसद गिरकर 2,15,501 वाहन रही। इस दौरान कुल मोटरसाइकिल बिक्री 22 फीसद गिरकर 3,36,730 इकाई रही। कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों पिछले साल के 71,070 वाहनों से घटकर सितंबर में 65,305 इकाइयों पर आ गई। बजाज का सितंबर में निर्यात दो फीसद गिरकर 1,86,534 वाहन रहा।

अशोक लेलैंड की वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 55 फीसद गिरकर 8,780 वाहन रह गई। कंपनी ने एक साल पहले इसी महीने में 19,374 वाहन बेचे थे। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहन बिक्री 56.57 फीसद गिरकर 7,851 वाहन रही। कंपनी की मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 69 फीसद गिरकर 4,035 वाहन रही। हल्के वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बाजार में बिक्री 24 फीसद गिरकर 3,816 वाहन रही।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री सितंबर में 21 फीसद गिरकर 43,343 वाहन रह गई। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 55,022 वाहन बेचे थे। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 21 फीसद गिरकर 40,692 इकाई रही। उसका निर्यात भी 29 फीसद गिरकर 2,651 वाहन रहा। यात्री वाहन खंड में कंपनी की बिक्री सितंबर में 33 फीसद गिरी। वाणिज्यिक वाहन खंड में इस दौरान 18 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।

टाटा मोटर्स की कुल बिक्री सितंबर में 48 फीसद घटकर 36,376 वाहन रही। समीक्षावधि में कंपनी की कुल घरेलू बिक्री 50 फीसद गिरी। इसमें यात्री वाहन की घरेलू बिक्री 8,097 वाहन रही जो पिछले साल की इसी अवधि की 18,429 वाहन की बिक्री से 56 फीसद कम है। कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 47 फीसद घटी। कंपनी का वाणिज्यिक वाहन निर्यात इस अवधि में 27.6 फीसद घटा।

टोयोटा किर्लोस्कर की बिक्री 17 फीसद घटी। कंपनी के कारखानों से सितंबर में कारों का उठान 16.56 फीसद घटकर 10,911 इकाई रहा। पिछले साल इसी माह में यह संख्या 13,078 वाहन थी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि समीक्षावधि में घरेलू बाजार के डीलरों का उठान 18 फीसद कम होकर 10,203 वाहन रहा। कंपनी का निर्यात इस दौरान 25 फीसद बढ़ी। **होंडा कार्स** की घरेलू बिक्री 37.24 फीसद घटकर 9,301 वाहन रही। पिछले साल सितंबर में यह 14,820 वाहन थी। इस दौरान कंपनी ने 946 वाहन का निर्यात किया।

सूचकांक में 361.62 अंक की गिरावट

मुंबई, 1 अक्तूबर (भाषा)।

शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन गिरकर बंद हुए। आर्थिक आंकड़ों के कमजोर बने रहने के संकेत, बैंकिंग क्षेत्र की चिंताओं और वाहन बिक्री में गिरावट का सिलसिला बने रहने के बीच निवेशकों की ओर से शेयरों में भारी बिकवाली रही। शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 कंपनियों वाला शेयर सूचकांक सूचकांक स्थिर रुख के साथ चल रहा था लेकिन बिकवाली का दबाव बढ़ने से दोपहर के कारोबार में इसमें सूचकांक एक समय 737 अंक से अधिक टूट गया था।

अंत में सूचकांक 361.92 अंक यानी 0.94 फीसद घटकर 38,305.41 अंक पर रहा। कारोबार के दौरान इसकी घट बढ़ 38,923.78 से 37,929.89 अंक के दायरे में रही। इसी तरह निफ्टी 114.55 अंक यानी एक फीसद गिरकर 11,359.90 अंक पर बंद हुआ। पिछले तीन सत्र के कारोबार में सूचकांक 684.33 अंक यानी 1.76 फीसद और निफ्टी 211 अंक यानी 1.83 फीसद नुकसान में रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के गहराते संकट और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (आइएचएफएल) जैसी कंपनियों पर धोखाधड़ी के आरोपों के बीच निवेशकों का रुख सावधानी भरा है। येस बैंक का शेयर लगातार पांचवें दिन गिरावट के रुख के साथ 22 फीसद से अधिक गिरकर बंद हुआ। इसकी अहम वजह बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर और समूह की सहयोगियों कंपनियों में 2.16 फीसद हिस्सेदारी को और बेचने की रपट रही। यह बिकी 510 करोड़ रुपए में की गयी है।

जीएसटी संग्रह घटकर 91,916 करोड़ रुपए पर

- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह घटा है
- जीएसटी संग्रह आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है। इसमें कमी का मतलब अर्थव्यवस्था का सुस्त होना है

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर में घटकर 91,916 करोड़ रुपए रह गया। यह अगस्त की तुलना में 6,286 करोड़ रुपए कम है। अगस्त में जीएसटी संग्रह 98,202 करोड़ रुपए रहा था। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

जीएसटी संग्रह में कमी से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत मिलता है। उपभोक्ता मांग घटने की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह लगातार दूसरा महीना है जबकि जीएसटी संग्रह घटा है। एक साल पहले समान महीने (सितंबर, 2018) में जीएसटी संग्रह 94,442 करोड़ रुपए रहा था।

जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। विभिन्न केंद्रीय और राज्य कर मसलन उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट इसमें समाहित हो गए थे। जीएसटी संग्रह आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है। इसमें कमी का मतलब अर्थव्यवस्था का सुस्त होना है। हालांकि, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की वजह से अक्टूबर में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर रहेगा।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, 'सितंबर में सकल जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 16,630 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 22,598 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 45,069 करोड़ रुपए और उपकर का हिस्सा 7,620 करोड़ रुपए रहा।' बयान के अनुसार सितंबर में राजस्व पिछले साल के समान महीने में जुटाए गए राजस्व की तुलना में 2.67 फीसद कम रहा।

देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर पांच फीसद यानी छह साल के निचले स्तर पर आ गई है। इस वजह से सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन्हीं कदमों के तहत कॉरपोरेट कर की दर में भारी कटौती की गई है। इस कटौती का प्रभाव 1.45 लाख करोड़ रुपए रहेगा।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर की छह माह की अवधि में जीएसटी संग्रह 6.06 लाख करोड़ रुपए रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 5.78 लाख करोड़ रुपए रहा था। ईवाई इंडिया के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा, 'हालिया घोषित राजकोषीय और आर्थिक उपायों के साथ आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर मांग बढ़ने की उम्मीद है। इससे आगामी महीनों में जीएसटी संग्रह बढ़ेगा। राजस्व विभाग द्वारा कर चोरी रोकने के कड़े कदमों और आडिट से भी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी।'

सुरजीत भल्ला आइएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार ने अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। एक सरकारी आदेश में यह कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी।

नियुक्ति समिति ने भल्ला को कार्यभारत संभालने की तारीख से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

पीएमसी बैंक संकट

एचडीआइएल ने कहा, पर्याप्त सुरक्षा गारंटी देकर लिया कर्ज

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

संकट में फंसी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) ने मंगलवार को कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक समेत अन्य बैंकों से पर्याप्त सुरक्षा गारंटी देकर कर्ज लिया गया है और यह कारोबार की सामान्य प्रक्रिया है। कंपनी ने कहा कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वह बैंकों के साथ बातचीत के लिए तैयार है।

मुंबई पुलिस ने पीएमसी बैंक मामले में एचडीआइएल के प्रवर्तकों और बैंक के पूर्व प्रबंधन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया है और कहा कि विशेष जांच दल इस मामले की जांच करेगा। शेयर बाजारों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए एचडीआइएल ने कहा कि उसके बहीखातों का ऑडिट किया जा रहा है। यह कंपनी के कारोबार की सही और निष्पक्ष तस्वीर दिखाता है।

एचडीआइएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सारंग वाधवन ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने सामान्य कारोबार प्रक्रिया के रूप में पीएमसी बैंक सहित अन्य बैंकों और संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआइ के दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी बैंकिंग नियमों का अनुपालन करते हुए इन सुविधाओं के लिए कंपनी की संपत्ति पर पीएमसी बैंक समेत अन्य बैंकों के पक्ष में पर्याप्त सुरक्षा गारंटी दी गई है। वाधवन ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र में सुस्ती की वजह से कंपनी को नकदी की अस्थायी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कंपनी को दिवाला व ऋण शोधन अक्षमता संहिता के तहत दिवाला प्रक्रिया में जाना पड़ा। हालांकि कंपनी इस मामले को सुलझाने की कोशिशों में सक्रिय है।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि 2008 से बैंक का घाटा 4,355.46 करोड़ रुपए हो चुका है। वाधवन ने कहा कि पीएमसी के कर्ज के मामले में हम पहले ही बैंक के प्रशासक के साथ बैठक के अनुरोध के लिए पत्र जारी कर चुके हैं ताकि सही व निष्पक्ष तस्वीर सामने रखी जा सके। साथ ही हम पीएमसी बैंक समेत सभी हितधारकों और उनके जमाकर्ताओं के हितों सुरक्षा के लिए रणनीति पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान कंपनी सभी जरूरी कदम उठाएगी और सभी एजंसियों व अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देगी।

गडकरी ने पेश किए गाय के गोबर से बना साबुन व बांस की बोतलें

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को गाय के गोबर और बांस की बनी पानी की बोतलें पेश की। इन उत्पादों को खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया है। मंत्री ने मंगलवार को गांधी जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में कहा कि वह जैविक खेती और उसके लाभ के पुरजोर समर्थक है।

सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गडकरी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली निर्यात इकाइयों से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने को कहा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने एक योजना का प्रस्ताव किया है जिसके तहत इस प्रकार की एमएसएमई इकाइयों में 10 फीसद इक्विटी भागीदारी केंद्र सरकार की होगी। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा- हमने एक योजना तैयार की है और उसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा है जहां 10 फीसद इक्विटी का योगदान सरकार करेगी। मंत्री ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) को अगले दो साल में 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करना चाहिए और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने चाहिए।

सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री गडकरी ने केवीआइसी की ओर से बेचे जाने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग के महत्त्व और ग्राहकों के बीच जैविक वस्तुओं की स्वीकार्यता बढ़ने को रेखांकित किया। उन्होंने कहा- हमें गुणवत्ता और बेहतर पैकेजिंग के साथ महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की भावना के समझौता किए बिना पेशेवर और पारदर्शी रुख की जरूरत है। बांस की बनी पानी बोतल की कीमत 560 रुपए और 125 ग्राम का साबुन का दाम 125 रुपए है।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए ऐप पेश, समाधान 60 दिन में होगा

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एक एप पेश किया है। उपभोक्ता इस एप के जरिये आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उनकी शिकायतों का निपटान 60 दिन के भीतर किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि सामान्य शिकायतों का निपटान 15 दिन में हो जाएगा। वहीं कुछ जटिल किस्म की शिकायतों का निपटान 60 दिन में किया जाएगा।

'यह उपभोक्ता एप' दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में मुफ्त उपलब्ध होगी। इससे एंड्रॉयड और आइओएस मंच पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप को पेश किए जान के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यहां कहा-सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए यह अतिरिक्त मंच पेश किया है। उपभोक्ता हेल्पलाइन और उपभोक्ता अदालतों की भूमिका बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस एप पर उपभोक्ता न केवल अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे बल्कि उनकी शिकायत पर क्या किया गया है इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि शिकायतों के निपटान में कम से कम समय लगे।

उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायतकर्ता से संतोषजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद शिकायत का निपटान माना जाएगा। उपभोक्ताओं को एअरलाइंस, बैंकिंग और विमानन सहित 42 क्षेत्रों के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल एप पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता इस एप के जरिए सरकार को सुझाव भी दे सकेंगे। उन्होंने मोबाइल एप पर कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SAMPAN TRADEX PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	SAMPAN TRADEX PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	12/03/2013
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70102DL2013PTC249338
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Shop no. 2542, Ground Floor, Gali No. 7, Beadonapura, Karol bagh New Delhi, Central Delhi- 110005
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	30.07.2019 (order received on 30.09.2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	26.01.2020 (180 days from 30.07.2019)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Pawan Kumar Goyal, Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-2018/11473
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Add:- 304, DR Chamber 12/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 Mail:- ca.pawangoyal@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Add:- 304, DR Chamber 12/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 Mail:- cirpstpl@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	14.10.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	N/A
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N/A
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives	N/A

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **SAMPAN TRADEX PRIVATE LIMITED** on 30/07/2019 (order received on 30/09/2019).
The creditors of **SAMPAN TRADEX PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14/10/2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
"Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties."
Sd/-
Date : 01.10.2019 Pawan Kumar Goyal
Place : New Delhi Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-2018/11473

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
एवीजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	एवीजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
2	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	21-07-2008
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U45400DL2008PTC181118
5	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: खसरा नं 432, सिरसपुर, गुरुद्वारा मार्केट, बादली दिल्ली नार्थ वेस्ट DL 110042 IN
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	30 सितम्बर, 2019
7	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	28 मार्च 2020
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	नाम: बिजेन्दर सिंह देसवाल आईपी पंजीकरण नं. IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-2017/10021
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पता: सी-122, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 ई-मेल : brijender@deswal.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पता: सी-122, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 ई-मेल : rp.avjinfrastructure@gmail.com, brijender@deswal.com
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	14 अक्तूबर, 2019
12	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हो अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित	आईआरपी के साथ उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं है
13	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	आईआरपी के साथ उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं है
14	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	क) प्रासंगिक फार्म http://www.ibbi.gov.in/home/downloads से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ख) भौतिक पता- लागू नहीं

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली ने 30 सितम्बर 2019 को **एवीजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
एवीजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के क्रेडिटर्स को 14 अक्तूबर 2019 को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं।
दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।
हस्ता/-
बिजेन्दर सिंह देसवाल
अंतरिम समाधान पेशेवर
तिथि: 02.10.2019 आईपी पंजीकरण नं. IBBI/IPA-003/IP-N00002/2016-2017/10021
स्थान: नई दिल्ली सी-122, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, फोन : 9811414181

इलाहाबाद बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
मण्डलीय कार्यालय, मेरठ
55, द मॉल, मेरठ कैंट

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपुर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूँ। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों / गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति / सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरुद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती हैं।

ऋणी / गारंटर का नाम व पता	प्रतिभूमि / सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख
शाखाः रिठानी, मेरठ ऋणकर्ता:- 1. श्री गनेरा बालाजी पुत्र श्री यर्रस्वामी गनेरा। 2. श्रीमती उप्पलापति प्रमीला पत्नी श्री गनेरा बालाजी दोनों निवासी 602 बी -3, वार्ड नंबर 3, द्वितीय तल, किशनगढ़ महरौली, नई दिल्ली -110030 निदेशक, अल्पाइन ह्इट्स, दिल्ली रोड, रजवाड़ा फार्म हाउस के सामने, रिठानी, मेरठ	एक आवासीय फ्लैट नंबर 607, फ्लैट का क्षेत्रफल 1365 वर्ग फीट, 6वीं मंजिल, ए-टॉवर, बिल्डिंग अल्पाइन हाइट्स स्थित दिल्ली रोड, रजवाड़ा फार्म हाउस के सामने, रिठानी, मेरठ। सीमाएं :- पूर्व : फ्लैट नंबर 608, पश्चिम: फ्लैट नंबर 606, उत्तर: सीढ़ियां और फ्लैट नं 602, दक्षिण: खुला क्षेत्र	18.09.2019 / एन पी ए की तारीख 29.07.2019 / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीख- 20.09.2019 / डाक विभाग द्वारा डिमांड नोटिस (रजिस्टर्ड) वापसी की तारीख- 01.10.2019 / नोटिस के अनुसार देय राशि रु 45,58,341.00 दिनांक 18.09.2019 से ब्याज एवं अन्य खर्चे आदि

दिनांक-01.10.2019 स्थान: मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
पंजी. कार्यालय: 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर- 247001 (उ.प्र.)
प्रधान कार्यालय: 2रा तल, 5 ए एवं 5 बी, फ्यूजन स्क्वॉयर, सेक्टर 126, नोएडा

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक/ सह-ऋणधारकों जिन्होंने शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जिसका प्रधान कार्यालय 2रा तल, 5 ए एवं 5 बी, फ्यूजन स्क्वॉयर, सेक्टर-126, नोएडा में है, से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रति अपनी साख सुविधाओं के हित का पूरा करने में विफल रहे हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी ऋण खाताओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणधारकों ने शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. को अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है जिसका विवरण यहां नीचे दिया गया है। इस तिथि को शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. को ऋणधारक के ऋण तथा देय एवं बकाया राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारकों तथा (आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफैसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्न ऋणधारक इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई बकाए का भुगतान करने में विफल होते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सम्पत्तियों का कब्जा तथा बिक्री करने सहित सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत क्रेडीटर के प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एतद्द्वारा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें।

ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों)/ मार्टगैजरों का नाम	शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के पास प्रतिभूति के रूप में रखी अचल सम्पत्तियों/ प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	ऋण खाता सं., मांग सूचना तिथि एवं राशि, एनपीए तिथि
1. राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र बाली राम यादव (ऋणधारक), निवासीः ए-9, सेक्टर 72, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, पिन- 201301 2. अनंत माधव, पुत्र छोटे लाल (गारन्टर), निवासीः सेक. 27, ग्राम अट्टा, नोएडा, गौतम बुध नगर, पिनकोड-201301	न्यू महिन्द्रा एवं महिन्द्रा बोलेरो कार का हाइपोथेकेशन चैसिस नम्बरः MAIFL2GRKF5C41736 पंजीकरण संख्याः UP16AZ0752 पंजीकरण तिथिः 10.4.2015	ऋण खाता सं. VL-FOUR WHEEL- TL 100741004857 मांग सूचना तिथिः 4.9.2019 बकाया राशिः 28.8.2019 को रु. 1,43,396.69 (रुपये एक लाख तैंतालीस हजार तीन सौ छियानवे तथा पैसे उन्हत्तर मात्र एनपीए तिथिः 27.6.2019
1. श्री सुन्दर, पुत्र राम फल (ऋणधारक) निवासीः एच.नं. 58, राजपुर कॉलोनी, ग्राम बरौला, सेक्टर- 49, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 2. श्री रामफल, पुत्र बधन सिंह (सह-ऋणधारक तथा मार्टगैजर) निवासीः एच.नं. 58, राजपुर कॉलोनी, ग्राम बरौला, सेक्टर- 49, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 3. श्री रोहित कुमार, पुत्र श्री राज कुमार (गारन्टर), निवासीः एच.नं. 81, छपरौली बांगर-2, सेक्टर- 168, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 4. श्री कालू पुत्र रिडाकू (गारन्टर) निवासीः एच.नं. 32, ग्राम हाजीपुर, सेक्टर- 39, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301	खसरा नं. 1170, ग्राम बरौला, तहसील दादरी, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित आवासीय सम्पत्ति एरिया 80 वर्ग यार्ड्स अथवा 66.88 वर्ग मी. बही नं. 1, पेज नं. 699-708, क्रम सं. 2275 तिथि 23.4.2004 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत टाइटल डीड। चौहद्दीः उत्तरः श्री ओमी का प्लॉट, दक्षिणः विक्रता का प्लॉट, पूर्वः श्री अमित का प्लॉट, पश्चिमः 14 फीट रोड	ऋण खाता सं. टीएल- 100741001063 मांग सूचना तिथिः 4.9.2019 बकाया राशिः रु. 3,03,761.02 (रुपये तीन लाख तीन हजार सात सौ इकसठ एव एवं पैसे दो मात्र) एनपीए तिथिः 21.7.2019
1. श्री अमित सेन, पुत्र प्रेम सिंह (ऋणधारक) निवासीः एच. नं. 127, ग्राम- हरासायायेव, कविनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201001 2. श्री प्रेमसिंह, पुत्र श्री हरिकिशन सिंह (गारन्टर एवं मार्टगैजर) निवासीः एच. नं. 127, ग्राम- हरासायायेव, कविनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201001 3. श्री सुशील सेन, पुत्र आशाराम सेन निवासीः एच. नं. 127, ग्राम- हरासायायेव, कविनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201001	ग्राम हरसौन, परगणा डासना, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित आवासीय सम्पत्ति, एरिया 46.82 वर्ग मी., बही नं. 1, जिल्द नं. 615, पेज नं. 117/132, क्रम सं. 6270 तिथि 3.7.2003 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत टाइटल डीड्स। चौहद्दीः उत्तरः सरताज का मकान, दक्षिणः 6 फीट चौड़ा सड़क, पूर्वः हरसरण का मकान, पश्चिमः रामसरण का मकान	ऋण खाता सं. टीएल-100741005841 मांग सूचना तिथिः 4.9.2019, बकाया राशिः 28.8.2019 को रु. 1,91,375.65 (रुपये एक लाख इक्यानवे हजार तीन सौ पचहत्तर एवं पैसे पैंसठ मात्र) एनपीए तिथिः 14.7.2019
1. मै. शुभांगी (ऋणधारक) कार्यालयः एफ-41, सेक्टर 51, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 2. श्रीमती महाऊ मुखर्जी, पत्नी सुकुमार मुखर्जी (गारन्टर एवं मार्टगैजर), निवासीः पी-253, जलवायु विहार, सेक्टर-21, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 3. श्री विनोद मोहरे, पुत्र मनोहर मोहरे (गारंटर) निवासीः जी-93, सेक्टर-20, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301	फ्लैट नं. पी-253, 1ला तल, सेक्टर-21, जलवायु विहार, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित आवासीय सम्पत्ति, एरिया 1216.00 वर्ग फीट अथवा 113.011 वर्ग मी; बही नं. 1, जिल्द नं. 3578, पेज नं. 267 से 294, क्रम सं. 7859, तिथि-27.8.2011, चौहद्दीः उत्तरः साइट के अनुसार, दक्षिणः साइट के अनुसार, पूर्वः साइट के अनुसार, पश्चिमः साइट के अनुसार	ऋण खाता सं. टीएल-705700002400 मांग सूचना तिथिः 4.9.2019 बकाया राशिः रु. 4313481.33 (रुपये तैंतालिस लाख तेरह हजार चार सौ इक्यासी एवं पैसे तैंतीस मात्र।) 31.8.2019 को। एनपीए तिथिः 4.4.2019
1. शमशेर, पुत्र बुन्दू खान (ऋणधारक एवं मार्टगैजर), निवासीः एच.नं. 41, ग्राम-सलारपुर, सेक्टर-39, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 2. श्रीमती फिरदौस, पत्नी शमशेर (सह-ऋणधारक), निवासीः एच.नं. 41, ग्राम-सलारपुर, सेक्टर-39, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 3. श्री मृत्युंजय सिंह, पुत्र रामाश्रा सिंह (गारन्टर), निवासीः मैन रोड, महर्षि आश्रम, सलारपुर, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301	आवासीय सम्पत्ति एरिया 41.80 वर्ग मी. जो खसरा नं. 775, ग्राम-सलारपुर खादर, तहसील-दादरी, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित है, बही नं. 1, जिल्द नं. 3756, पेज-1-8, क्रम सं. 964, तिथि 1.3.2013 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत, चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट दीगर, पूर्वः प्लॉट राजू, पश्चिमः प्लॉट अलीशेर	ऋण खाता सं. TL-100741005985 मांग सूचना तिथिः 4.9.2019 बकाया राशिः 28.8.2019 को रु. 2,18,780.06 (रुपये दो लाख अठारह हजार सात सौ अस्सी एवं पैसे छः मात्र) एनपीए तिथिः 23.5.2019
1. श्री संजय कुमार त्यागी, पुत्र मुन्नी देव त्यागी (ऋणधारक/मार्टगैजर) निवासीः एच.नं. 16, मैन दादरी रोड, द्वारकाधीश मंदिर के निकट, भंगेल, बेगमपुर, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201304 2. श्रीमती मंजू त्यागी, पत्नी संजय कुमार त्यागी (सह-ऋणधारक) निवासीः एच.नं. 16, मैन दादरी रोड, द्वारकाधीश मंदिर के निकट, भंगेल, बेगमपुर, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201304 3. श्री संजीत कुमार सिन्हा, पुत्र रविन्द्र कुमार सिन्हा (गारन्टर), निवासीः एच.नं. 1, भंगेल बेगमपुर-II, नोएडा, गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201304	खसरा नं. 954, ग्राम छपरौला, परगणा, तहसील-दादरी एवं जिला-गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित आवासीय सम्पत्ति, एरिया 50 वर्ग यार्ड्स अथवा 41.8 वर्ग मी., बही नं.-1, जिल्द नं. 9779, पेज नं. 1-24, क्रमांक 13447, तिथिः 20.8.2016 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत। चौहद्दीः उत्तरः 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट	ऋण खाता सं. टीएल-100741014380 मांग सूचना तिथिः 3.9.2019 बकाया राशिः 28.8.2019 को रु. 9,83,215.49 (रु. नौ लाख तिड़ासी हजार दो सौ पन्द्रह तथा पैसे उन्चास मात्र) एनपीए तिथिः 21.7.2019
1. श्री विशम्भर सिंह, पुत्र सूर्य नारायण (ऋणधारक तथा मार्टगैजर), निवासीः एच. नं. 371, ग्राम सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 2. श्री विनय कुमार, पुत्र सूर्य नारायण निवासीः एच. नं. 371, ग्राम सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301 (सह-ऋणधारक) 3. श्री लक्की सिंह, पुत्र विशम्भर सिंह (गारन्टर) निवासीः एच. नं. 371, ग्राम सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा गौतम बुध नगर (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-201301	खसरा नं. 147, सदरपुर, परगणा एवं तहसील-दादरी, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में स्थित आवासीय सम्पत्ति एरिया 50 वर्ग यार्ड्स अथवा 41.805 वर्ग मी. वही नं. 1, जिल्द नं. 6732, पेज नं. 321-348, क्रमांक 3518, तिथि 25.5.2015 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत टाइटल डीड। चौहद्दीः उत्तरः 9 फीट रोड, दक्षिणः प्लॉट चंदन, पूर्वः प्लॉट शांति देवी, पश्चिमः प्लॉट धर्मेन्द्र।	ऋण खाता सं. TL-100741012931 मांग सूचना तिथिः 6.9.2019 बकाया राशिः रु. 1166873.62 (रुपये ग्यारह लाख छियासठ हजार आठ सौ तिहत्तर एवं पैसे बासठ मात्र) 28.08.2019 को एनपीए तिथिः 23.05.2019
1. श्री मोह. गयासुद्दीन, पुत्र श्री आस मोहम्मद (ऋणधारक) निवासीः एच. नं. 2, चिपयाना खुर्द टिगरी, सोमबाजार के निकट, शिव मंदिर, जी.बी. नगर-201301 2. श्रीमती जमीला निशा, पत्नी श्री मोह. गयासुद्दीन (मार्टगैजर) निवासीः एच. नं. 2, चिपयाना खुर्द टिगरी, सोमबाजार के निकट, शिव मंदिर, जी.बी. नगर-201301 3. श्री याद राम, पुत्र श्री ठकराई राम (गारन्टर), चिपयाना खुर्द, टिगरी, सोम बाजार के निकट, शिव मंदिर, जी.बी. नगर-201301	खसरा नं. 85, दुर्गा पुरम, ग्राम चिपयाना खुर्द, उर्फ टिगरी, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित सम्पत्ति, कुल क्षेत्रफल माप 35 वर्ग यार्ड्स का ई/एम जो वही नं. 1, पेज नं. 437/454, क्रमांक 5776 तिथि 22.5.2009 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत है। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः अन्य प्लॉट, पूर्वः रोड 13'0'' चौड़ा, पश्चिमः रोड 10'0'' चौड़ा	ऋण खाता सं. टीएल-101941003687 मांग सूचना तिथिः 11.09.2019 बकाया राशिः रु. 505385/- (रुपये पांच लाख पचास हजार तीन सौ पचासी मात्र) 05.09.2019 को एनपीए की तिथिः 30.05.2019

तिथिः 2.10.2019 स्थानः ग्रेटर नोएडा शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के लिये, प्राधिकृत अधिकारी

मालेगांव मामला : बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई से अदालत का इनकार

मुंबई, 1 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बंद कमरे में सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया।

इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी एक आरोपी हैं। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश वीएस पडालकर ने कहा कि एनआइए का आवेदन अस्वीकार करने के कारणों में से एक यह है कि सुनवाई पारदर्शी तरीके से की जा सके। अदालत ने मीडिया को कुछ पाबंदियों के साथ मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग करने की अनुमति दे दी। मीडियाकर्मियों को अपने संबंधित मीडिया संस्थानों के पहचान पत्रों की प्रतियां जमा करानी होंगी। अदालत ने कहा कि (सुनवाई के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा) किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाए और बस तथ्यपरक स्थिति के अनुसार ही मामले की रिपोर्टिंग की जाए। अदालत ने यह कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाए तबतक उस पर कोई संपादकीय नहीं लिखा जाए तथा निजी राय या किसी प्रकार की चर्चा/परिचर्चा नहीं की जाए। अदालत के बंद कमरे में होने वाली सुनवाई में केवल न्यायाधीश, अधिवक्ता, आरोपी तथा प्रत्यक्षदर्शी ही मौजूद रहते हैं।

एनआइए के अनुरोध को विशेष अदालत ने किया खारिज

कश्मीर में कल से सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश

श्रीनगर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद घाटी में दो महीने से बंद पड़े स्कूलों को बृहस्पतिवार तक खोलने का निर्देश दिया गया है।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त बशीर अहमद खान ने सोमवार को घाटी में सभी उपायुक्तों और स्कूली शिक्षा निदेशक को सुनिश्चित करने को कहा कि अगस्त और सितंबर में जब स्कूल बंद थे, तब के लिए छात्रों से ट्यूशन शुल्क और बस शुल्क नहीं लिए जाएं। एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा है कि घाटी में उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी सरकारी स्कूल और निजी संस्थान बृहस्पतिवार तक खोले जाएं। प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर के कॉलेज में तीन अक्तूबर को फिर से खोले जाएंगे। राज्य प्रशासन ने पिछले महीने भी स्कूलों को खोलने की कोशिश की थी लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।

महाराष्ट्र : भाजपा ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली सूची

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को 125 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की।

भाजपा ने कहा कि वह राज्य में शिवसेना और कुछ छोटे सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोंसले को उम्मीदवार बनाया है। भोंसले पहले इसी सीट से राकांपा सांसद थे और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम से और महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने सतारा विधानसभा सीट से शिवेंद्र सिंह भोंसले को टिकट दिया है। जबकि कस्बापेट से लोकमान्य तिलक घराने की बहू मुक्त तिलक व कराड दक्षिण सीट से अतुल भोंसले को टिकट दिया है। सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने अपने 12 विधायकों को टिकट नहीं दिया। 52 वर्तमान विधायकों को टिकट दिया गया है। पार्टी की पहली सूची में 12 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा-भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपनी सहयोगी शिवसेना और आरपीआइ, रैयत क्रांति पार्टी, शिव संग्राम सहित कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेगी। सिंह ने दावा किया कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन तीन चौथाई बहुमत से फिर सरकार बनाएगा। भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति हुई है। समझा जाता है कि शिवसेना 124 सीटों पर और भाजपा एवं अन्य सहयोगी दल 164 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।

52 वर्तमान विधायकों को टिकट, पहली सूची में 12 महिलाएं शामिल

महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के 52 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी जिसमें कुल 52 नाम शामिल हैं।

दूसरी सूची में प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का है जिन्हें कराड दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया। इसी के साथ ही चव्हाण के सतारा लोकसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार बनने की अटकलों पर विराम लग गया है। इससे पहले पार्टी ने रविवार को 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम भी शामिल था। उनको भोकर सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची के मुताबिक लातूर ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के पुत्र धीरज देशमुख और सांगली से वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज पाटिल को टिकट दिया गया है। पार्टी अब तक कुल 103 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है।

सीबीएसई के विद्यालय हर विद्यार्थी को देंगे जूट या खादी का थैला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

देश को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के अभियान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध 22,000 से अधिक विद्यालय भी भागीदारी करेंगे। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को उनके विद्यालय के हर विद्यार्थी को जूट या खादी का एक थैला देने की सलाह दी गई है। इतना ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्कूलों में सप्ताह या पखवाड़े या महीने में एक दिन खादी के नाम करने की भी सलाह दी गई है।

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि हमारे 22 हजार से अधिक स्कूलों में करीब 15 लाख शिक्षक पढ़ाते और दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि सीबीएसई का पूरा परिवार यानी सभी विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक देश को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के अभियान में युद्ध स्तर पर जुट रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत सभी प्रधानाचार्यों को कहा गया है कि वे अपने स्कूल के हर बच्चे को जूट या खादी का एक थैला दें और उसका उपयोग करने के लिए हैं। त्रिपाठी ने बताया कि इससे समाज में प्लास्टिक के स्थान पर जूट या खादी के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता आएगी।

पाक गोलाबारी में बीएसएफ जवान समेत दो लोग घायल

जम्मू, 1 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान की सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ और कठुआ जिलों में अग्रिम चौकियों और गांवों को मोर्टार के गोलों और छोटे हथियारों से निशाना बनाकर संघर्षविराम का उल्लंघन किया जिसमें बीएसएफ के एक जवान समेत दो लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सीमापार से शाहपुर और कर्णी और कस्बा में मोर्टार के गोले दागे गए और गोलीबारी हुई। विख्यात सुफी संत सैन बाबा मिरान बक्श की प्रसिद्ध दरगाह के निकट पर मोर्टार के गोले गिरे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा से लगे क्षेत्रों में रह रहे लोग घबराए हुए हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान ने आज (मंगलवार) सुबह करीब पौने आठ बजे पुंछ जिले के शाहपुर और कर्णी सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी कर और मोर्टार के गोले दागकर संघर्षविराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने बताया कि दोपहर में करीब एक बजकर 30 मिनट पर गोलाबारी रुकी लेकिन फिर से यह तीन बजकर 50 मिनट पर शुरू हो गई और निकट के कस्बा सेक्टर में भी इस दौरान गोलाबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद राशिद नाम का एक युवक शाहपुर सेक्टर में घायल हुआ है।

मोर्टार का गोला बाबा मिरान बक्श की दरगाह के निकट गिरा, जिससे श्रद्धालु घबरा गए। उन्होंने बताया कि हालांकि श्रद्धालु और दरगाह सुरक्षित है और अंतिम खबर मिलने तक सीमापार से गोलीबारी जारी है। पुंछ में पाकिस्तानी बलों की गोलीबारी में रविवार को छह लोग घायल हो गए थे।

संघर्षविराम का उल्लंघन कठुआ, पुंछ में अग्रिम चौकियों को बनाया निशाना

दिल्ली-लखनऊ तेजस देर से चली तो यात्रियों को मिलेगा मुआवजा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

आइआरसीटीसी की दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन के विलंब होने पर मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे की सहायक कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तेजस का यह सफर 4 अक्तूबर से दिल्ली लखनऊ के बीच शुरू हो रहा है। तय नियम के मुताबिक एक घंटे से अधिक का विलंब होने पर 100 रुपए की राशि अदा की जाएगी जबकि दो घंटे से अधिक की देरी होने पर 250 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस ट्रेन के यात्रियों को 25 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा भी दिया जाएगा। यात्रा के दौरान लूटपाट या सामान चोरी होने की स्थिति के लिए भी एक लाख रुपए के मुआवजे की व्यवस्था है। ट्रेन चार अक्तूबर को यात्रा पर रवाना होगी। मंत्रालय के मुताबिक दावा प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर संपर्क व इंशोरेंस कंपनी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक कागजात देने के बाद 2 से 3 दिन में यात्री को दावा भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।

सफर में मिलेगा 'व्रत का खाना' : रेल सफर के दौरान यात्रियों के लिए विशेषतौर पर 'व्रत का खाना' भी उपलब्ध है। रेल सफर में यात्रियों की सुविधा के लिए यह पहल की गई है। यह सुविधा यात्रियों के लिए नवरात्र से शुरू की गई है। आईआरसीटीसी यह सेवा उपलब्ध कराएगा और इसके लिए यात्री को 'ई कैटरिंग' के माध्यम से यात्रा, स्टेशन व अन्य जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आईआरसीटीसी के मुताबिक नवरात्र में व्रत रखने वाले यात्रियों को खानपान को लेकर काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए ही यह सेवा शुरू की गई है। इसमें यात्री के लिए साबूदाना खिचड़ी, भुने हुए मखाने, मूंगफली नमकीन, आलू की टिक्की, नवरात्र थाली, जीरा आलू, फ्रैंचफ्राई, फलाहारी, मलाई बर्फी रसमलाई, मिल्क केक, सादी बर्फी व लस्सी समेत अन्य व्रत में खाने वाली चीजें शामिल की गई है। नवरात्र के खाने की सुविधा कालनपुर सेंट्रल, जबलपुर, रतलाम, जयपुर, बीना, पटना, राजेंद्र नगर, हजरत निजामुद्दीन व अहमद नगर समेत अन्य स्टेशनों पर उपलब्ध है।

Office of the Chief Executive Officer, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra

EXPRESSION OF TENDER NOTICE

In reference to Abridged Tender Notice No. CO/Cat/ 338/676 dated 28.08.2019 & Extension issued vide No. CO/Cat/338/776 dated 19.09.2019. The Last Date for Submission of Tender from Principal Firms or their Authorized Franchisees, for Providing Catering Services at **Bhojanalaya Saraswati Dham, Rail Head Complex, Jammu** of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, is hereby further extended upto 9th of October, 2019, 1500 hrs.

The other terms and conditions of the Tender shall remain the same. The NIT along with detailed terms & conditions can be downloaded from official website of the Shrine Board (**www.maavaishnodevi.org.**), Free of Cost. In case of lack of Internet connectivity, prospective Bidders can obtain a copy of NIT Free of Cost from the Central Office of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board located at Katra (J&K).

No.: CO/Cat/338/800
Dated: 01.10.2019

Sd/- (Dr. J.C. Mehra), KAS
Dy. Chief Executive Officer

'सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई दलील नहीं दी'

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में हिंदू पक्षकारों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुनवाई के दौरान उन्होंने कभी ऐसी दलील नहीं दी, जो सांप्रदायिक सौहार्द और शांति को बिगाड़ती हो। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उनके प्रतिद्वंद्वियों के दावे में सांप्रदायिक पहलू शामिल है। उन्होंने मुसलिम पक्षकारों की इस दलील को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया कि पुरातात्त्विक रिपोर्ट को नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब वे आरोप लगा रहे हैं कि जो दीवार खुदाई में निकली, वह ईदगाह की थी। दलीलों पर प्रश्न करते हुए राम लला के वरिष्ठ वकील ने कहा कि इसका आशय है कि मुगल शासक बाबर आया था और उसने ईदगाह को गिराकर मस्जिद बनाई। इसने उनके पुराने रुख का भी विरोध किया कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी। हिंदू पक्षकारों की दलीलों पर मुसलिम पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई। दलीलों पर बहस के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

अयोध्या मामले में 'हिंदू पक्ष ने न्यायालय में कहा

शिवकुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर।

धनशोधन के मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 15 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई। सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने ईडी को शिवकुमार से जेल में पूछताछ करने की भी इजाजत दे दी। विशेष जज अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। कांग्रेस नेता को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। उन्हें धनशोधन के मामले में प्रवर्तन ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी के विशेष अभियोजकों अमित महाजन, एनके माट्टा और नीतेश राणा ने कहा कि विभिन्न बीमारियों के कारण शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।

राजस्थान व हरियाणा में राशन पोर्टेबिलिटी शुरू

जयपुर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

राजस्थान व हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन का वितरण करने के लिए पोर्टेबिलिटी एक अक्तूबर से लागू कर दी गई है। इसके तहत इन दोनों राज्यों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी किसी भी राशन की दुकान से गेहूं ले सकते हैं।

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक देश एक राशन कार्ड परियोजना के तहत यह पहल की गई है। मीना ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशानुसार नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू की जानी है जिसके तहत देश का कोई भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी किसी भी राज्य की राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकता है। नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करने से पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देश के दो राज्यों को जोड़ा गया है। खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से हरियाणा व राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी एक दूसरे राज्य की किसी भी राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यपालक अभियंता (एम-I) केपीजेड
केशव पुरम, दिल्ली-110035

एनआईटी सं: ई.ई.(एम-I)/केपीजेड/टीसी/2019-20/19 दिनांक: 27.09.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा दस्तावेज बिक्री/डाउनलोड प्रारंभ तिथि : 27.09.2019 को सायं 5.00 बजे तक
निविदा दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि : 14.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक
वित्तीय निविदा खुलना : 14.10.2019 को प्रातः 11.15 बजे

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कार्यपालक अभियंता (एम)-1/केशव पुरम द्वारा अनुमोदित एवं योग्य ठेकदारों से मुहरबंद प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्यपालक अभियंता (एम)-1/केशव पुरम द्वारा वेबसाइट **www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर निविदाएं खोली जाएंगी। दरों की वैधता 6 माह है।

क. सं. 1. कार्य का नाम: सीबी-ब्लॉक, शालीमार बाग (एन), वार्ड नं. सी-62/केपीजेड में प्रवेश द्वार से मकान नं. 52 और मकान नं. 36 से 38 तक लेन का सुधार। **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.49,54,364/-, **अनुमानित लागत:** रु.53,57,100/-, **धरोहर राशि:** रु.99,100/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 4 माह.

क. सं. 2. कार्य का नाम: एजी-ब्लॉक, शालीमार बाग (एस), वार्ड नं. सी-63/केपीजेड में 5.00मीटर आरओडब्ल्यू आंतरिक सड़कों का सुधार एवं विकास। **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.1,32,52,958/-, **अनुमानित लागत:** रु.1,45,77,400/-, **धरोहर राशि:** रु.2,65,100/-, **निविदा कीमत:** रु. 1500/-, **पूर्णता अवधि:** 9 माह.

क. सं. 3. कार्य का नाम: एबी-ब्लॉक, शालीमार बाग, वार्ड नं. सी-63/केपीजेड में मकान नं. 48 से 57, 68 से 77, 28 से 86, 13 से 165 और 182 से 206 तक लेन का सुधार एवं विकास। **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.35,37,312/-, **अनुमानित लागत:** रु.38,24,900/-, **धरोहर राशि:** रु.70,800/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 04 माह.

क. सं. 4. कार्य का नाम: एडी-ब्लॉक, शालीमार बाग (एस), वार्ड नं. सी-63/केपीजेड में मकान नं. 17 से 22, 23 से 27, 10 से 11 से 27, 81 से 84 और 85 से 89 के समानांतर ड्रेन सिस्टम, साइड वर्म और लेन का सुधार एवं विकास। **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.36,59,005/-, **अनुमानित लागत:** रु.39,56,500/-, **धरोहर राशि:** रु.73,200/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 03 माह.

क. सं. 5. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.29,49,633/-, **अनुमानित लागत:** रु.31,89,400/-, **धरोहर राशि:** [illegible], **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 04 माह.

क. सं. 6. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.43,29,472/-, **अनुमानित लागत:** रु.46,81,400/-, **धरोहर राशि:** रु.86,600/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 04 माह.

क. सं. 7. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.24,91,054/-, **अनुमानित लागत:** रु.26,93,600/-, **धरोहर राशि:** रु.49,850/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 03 माह.

क. सं. 8. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.27,52,730/-, **अनुमानित लागत:** रु.29,76,500/-, **धरोहर राशि:** रु.55,100/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 03 माह.

क. सं. 9. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.56,67,069/-, **अनुमानित लागत:** रु.61,27,800/-, **धरोहर राशि:** [illegible], **निविदा कीमत:** रु. 1000/-, **पूर्णता अवधि:** 06 माह.

क. सं. 10. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** रु.33,34,107/-, **अनुमानित लागत:** रु.36,05,100/-, **धरोहर राशि:** रु.66,700/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 04 माह.

क. सं. 11. कार्य का नाम: [illegible] **खाता शीर्ष:** XL-VIII-S(d), **FTC No.19/XL-VIII-S (d), निविदा राशि:** [illegible], **अनुमानित लागत:** रु.34,86,900/-, **धरोहर राशि:** रु.63,450/-, **निविदा कीमत:** रु. 500/-, **पूर्णता अवधि:** 03 माह.

[illegible] **www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** [illegible]

आर.ओ. नं. 111/डीआईपी/उत्तरीडीएमसी/2019-20 कार्यपालक अभियंता (एम)-I/केशव पुरम

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 224/18

विक्रय की उद्घोषणा

एसरेक बनाम मैसर्स मोलीकोडल फैशन्स प्रा. लि.

ऋणों की वसूली हेतु बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत विक्रय उद्घोषणा

(1) मैसर्स मोलीकोडल फैशन्स प्रा. लि. 27, तृतीय तल, उत्तरी पश्चिमी एवेन्यू, क्लब रोड, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110026 कार्य स्थल : ई-1/7, द्वितीय तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 (2) श्री इन्द्रपाल सिंह बधावन, पुत्र श्री हरमोहिन्दर सिंह बधावन, 78, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 यहां भी: डी-174, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, यहां भी: 6/80, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026, यहां भी: डी-174, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 (3) श्री सतविन्दर सिंह बधावन पुत्र श्री हरमोहिन्दर सिंह बधावन, 78, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

चूंकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या 183/14 में दिनांक 28.06.2018 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध 8,61,18,188.08 (रूपये आठ करोड़ इकसठ लाख अठारह हजार एक सौ अठ्यासी और आठ पैसे मात्र) रूपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्कशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की संतुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 06.06.2014 तक 13% वार्षिक की दर से ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि एवं 1,50,000/- रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होने है। 2. और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाण पत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। 3. और जैसा कि राशि रू. 8,61,18,188.08 (रुपये आठ करोड़ इकसठ लाख अठारह हजार एक सौ अठ्यासी एवं आठ पैसे मात्र) आकस्मिक खर्चों एवं ब्याज के साथ दिनांक 06.06.2014 से 13% वार्षिक की दर से संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से बकाया की पूर्ण रूप से देय बकाया राशि एवं रू. 1,50,000/- भी पूर्ण रूप से प्राप्त होने तक। 4. एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में संदर्भित सम्पत्ति का विक्रय ऑनलाईन नीलामी के जरिये **https://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से दिनांक 11.11.2019 को सांय 03:00 बजे से सांय 04:00 बजे (अंतिम 5 मिनट में बोली आने पर यदि आवश्यक हो तो स्वतः वृद्धि वाक्य के अनुसार) तक किया जायेगा। 5. यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति [illegible]

[illegible]

सम्पत्ति का विवरण

क्रम संख्या	सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहस्वामिक का नाम सहित बेचे जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति से म०- मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी भी भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद आदि कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई जानकारी [illegible]
1	[illegible] 1048.70 [illegible]		जानकारी नहीं	

मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को दिया गया। (सील) (संजू स्नेही) वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली

NOTICE OF ADJOURNED MEETING TIMES LOGISTICS LIMITED

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of the company which was proposed to held on Monday, 30th September, 2019 was adjourned for the want of quorum will be held on Monday, 07th October, 2019 at the registered office of the company ie 3rd Floor, XX-118/1, Main Najafgarh Road, Near Swatantra Bharat Mill, Main Gate, Delhi-110015, India at 12.00 pm to transact the business as specified in the notice convening the 13th Annual General Meeting which has been sent by the permitted mode as per the provision of The Companies Act, 2013 and Rule framed thereunder, to every concerned share holders individually.

By order of the Board
For Times Logistics Limited
Mayank Gupta, Director (DIN-08534231)
Add.: H.No. 13 Road No. 42, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

यूको बैंक सहस्त्रधारा रोड शाखा देहरादून

कब्जा सम्बन्धी नोटिस
(नियम 8(1) अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट न0 54) तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खाते में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्तियों का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **यूको बैंक, सहस्त्रधारा रोड शाखा देहरादून** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। **(कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है)**

ऋणी एवं गारन्टर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	कब्जा नोटिस की तिथि
श्री हरि कृष्ण डौंडियाल पुत्र महानन्द एवं श्रीमती मीना डौंडियाल पत्नी हरि कृष्ण डौंडियाल	3 बीएचके फ्लैट जो कि भवन के फ्लोर न0-2 पर स्थित है, भूमि खतौनी न0 62, खसरा न0 570K, क्षेत्रुल 1465 वर्ग फीट, मौजा तरला नागल परगना परवा दून जिला देहरादून। सीमायें:- दक्षिण: मीना डौंडियाल की सम्पत्ति, उत्तर: 14 फीट चौड़ा, पूर्व: श्रीमती मीना डौंडियाल की सम्पत्ति, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति	16.07.2019	रु0 **34,83,801/-** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	**26.09.2019**

दिनांक: 01.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

एसएएम शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली- 110001

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/ संपत्ति के स्वामी/ गारन्टर का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना में वर्णित राशि	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
मै. शारदा मा एण्टरप्राईजेज (पी) लि. (1) 14 डी, आत्मा राम हाउस, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001 तथा 2) श्री नरेन्द्र जिन्दल, डी-329, विवेक विहार, दिल्ली-110095, 3) श्रीमती बेला अगरवाल, पत्नी श्री नरेन्दर जिन्दल, डी-329, विवेक विहार, दिल्ली-110095, 4) श्री संदीप अगरवाल, पुत्र श्री गुलजारी लाल अग्रवाल, डी-142, विवेक विहार, दिल्ली- 110095, 5) ग्लिट्ज ट्रेडर्स प्रा.लि. डी-329, विवेक विहार, दिल्ली-110095	खसरा नं. 570/1, 571/52/2/1, 573, 574 एवं 575, नं. बी-46, पी.एच.नं. 45, ग्राम कच्छगावन, जिला कटनी (म.प्र.) में स्थित व्यावसायिक भूमि, माप 80,700 वर्ग फीट	रु. 508827450.74 (रुपये पचास करोड़ अठासी लाख सत्ताईस हजार चार सौ पचास एवं पैसे चौहत्तर मात्र)	22.5..2019	27.9.2019

तिथि: 27.9.2019
स्थान: कटनी (म.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी,
भारतीय स्टेट बैंक

अंतर्राष्ट्रीय
अहिंसा दिवस
2 अक्टूबर

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

"सत्य-अहिंसा के पुजारी"

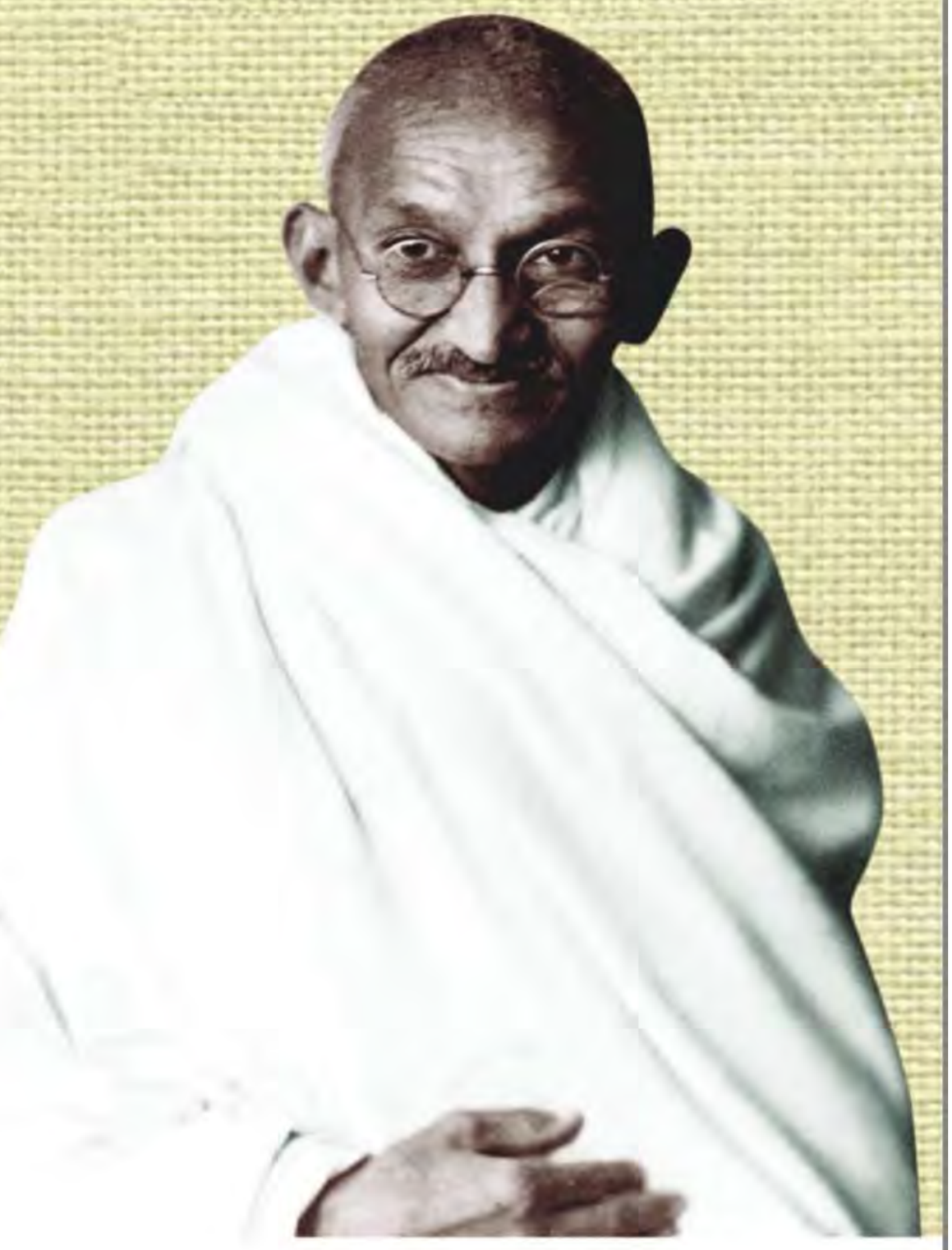

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि भारत उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिये कोशिश करूंगा कि जिसमें ऊँचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेलजोल होगा।

- महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित

गांधी सप्ताह: 2-9 अक्टूबर, 2019 | जयपुर

2 अक्टूबर, 2019

प्रातःकालीन प्रार्थना सभा
प्रातः 7:30-8:15
गांधी स्टेच्यू, सचिवालय, जयपुर

गांधी मूर्ति स्थल पर कार्यक्रम
प्रातः 8:30-9:00
गांधी सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

गांधी प्रदर्शनी एवं खादी मेले का उद्घाटन
प्रातः 11:00 से अपराह्न 11:45
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर, 2-9 अक्टूबर, 2019

गांधी उत्सव ('सहर' संस्था द्वारा) का शुभारम्भ
दोपहर 12:00-12:30
सेन्ट्रल पार्क, जयपुर, 2-9 अक्टूबर, 2019

भजन संध्या एवं सरोद वादन : सुनन्दा शर्मा, उस्ताद अमज़द अली खान
सायं 6:30-8:00, सेन्ट्रल पार्क, जयपुर

3 अक्टूबर, 2019

उद्घाटन समारोह
प्रातः 10:00 से 11:30
बिड़ला सभागार, जयपुर

सामाजिक कल्याण सत्र
प्रातः 11:30 से अपराह्न 1:30
बिड़ला सभागार, जयपुर

गांधी एक्सपो
प्रातः 11:00 से सायं 6:00
बिड़ला सभागार, जयपुर

स्वच्छता सम्मेलन
दोपहर 3:30 से सायं 5:30
बिड़ला सभागार, जयपुर

खादी हेरिटेज शो (प्रसाद बिड़प्पा द्वारा) की प्रस्तुति
सायं 7:00 से रात्रि 8:30
बिड़ला सभागार, जयपुर

4 अक्टूबर, 2019

महिला स्वयं-सहायता समूहों की कार्यशाला
प्रातः 10:30 से अपराह्न 1:00
बिड़ला सभागार, जयपुर

गांधी एक्सपो
प्रातः 11:00 से सायं 6:00
बिड़ला सभागार, जयपुर

खादी संगोष्ठी
अपराह्न 3:00 से सायं 5:00,
बिड़ला सभागार, जयपुर

'भारत भाग्य विधाता' नाटक (श्रीमद् राजचंद्र मिशन द्वारा) का मंचन
सायं 7:00 से रात्रि 8:30, बिड़ला सभागार, जयपुर

आप सादर आमंत्रित हैं

राष्ट्रपिता बापू के सिद्धांतों पर अमल करते हुए उनके सपनों को साकार करना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।

अशोक गहलोत

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान संवाद

खबर कोना

दक्षिण अफ्रिका के साथ टैस्ट मैच से पहले विशाखापत्तनम में प्रेस को संबोधित करने के बाद एक फैन के साथ तस्वीर खिंचाते कप्तान विराट कोहली ।

भारत-ब्रिटेन मैच गोलरहित ड्रा छूटा

मारलो (इंग्लैंड), 1 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के अपने दौरे का तीसरा मैच मंगलवार को गोलरहित ड्रा खेला। दोनों टीमों ने सतर्क शुरुआत की। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर के आखिर में आक्रामक रवैया अपनाया और पेनल्टी कार्नर हासिल किया लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाई। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में भी आक्रामक रवैया अपनाया। लेकिन ब्रिटिश टीम ने इसका भी शानदार बचाव किया। भारत ने तीसरे क्वार्टर के शुरू में भी पेनल्टी कार्नर हासिल किया लेकिन उसने इसे भी खराब कर दिया। दोनों टीमों ने चौथे क्वार्टर में भी गोल करने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

टायर निर्माता कंपनी सिएट के साथ करार किया श्रेयस ने

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर(जनसत्ता)

भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने टायर निर्माता कंपनी सिएट के साथ एक करार किया है। इसके तहत वह कंपनी के लोगो वाला बल्ला इस्तेमाल करेंगे। अय्यर से पहले रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल और हरमनप्रीत कौर जैसे स्टार खिलाड़ी सिएट से जुड़े हुए हैं। अय्यर अब खेल के सभी प्रारूपों में अपने बल्ले पर सिएट का लोगो लगाकर खेलेंगे। मुंबई में जन्में 24 साल के अय्यर इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे युवा कप्तान हैं।

कानितकर और पोवार एनसीए में बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच बने

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हरफनमौला ऋषिकेश कानितकर और स्पिनर रमेश पोवार राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में क्रमशः बल्लेबाजी और गेंदबाजी के कोच होंगे। दोनों कोच एनसीए के क्रिकेट निदेशक राहुल द्रविड के प्रति जवाबदेह रहेंगे और जरूरत के मुताबिक आयु वर्ग की टीमों (भारत अंडर-19 और अंडर-23) के साथ दौरा करेंगे।

पंत की जगह लेंगे साहा, टैस्ट करिअर संवारने उतरेंगे रोहित

विशाखापत्तनम, 1 अक्तूबर (भाषा)।

बुधवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे तीन टैस्ट की श्रृंखला के पहले मैच में टैस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा नई पारी की शुरुआत करेंगे लेकिन ऋषभ पंत इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे। पंत की जगह रिद्धिमान साहा 22 महीने में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पुष्टि की कि पंत को भारत के घरेलू सत्र के पहले टैस्ट की अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया है।

भारत इस उम्मीद के साथ उतरेगा कि रोहित सीमित ओवरों के क्रिकेट की अपनी सफलता को टैस्ट क्रिकेट में दोहरा पाएंगे रोहित ने अब तक 27 टैस्ट में 39.62 की औसत से 1585 रन बनाए हैं जबकि सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनके नाम पर 11000 से अधिक रन दर्ज हैं।

कप्तान ने साथ ही पुष्टि की कि अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस मैच में खेलेंगे। पिछले साल दिसंबर में एडिलेड टैस्ट में जीत के दौरान चोटिल होने के बाद से अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। बाकी टीम लगभग तय नजर आती है। भारत इस मैच में दो तेज गेंदबाजों और इतने ही स्पिनरों के साथ उतर सकता है। अगर विकेट से टर्न मिलता है तो हनुमा विहारी तीसरे स्पिनर की भूमिका निभा सकते हैं।

वहीं जसप्रीत बुमराह का बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका है लेकिन इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की जोड़ी उनकी गैरमौजूदगी में भी पूरी तरह से सक्षम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम एकादश में रविंद्र जडेजा के रूप में एकमात्र स्पिनर को टीम में जगह मिली थी और यहां उन्हें अश्विन का साथ मिलेगा।

दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर कुछ नए खिलाड़ियों के साथ आई है। उसके खिलाफ मेजबान टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कप्तान फाफ डु प्लेसिस सहित मौजूदा टीम के सिर्फ पांच खिलाड़ी पिछली बार भारत दौरे पर आई टीम का हिस्सा थे, जिसे तब टैस्ट श्रृंखला में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका को काफी लोग श्रृंखला में जीत का दावेदार नहीं मान रहे।

प्रैक्टिस के दौरान भारतीय कोच और चेतेश्वर पुजारा

टीमें इस प्रकार हैं-

भारत : विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, इशांत शर्मा और शुभमन गिल।

दक्षिण अफ्रीका : फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), तेम्बा बावुमा, थ्युनिस डि ब्रुयिन, क्विंटन डिकाक, डीन एल्गर, जुबैर हमजा, केशव महाराज, एडन मार्कराम, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, एरिक नॉर्टजे, वरनन फिलेंडर, डेन पीट, कागिसो रबादा और रूडी सेकेंड।

मैच सुबह नौ बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

'रोहित को पर्याप्त मौके मिलेंगे'

कोहली ने रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि शर्मा को टैस्ट में खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हम उनके साथ जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। आप भारत और विदेशों में अलग-अलग योजना के साथ मैदान में जाते हैं। पारी का आगाज करना ऐसी जिम्मेदारी है जहां खिलाड़ी को अपना खेल समझने के लिए समय चाहिए होता है। रोहित को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा।'

'साहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर'

खराब फार्म से जूझ रहे ऋषभ पंत की जगह रिद्धिमान साहा लेंगे। कोहली ने कहा, 'हां, साहा फिट है और खेलने को तैयार है। वह हमारे लिए श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। उसकी विकेटकीपिंग से सभी वाकिफ हैं। उसे जब भी मौका मिला तो उसने बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि चोट के कारण वह बाहर रहा। मेरे अनुसार वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर है।'

बेल्जियम को हराया, भारत की लगातार चौथी जीत

एंटवर्प (बेल्जियम), 1 अक्तूबर (भाषा)।

हॉकी

भारतीय पुरुष हाकी टीम ने विश्व और यूरोपियन चैपिंयन बेल्जियम को हराकर मंगलवार को लगातार चौथी जीत दर्ज की। अमित रोहिदास (10वें मिनट) और सिमरनजीत सिंह (52वें मिनट) ने विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर काबिज टीम के लिए गोल किए। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम के लिए इकलौता गोल फेलिक्स डेनयार ने मैच के 33वें मिनट में किया।

पिछले मैच में स्पेन को 5-1 से हराने वाली भारतीय टीम मैच के शुरुआत से ही लय में दिखी। टीम को मुकाबले के 10वें मिनट में ही पेनल्टी कार्नर मिला जिसे रोहिदास ने गोल में बदल कर भारत का खाता खोला। पहले क्वार्टर की तरह दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारतीय टीम ने दबदबा बनाया लेकिन मध्यांतर से पहले बेल्जियम ने हमला तेज कर दिया। मध्यांतर से पांच मिनट पहले बेल्जियम को पहला पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन गोल पोस्ट पर श्रीजेश की जगह मोर्चा संभालने वाले कृष्ण बी पाठक ने शानदार बचाव कर विश्व चैंपियन को बराबरी करने से रोक

मैच के 52वें मिनट में भारतीय टीम ने शानदार खेल का नजारा पेश किया जिसे सिमरनजीत सिंह ने गोल में बदल दिया।

भारतीय महिला टीम ने दी दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त

सूरत, 1 अक्तूबर (भाषा)।

महिला क्रिकेट

युवा बल्लेबाज शैफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स की उपयोगी पारियों और लेग स्पिनर पूनम यादव की शानदार गेंदबाजी से भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को 51 रन से करारी शिकस्त देकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर निर्धारित 17 ओवर में चार विकेट पर 140 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम इसके जवाब में सात विकेट पर 89 रन ही बना सकी।

भारत ने पहले मैच में 11 रन से जीत दर्ज की थी जबकि दूसरा और तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इन दोनों टीमों के बीच पांचवां टी20 मैच चार अक्टूबर को खेला जाएगा। अपने पहले मैच में खाता खोलने में नाकाम रही 15 वर्षीय शैफाली ने दक्षिण अफ्रीका के लचर क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाकर 33 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 46 रन बनाए जबकि रोड्रिग्स ने 22 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली।

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मुश्किल लक्ष्य के सामने शुरू से जूझती रही। भारतीय स्पिनरों ने उन पर अंकुश लगाए रखा। पूनम यादव ने तीन ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट लिए। राधा यादव (16 रन देकर दो) और दीप्ति शर्मा (चार ओवर में 19 रन देकर एक विकेट) ने उनका अच्छा साथ दिया।

आउटफील्ड गीली होने के कारण मैच 17 ओवर का कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने वाले भारत को शैफाली और स्मृति मंधाना (19 गेंदों पर 13 रन) ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। शैफाली को पहले अपनी टाइमिंग से जूझना पड़ रहा था। इस बीच उन्हें और मंधाना को जीवनदान भी मिले। शैफाली शुरू से ही आक्रामक शॉट खेलने के मूड में दिखीं। लेग स्पिनर सुन लुस पर लगाया गया उनका छक्का दर्शनीय था लेकिन भाग्य भी उनके साथ था क्योंकि टुमी सेखुखुने पर लगाया गया उनका छक्का मिडविकेट पर फिल्डर के हाथ से छिटककर सीमा रेखा पार गया था।

मीराबा और तसनीम ने भारत को दिलाई जीत

कजान (रूस), 1 अक्तूबर (भाषा)।

मैसनाम मीराबा लुवांग और तसनीम मीर की अगुवाई में भारत ने मंगलवार को बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप के दूसरे दिन ग्रुप ई में आस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दर्ज की। पहले मैच में गोवा की तनीषा क्रैस्टो और छत्तीसगढ़ के इशान भटनागर ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आस्ट्रेलिया के जैक यु और कैटलिन इया को 21-17, 20-22, 21-11 से पराजित किया।

जूनियर विश्व नंबर दस मीराबा ने लड़कों के एकल में रियो अगस्टिनो को 21-17, 21-11 से हराकर भारत को दूसरा अंक दिलाया। लड़कियों के एकल में गुजरात की तसनीम मीर ने एंजेला यु पर 21-11, 21-15 से आसान जीत दर्ज करके भारत को 3-0 से अजेय बढ़त दिला दी।

मुंबई ने सौराष्ट्र को हराया, टूर्नामेंट में पहली जीत

बंगलुरु, 1 अक्तूबर (भाषा)।

कप्तान श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव के अर्धशतकों की मदद से मौजूदा चैंपियन मुंबई ने मंगलवार को सौराष्ट्र को पांच विकेट से हराया जो उसकी विजय हजारे ट्राफी राष्ट्रीय एकदिवसीय टूर्नामेंट में पहली जीत है। मुंबई ने एलीट ग्रुप ए के इस मैच में सौराष्ट्र को नौ विकेट पर 245 रन पर रोकने के बाद अय्यर के 75 और सूर्यकुमार के नाबाद 85 रन की बदौलत दो ओवर पहले ही लक्ष्य हासिल कर दिया। शुभम रंजने ने नाबाद 45 रन बनाए।

इससे पहले सौराष्ट्र के अधिकतर बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। उसकी तरफ से अर्पित वासवदा ने सर्वाधिक 59 रन बनाए जबकि चिराग जानी ने नाबाद 40 रन का योगदान दिया। मुंबई की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 36 रन देकर तीन विकेट लिए। एलीट ग्रुप ए के दूसरे मैच में हैदराबाद ने कर्नाटक को 21 रन से हराकर चार अंक हासिल किए। भारतीय टीम से बाहर चल रहे और संन्यास से वापसी करने वाले अंबाती रायुडु ने नाबाद 87 रन बनाकर हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया जबकि बाद में बायें हाथ के स्पिनर बी संदीप ने चार विकेट लिए।

तमिलनाडु की बंगाल पर जीत में चमके कार्तिक

जयपुर, 1 अक्तूबर (भाषा)।

कप्तान दिनेश कार्तिक की 62 गेंदों पर आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से खेली गई 97 रन की शानदार पारी से तमिलनाडु ने मंगलवार को बंगाल को 74 रन से हराया जो विजय हजारे ट्राफी ग्रुप सी में उसकी लगातार चौथी जीत है। तमिलनाडु पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 37 ओवर में पांच विकेट पर 123 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था लेकिन बाद में कार्तिक और शाहरूख खान (नाबाद 69) के बीच शतकीय साझेदारी से वह सात विकेट पर 286 रन बनाने में सफल रहा।

इसके जवाब में बंगाल 45.3 ओवर में 212 रन पर आउट हो गया। उसकी तरफ से केवल शाहबाज अहमद (107) ही संघर्ष कर पाए। बंगाल का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 21 रन था। एक अन्य मैच में गुजरात ने राजस्थान पर सात विकेट से आसान जीत दर्ज की। राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.1 ओवर में 102 रन पर ढेर हो गई।

नीलामी प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 2020 आइपीएल के लिए दिए गए 85 करोड़ रुपए

आइपीएल नीलामी 19 दिसंबर को कोलकाता में

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर (भाषा)।

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के अगले सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पहली बार कोलकाता में 19 दिसंबर को होगी। अब तक अधिकांश बार खिलाड़ियों की नीलामी बंगलुरु में ही हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान के सह स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का मेजबान शहर है।

खिलाड़ियों की 'ट्रेडिंग विंडो' अभी खुली हुई है जो 14 नवंबर को बंद होगी। इस दौरान टीमें अपने खिलाड़ियों की अदला बदली करने के अलावा अपने खिलाड़ी को दूसरी टीम को बेच सकती हैं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार फ्रेंचाइजियों को नीलामी की जानकारी सोमवार को दी गई। प्रत्येक फ्रेंचाइजी को आइपीएल 2019 नीलामी के लिए 82 करोड़ रुपए दिए गए थे जबकि 2020 सत्र के लिए यह राशि 85 करोड़ रुपए है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास तीन करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के अलावा पिछले सत्र की बची राशि भी होगी।

दिल्ली कैपिटल के पास सबसे अधिक आठ करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बची है जबकि राजस्थान रायल्स के पास सात करोड़ 15 लाख रुपए हैं। अगले साल फ्रेंचाइजियों के भंग होने से पहले इस साल होने वाली नीलामी अंतिम होगी। इसके बाद 2021 की टीमों के लिए नई भव्य नीलामी होगी।

पहली बार कोलकाता में नीलामी

INDIAN PREMIER LEAGUE

प्रत्येक फ्रेंचाइजी को आइपीएल 2019 नीलामी के लिए 82 करोड़ रुपए दिए गए जबकि 2020 सत्र के लिए यह राशि 85 करोड़ रुपए है पिछले सत्र की बची राशि भी होगी इनके पास *दिल्ली* कैपिटल्स के पास सबसे अधिक आठ करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बची है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 318, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।